यरवडाके अनुभव

गांधीजी

अनुवादक

रामनारायण चौधरी

आर्य समाज
पुस्तकालय
सं०...३७६८...
नई दिल्ली-२६
1186

नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाओी देसाओी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद – १४

सर्वाधिकार नवजीवन ट्रस्टके अधीन

पहली आवृत्ति ५०००, सन् १९५८

अेक रुपया

अगस्त, १९५८

प्रकाशकका निवेदन

शुक्रवार ता० १० मार्च, १९२२ की रातके साढ़े दस बजे गांधीजी तथा श्री शंकरलाल बैंकरकी राजद्रोहके अभियोगमें गिरफ्तारी हुअी। हिन्दुस्तानमें गांधीजीको राजद्रोहके अभियोगमें पकड़कर अुन पर अिस तरह मुकदमा चलानेका यह पहला ही प्रसंग था। शनिवार ता० १८ मार्चको अुनका मुकदमा सुननेवाली अदालतके सामने अपना अपराध स्वीकार करनेवाले लिखित बयानमें गांधीजीने अपनी अुस समय तककी प्रवृत्तियोंका ब्यौरेवार वर्णन करके यह बताया कि वे अेक राजभक्त नागरिकसे राजद्रोह फैलानेवाले विद्रोही कैसे बन गये। अिससे यह मुकदमा अैतिहासिक बन गया।

अिस मुकदमेके अन्तमें न्यायाधीशने अुन्हें छह बरसकी सादी कैदकी सजा दी; और यह कहा कि, "सरकार आपकी सजा कम करके आपको छोड़ सके, तो अुस दिन मेरे जैसा आनंद और किसीको नहीं होगा।"

अुसके बाद २० मार्च, १९२२ को स्पेशल ट्रेनसे अुन्हें तथा भाअी श्री शंकरलाल बैंकरको यरवडा ले जाया गया। वहां गांधीजी १२–१–'२४ तक अर्थात् लगभग २२ मास तक रहे।

यरवडामें गांधीजीको ५–१–'२४ से बुखार आने लगा और पेटकी दाअीं तरफ दर्द शुरू हुआ। ११ तारीखको पूनाके सिविल सर्जनने अुनकी जांच की। १२ तारीखको अुन्होंने गांधीजीकी फिरसे जांच की, तब अुन्हें शंका हुअी कि कहीं पीब पड़ गयी है। अिसलिअे गांधीजीको अुसी दिन दोपहरको अेक बजे पूनाके सासून अस्पतालमें भेज दिया गया और अुसी दिन रातको सवा दस बजे अुनका अेपेंडिसाअिटिसका आपरेशन किया गया। आपरेशन सफल रहा।

अस्पतालमें भी वे सरकारके कैदी ही थे। अिस स्थितिमें वे ४ फरवरी तक रहे। मंगलवार ता० ५ फरवरी, १९२४ को सरकारने अुन्हें बिना शर्त छोड़ दिया। अिस प्रकार छह वर्षके बजाय गांधीजी ६९७ दिन ही कैदमें रहे।

हिन्दुस्तानकी जेलका गांधीजीका यह पहला अनुभव था। अपने अिस प्रथम कारावासके अनुभव अुन्होंने 'नवजीवन' में लिखे थे। बादमें वे पुस्तकाकार

भी प्रकाशित हुअे थे। अुसमें हमें अेक आदर्श सत्याग्रही कैदीके रूपमें गांधीजीके दर्शन होते हैं। अुसमें अुन्होंने जेलके विविध अनुभव, वहांके कैदी, वार्डर वगैराके साथके प्रसंग, तथा जेलमें अपने अध्ययन आदिके बारेमें ब्यौरेवार लिखा है। साथ ही अेक आदर्श नागरिकके नाते जेलके प्रबंधमें अुन्हें जो त्रुटियां मालूम हुआीं वे भी अुन्होंने बताअी हैं; और अुन्हें सुधारनेके लिअे क्या करना चाहिये, अिसकी ओर भी अिशारा किया है। पुस्तकके अंतमें परिशिष्टमें दिये गये पत्रोंसे भी यह विदित होगा। अिसलिअे अिस दृष्टिसे भी गांधीजीके ये अनुभव कीमती हैं।

अिस पुस्तकका पहला गुजराती संस्करण १९२५ में प्रकाशित हुआ था। अुस समय गांधीजीने जेलसे अलग अलग सवालोंके सिलसिलेमें जो पत्र लिखे थे, वे परिशिष्टके रूपमें दिये गये थे। दूसरे संस्करणमें शुरूमें प्रास्ताविकके रूपमें गांधीजीकी गिरफ्तारी हुअी तबसे लगाकर अुन्हें सजा होने तकका अितिहास अच्छी तरह मिल जाय, अिस ढंगसे 'नवजीवन' के लेखोंके अुद्धरण तथा जिन लेखोंको राजद्रोहात्मक मानकर अुन पर मुकदमा चलाया गया था वे लेख भी जोड़ दिये गये थे। मूल गुजरातीके अिस हिन्दी अनुवादमें यह सम्पूर्ण सामग्री ले ली गअी है।

अिस प्रकार अिस पुस्तकमें पाठकोंको गांधीजीकी गिरफ्तारीसे लगाकर अुनके जेलके अनुभवों तकका सारा क्रमबद्ध अितिहास मिलेगा।

आशा है स्वतंत्र भारतके नागरिकोंको राष्ट्रपिताका भारतकी जेलोंका यह पहला अनुभव रोचक प्रतीत होगा।

१५-८-'५८

प्रास्ताविक

१

गिरफ्तारीका ब्यौरा

हवामें यह अफवाह तो थी ही कि महात्माजी पकड़े जायंगे; अिसलिअे अुन्होंने 'यदि मैं पकड़ा जाअूं'* शीर्षक लेख लिख डाला। शुक्रवारकी रातको अहमदाबादमें देखनेवालेको अिस होनेवाली घटनाके चिह्न दिखाअी दे सकते थे। अुदाहरण के लिअे, फौजके सिपाहियोंका आवागमन, बैंकों और तारघरों पर सैनिक पहरा, आदि।

गांधीजी तो अुलेमाओंकी अेक जरूरी बैठकमें अुपस्थित रहनेके लिअे अजमेर गये थे। कानोंसे गलती होना संभव है, परन्तु अफवाह सही हो तो अहमदाबादके अधिकारियोंको अुनके मुख्याधिकारीके आदेश मिल चुके थे। सब गांधीजीको पकड़नेको अधीर तो थे, परन्तु अपने घर यह सब जोखिम मोल लेनेको कौन राजी हो? अहमदाबादवालोंने अजमेरके अधिकारियोंको सूचित किया कि आप गांधीजीको पकड़ें। अुन्होंने यह लिख कर आदेश वापस अहमदाबाद भेज दिया कि अहमदाबादमें ही पकड़ना ठीक रहेगा।

शुक्रवारको दोपहरमें गांधीजी अजमेरसे आश्रम आ पहुंचे।

अजमेरसे मौलाना हसरत मोहानी साहब गांधीजीके साथ आये थे। देर तक अुनके साथ बातचीत होती रही थी। मौलाना साहबने गांधीजीको वचन दिया: "आप निश्चिन्त रहिये। हमारे बीच मतभेद भले ही हो, परन्तु आपके बाद मैं आपके कार्यक्रमके पीछे लग जाअूंगा।" रातको कोअी दस बजेके करीब महात्माजीने अपने कागजात अेक तरफ रख दिये। हाथ-मुंह धोकर सो जानेकी तैयारी हो रही थी, अितनेमें पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री हीली आ पहुंचे।

आश्रमके फाटक पर अेक आम जैसी सुन्दर घनी अिमली है। मिस्टर हीली वहां ठहरे और अपने कामकी बात महात्माजीको कहला भेजी।

---

* देखिये, हिन्दी नवजीवन, १२–३–'२२।

महात्माजीको पता चला। आश्रममें सोनेकी तैयारी हो रही थी, अुसके बजाय अब साबरमतीकी जेलमें सोने जानेकी तैयारियां शुरू हुअीं। अिस बीच आश्रमके सब भाअी-बहन और बालक आ पहुंचे।

मिस्टर हीलीकी तरफसे कोअी जल्दी थी ही नहीं, अिसलिअे बिदाके अिस मंगल मुहूर्तमें महात्माजीने अपना प्रिय भजन —

'वैष्णवजन तो तेने कहीअे, जे पीड पराअी जाणे रे।'

गानेको कहा। बहनोंने आंगनमें खड़े-खड़े अत्यंत भक्तिभावसे नरसिंह मेहताका यह भजन गाया और भक्तिभावसे सबने सुना।

'परदुःखे अुपकार करे तोये मन अभिमान न आणे रे' —

वैष्णवके अिस आदर्शको प्राप्त करनेकी कामनावाले आश्रमवासियोंने अिस तरह गिरफ्तार होकर अिस आदर्शकी मानो अंतिम सीढ़ी चढ़नेवाले बापूजीके चरणोंमें साष्टांग नमस्कार किया।

हंसते हुअे गांधीजी पुलिस अधिकारीके हाथोंमें अपनेको सौंपनेके लिअे फाटककी तरफ चले। मानो मुक्ति मायाके घर जानेको निकल पड़ी हो!

महात्माजी मोटरमें बैठे; अुनके दूसरे साथी अभियुक्त श्री शंकरलाल बैंकर और अुन्हें पहुंचानेको श्रीमती कस्तूरबा और अनसूयाबहन भी साथ बैठीं। मोटरका कर्णकटु भोंपू और वन्देमातरम्‌का घोष साथ ही गूंज अुठे।

महात्माजीने आश्रमवासिओंसे विदा होते समय जो बात कही, वह हम सबके लिअे अपना लेने लायक है: "जी तोड़कर काम करना, आलस्यसे दूर रहना।"

(सम्वाददाता)

२

अदालतमें

बम्बअी सरकारकी आज्ञासे अहमदाबादके पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट मि० हीलीने गांधीजी और श्री बैंकर पर मुकदमा दायर किया। मजिस्ट्रेट मि० ब्राअुनके सामने ११ तारीखको दोपहरके १२ बजे सुनवाअी शुरू हुअी।

अदालतके लिअे कमिश्नरके दफ्तरमें अेक खास कमरा अलग कर दिया गया था। कमरा बहुत छोटा था, मगर बात जाहिर न होनेके कारण ज्यादा भीड़का डर नहीं था।

* * *

महात्माजी और भाअी शंकरलाल न्यायाधीशकी बैठकके सामने अुनके लिअे रखी गअी कुरसियों पर बैठे थे। वे अखबार पढ़नेमें, कभी कुछ आपसकी बातचीतमें, तो कभी अदालतकी कार्रवाअीमें ध्यान दे रहे थे।

अिस अदालतका काम केवल पुलिसका अभियोग सुनकर अुस परसे अभियुक्तों पर निश्चित आरोप लगानेका ही था, अिसलिअे कार्रवाअीमें कोअी बहुत दिलचस्पी नहीं थी।

*　　　*　　　*

मुद्दअी पक्षने बताया कि 'यंग अिंडिया' के कुछ लेख और टिप्पणियां जनतामें अशांति पैदा करनेवाले और सम्राट् महोदयके राज्यके विरुद्ध तथा 'अिस देशमें कानून द्वारा स्थापित सरकार' के विरुद्ध भावनायें भड़कानेवाले हैं। अुन लेखोंके 'नवजीवन'में प्रकाशित अनुवाद अिस प्रकार हैं:

असंतोषका गुण . . . ; राज्यद्रोह — ता० २–१०–'२१; वाअिसरॉयकी परेशानी—ता० १५–१२–'२१; हुंकार—ता० २६–२–'२२; यदि मैं पकड़ा जाअूं — ता० २–३–'२२; लालाजीका आक्षेप—ता० २९–२–'२१; मध्यप्रान्तमें सख्ती (यंग अिंडिया) ता० २५–२–'२१; अस्वीकार्य (यंग अिंडिया) ता० ८–६–'२१; माफीनामोंकी खोजमें—ता० २८–७–'२१; पंजाबके मुकदमे (यंग अिंडिया) ता० १–९–'२१; मुसलमान भाअियोंसे—ता० २–१–'२१।

अिन सब लेखोंका पारायण अदालतमें मिस्टर हीलीके मुखसे हुआ। पढ़नेवाले और सुननेवाले दोनोंके लिअे यह काम अुकतानेवाला था, परन्तु कानून अैसा था कि ये लेख अदालतमें जरूर पढ़े जायं। मोहनदास करमचन्द गांधी नामके 'अेक किसान और जुलाहा' (क्योंकि अुन्होंने मजिस्ट्रेटके सवालके जवाबमें अपना धंधा यही बताया था) 'यंग अिंडिया' के सम्पादक थे, इस बातके सबूतके लिअे आधी रातको नवजीवन प्रेसमें से गांधीजीके हस्तलिखित कागजात ढूंढ़कर लाने पड़े थे और मिस्टर चेटफील्डको अुनके द्वारा लिये हुअे डिक्लेरेशनके कागजात पेश करनेके लिअे बुलाना पड़ा था। अपीलेट साअिडके रजिस्ट्रारने जो लम्बा पत्र-व्यवहार पढ़कर सुनाया, अुसके लिअे मुद्दअी तो अुनके आभारी हुअे ही, परन्तु सुननेवाले सभी मिस्टर केनेडीवाले पत्रका किस्सा, अुसके बारेमें प्रकाशित हुअे और न हुअे सारे ब्यौरे सहित, अखंडित रूपमें पढ़कर सुनानेके लिअे सचमुच अुनके आभारी हुअे।

आपत्तिजनक लेख किसने लिखे, यह तो अुनके अूपरके हिस्सेमें या अंतमें किये गये हस्ताक्षर ही कह देते थे और हस्ताक्षर करनेवालोंने भी नीचेके वाक्यों

द्वारा जैसा था वैसा कह दिया था। सब साक्षियोंकी गवाही हो जानके बाद न्यायाधीशने गांधीजीसे पूछा :

"गवाहोंकी दी हुअी शहादतके विरुद्ध आपको कुछ कहना है ?"

अुत्तरमें गांधीजी बोले : "मैं तो सिर्फ अितना ही कहना चाहता हूं कि सरकारके खिलाफ असंतोष पैदा करनेके संबंधमें मैं अुचित समय पर अपना अपराध स्वीकार करनेवाला ही हूं।"

अुन्होंने यह भी कहा : "'यंग अिंडिया' का मैं सम्पादक हूं यह बात सच है। जो लेख पढ़े गये हैं अुनका लेखक मैं स्वयं हूं। पत्रके मालिकों और प्रकाशकोंने भी पत्रका और पत्र चलानेकी नीतिका सारा नियंत्रण मेरे हाथोंमें ही सौंप दिया था।"

शंकरलाल भाअीका दो बरस पहलेका डिक्लेरेशन अदालतमें पेश हुआ, यह ठीक हुआ; नहीं होता तो अुन्होंने जो निम्नलिखित वाक्य कहा वह ताजा डिक्लेरेशन ही है :

"गवाहोंकी शहादतके संबंधमें मैं अिसके सिवा कुछ भी नहीं कहना चाहता कि अुचित समय पर यहां पढ़े गये सभी लेख छापनेका अपराध मैं स्वीकार करूंगा।"

अन्तमें मजिस्ट्रेटने पुलिस द्वारा हाजिर किये हुअे अिन दो सज्जनोंको संबोधन करके कहा कि, "मोहनदास करमचन्द गांधी और शंकरलाल घेलाभाअी बैंकर! आपने अपने कुछ लेखोंसे (Tampering with Loyalty — राजद्रोह, 'यंग अिंडिया' तारीख २०–९–'२१; A Puzzle and its Solution — वाअिसरॉयकी परेशानी, 'यंग अिंडिया' तारीख १५–१२–'२१; Shaking the Manes — चुनौती, 'यंग अिंडिया' तारीख २३–२–'२२) कानून द्वारा स्थापित सरकारके विरुद्ध असंतोष पैदा किया है, और अैसा करके वह अपराध किया है जो धारा १२४ अ में बताअी गअी सजाका पात्र है। अिसलिअे मैं आपको सेशन सुपुर्द करता हूं।"

*　　　　*　　　　*

मुकदमा हो गया और अदालत अुठ गअी। परन्तु गांधीजीको साबरमती स्टेशन पर ले जानेवाली रेलगाड़ी आ पहुंची थी, अिसलिअे १५-२० मिनटकी फुरसत ही गांधीजीको मित्रोंके साथ बातचीत करनेकी मिली। श्री सरोजिनी नायडू अफवाह सुनकर आ पहुंची थी। वे अदालतमें ही गांधीजीसे मिलीं। मौलाना हसरत मोहानी भी अदालतमें मौजूद थे।

सेशनमें मुकदमा जानके सम्बन्धमें तैयारी ही क्या करनी थी कि अिन अपराधियोंको मोहलत मांगनी पड़े? मजिस्ट्रेटने तारीख जल्दीसे जल्दी रखनेकी वृत्ति प्रगट की है। संभव है कि मुकदमा १८ तारीखको पेश हो।

'नवजीवन' (सम्वाददाता)

३

अितिहासकी पुनरावृत्ति

सरकिट हाअुसमें

शनिवार तारीख १८ मार्चकी सभी लोग आतुरतासे प्रतीक्षा कर रहे थे। मुकदमा शाहीबागमें नये ही बनाये गये सरकिट हाअुसके मकानमें रखा गया था। गांधीजीकी अिच्छाका आदर करके आम लोगोंसे अदालतके मकान पर न जानेकी प्रार्थना करनेवाले स्थानीय नेताओंकी सहीके हस्तपत्रक सारे शहरमें बांटे गये थे। अिसलिअे अिस मकानके चौकके बाहर अिक्के-दुक्के लोगोंके सिवा ज्यादा लोग नहीं थे। केवल चौकमें निहत्थे सिपाहियोंके दो दल और आसपासके मकानोंके चौकोंमें हथियारबंद सिपाहियोंकी खासी तैयारी की हुअी दिखाअी देती थी। जिन्हें अदालतमें जानेके पास मिले थे, वे १० बजेसे ही वहां जाकर डट गये थे। जिनके पास पास नहीं थे, वे अिस आशासे कि भीतर जो कुछ होता है वह जल्दीसे जल्दी जाननेको मिलेगा, रास्ते पर खड़े थे। हरअेकके चेहरे पर गंभीरता और स्वाभाविक चिन्ता दिखाअी दे रही थी। मकानका हॉल छोटा था, अिसलिअे पासवालोंसे वह खचाखच भर गया था। स्त्रियोंकी संख्या भी काफी थी। अिसके अलावा कांग्रेसकी कार्यसमितिकी बैठक पहले ही दिन हुअी थी, अिसलिअे कअी प्रान्तोंके नेता भी यह अैतिहासिक मुकदमा देखने आये हुअे थे। सब कुरसियोंमें दो काली पीठवाली कुरसियां अलग नजर आती थीं और वे किसके लिअे थीं यह सब कोअी समझ सकते थे।

अदालतका वातावरण

१२ बजनेमें ठीक १४ मिनट थे कि पूज्य गांधीजी और भाअीश्री शंकरलाल बैंकरको पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट मिस्टर हीली साबरमती जेलसे ले आये। गांधीजीके अदालतके कमरेमें प्रवेश करते ही कमरेका अेक अेक आदमी स्वाभाविक आदरभावसे अपने-आप खड़ा हो गया।

जिसकी साधुवृत्तिसे अदालत भी चकित हो जाय, अुसे दोषी या निर्दोष ठहरानेके लिअे यह सारी कवायद हो रही थी। यह देखकर अेक ही सन्त सत्यवादी पुरुषके सामने बड़ी बड़ी सल्तनतें और अुनके सारे कानून कितने हेय दिखाअी देते हैं अिसका मनमें हूबहू चित्र खड़ा हो जाता था।

गांधीजी पर लगाया गया आरोप सिद्ध करनेके लिअे सरकारके रखे हुअे बम्बअीके अेडवोकेट जनरल मिस्टर स्ट्रांगमैन समय पर आ पहुंचे। अुन्होंने महात्माजीको अदबसे सिर झुकाया।

मुकदमेकी शुरुआत

ठीक १२ बजते ही सेशन्स जज मिस्टर ब्रूमफील्ड शानके साथ आ पहुंचे।

मुकदमा शुरू हुआ। रजिस्ट्रार श्री ठाकुरने महात्माजी और अुनके साथी भाअी शंकरलाल बैंकरके विरुद्ध तैयार किया गया अभियोगपत्र जोरदार आवाजमें पढ़कर सुनाया। लोगोंको 'यंग अिंडिया' के तीन राजद्रोहात्मक लेख अदालतके बीचमें फिर अेक बार आरामसे सुननेका मौका मिला।

न्यायाधीशने महात्माजीको संबोधन करके कहा:

'कानूनके अनुसार मुझे आपको अभियोगपत्र सुनाना ही नहीं चाहिये, परंतु समझाना भी चाहिये। फिर भी मैं नहीं मानता कि मुझे अधिक स्पष्टीकरण करनेकी जरूरत होगी।'

फिर अुन्होंने राजद्रोह, अप्रीति वगैरा शब्दोंके कानून-सम्मत अर्थ बताये। अप्रीतिका अर्थ है बेवफाअी और शत्रुताकी सभी भावनाअें। अिसीमें राजनीतिक असंतोष और राज्यसे संबंध-विच्छेद आदि सब आ जाते हैं। अैसी कुछ बातें अुन्होंने समझाअीं और बादमें महात्माजीसे पूछा:

'आप अपराध स्वीकार करते हैं या यह चाहते हैं कि मुकदमा चलना चाहिये?'

महात्माजी खड़े हुअे। अदालतमें अपूर्व शांति छा गयी। वे शान्त स्वरमें बोले:

'अपने प्रति लगाये गये प्रत्येक अभियोगको मैं स्वीकार करता हूं। नीचेकी अदालतने सम्राट्के विरुद्ध व्यक्तिगत अप्रीति फैलानेका अभियोग मुझ पर लगाया था; मैं देखता हूं कि वह अिस अभियोगपत्रमें छोड़ दिया गया है। यह ठीक हुआ है।'

शंकरलालभाअीसे भी यही सवाल पूछा गया और अुन्होंने भी अपराध स्वीकार किया।

सरकारी पक्षकी बहस

अदालतने अेडवोकेट जनरलसे कहा :

'अभियुक्त अभियोग स्वीकार करते हैं। तो अब क्या मुकदमेकी सारी विधि जरूरी है?'

अेडवोकेट जनरल मुकदमा चलानेके लिअे अुत्सुक थे। अुन्होंने कहा, अपराध साबित करनेके लिअे नहीं, परन्तु यह निश्चित करनेके लिअे कि सजा कितनी दी जाय, मुकदमा चलानेकी जरूरत है। अपने अिस मुद्देके समर्थनमें अुन्होंने कुछ बहस की। अुन्होंने कहा, अभियुक्तने केवल ये तीन लेख लिखनेका ही अपराध नहीं किया है; बल्कि ये लेख तो अुन्होंने राज्यके विरुद्ध जो खुली और बाकायदा लड़ाअी छेड़ रखी है, अुसका अंशमात्र हैं। यह बात साबित करनेके लिअे अुन्होंने 'यंग अिंडिया' के कुछ अुदाहरण पढ़कर सुनाये। अिसके बाद यह बहस करते हुअे कि सजा कितनी होनी चाहिये, अुन्होंने कहा कि जब किसी प्रदेशमें अेक ही प्रकारके अपराध अधिक होते हैं तब मुख्य अपराधीको कानूनके अनुसार अुदाहरण पेश करनेवाली सजा होनी चाहिये। साथ ही अपराधी अुच्च शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति हैं और लोगोंके माने हुअे नेता हैं, अिसलिअे अुनकी अिस प्रकारकी लड़ाअीका लोगों पर क्या असर होता है यह भी अदालतको ध्यानमें रखना चाहिये। यद्यपि अुनके लेखोंमें अहिंसा पर निरन्तर जोर दिया जाता रहा है, फिर भी जब अप्रीति व्यवस्थित रूपमें फैलाअी जाती हो तब अहिंसाके अुपदेशकी कोअी कीमत नहीं। अभियुक्तकी लड़ाअीके परिणाम बम्बअी, मद्रास और चौरीचौराके भयंकर दंगोंके रूपमें प्रगट हुअे हैं।

'मालदार आदमी'

दूसरे अभियुक्तने ये लेख छापनेका ही अपराध किया है, अिसलिअे यद्यपि वह कम सजाका पात्र है, फिर भी कानूनकी दृष्टिसे अुसका अपराध कम गंभीर नहीं है। वह मालदार आदमी है, अिसलिअे मेरा सुझाव है कि अुस पर खासी रकमका जुरमाना करना चाहिये।

अेडवोकेट जनरलकी बहस सुननेके बाद भी अदालतने मुकदमा आगे न बढ़ानेका अपना निश्चय नहीं बदला। न्यायाधीशने कहा, अब सजा देना ही

बाकी रहता है। परन्तु अुससे पहले अभियुक्तको सजाके बारेमें कुछ कहना हो तो वह मुझे सुन लेना है।

महात्माजीने लिखित बयान पढ़कर सुनानेकी अिच्छा प्रगट की और कहा कि अुसे पेश करनेसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। अुन्होंने अदालतसे अिस बातकी अिजाजत ले ली कि यह सब अुन्हें बैठे बैठे ही बोलने दिया जाय। सबको मालूम हो गया कि जिस चीजके लिअे अदालतमें आये हैं वह अब मिल रही है। चारों तरफ गंभीर शान्ति छा गअी।

गांधीजीका भाषण

"अपना लिखित बयान पढ़नेसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बारेमें विद्वान अेडवोकेट जनरलने जो टीका की है अुसे मैं पूरी तरह स्वीकार कर लेता हूं। मैं मानता हूं कि मेरे विषयमें अुन्होंने जो कुछ कहा है अुसे कहनेमें अुन्होंने मेरे साथ पूरी तरह न्याय किया है। क्योंकि अुन्होंने जो कुछ कहा वह बिलकुल सच है। मैं अदालतसे यह बात जरा भी छिपाना नहीं चाहता कि मौजूदा शासन-प्रणालीके विरुद्ध अप्रीति फैलानेकी मुझे लगभग लगन लगी हुअी है।

"अेडवोकेट जनरल साहबने ठीक कहा है कि 'यंग अिंडिया' के साथ मेरा संबंध हुआ तभीसे मैंने सरकारके खिलाफ अप्रीति फैलाना शुरू किया हो, अैसी बात नहीं है। मेरा यह काम तो पहलेसे ही जारी है, और अब मैं जो बयान पढ़कर सुनानेवाला हूं अुसमें अदालतके सामने मैं यह स्वीकार करनेका अपना दुःखदायक कर्तव्य पालन करूंगा कि अेडवोकेट जनरल साहबने कहा है अुससे भी पहले मैंने अिस सरकारके प्रति अप्रीति फैलानेका काम शुरू कर दिया था। मेरे लिअे यह अत्यन्त दुःखदायक कर्तव्य है, परन्तु मेरे सिर पर जो जिम्मेदारियां थीं अुन्हें देखते हुअे यह कर्तव्य मुझे पूरा करना ही पड़ा है। बम्बअी, मद्रास और चौरीचौराकी घटनाओंके संबंधमें जो जिम्मेदारी विद्वान अेडवोकेट जनरलने मेरे सिर पर डाली है, अुस सम्बन्धमें मैं अपना अपराध स्वीकार कर लेता हूं। अिस मामले पर गहरा विचार करनेके बाद, अुसके चिन्तनमें कअी रातें बितानेके बाद और अपने मनको अच्छी तरह टटोलनेके बाद मैं अिस निर्णय पर पहुंचा हूं कि चौरीचौराके राक्षसी हत्याकांड अथवा बम्बअीके पागलपन भरे अत्याचारोंके साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं, यह कहना मेरे लिअे असंभव है। अुन्होंने ठीक ही कहा है कि अेक जिम्मेदार आदमीके नाते, अेक दुनियादारीके अनुभवी मनुष्यकी

हैसियतसे अपने हरअेक कामके परिणाम मेरे ध्यानमें होने ही चाहिये थे। वे परिणाम मेरे ध्यानमें जरूर थे। मैं जानता था कि मैं जोखिम मोल ले रहा हूं। यह बात मेरे ध्यानसे बाहर हरगिज नहीं थी कि मैं आगके साथ खेल रहा हूं। परन्तु मुझे कहना चाहिये कि यदि मुझे अभी छोड़ दिया जाय तो अब भी मैं वही करूंगा।

"आज सुबह मुझे महसूस हुआ कि अिस समय मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह न कहूं तो अपने फर्जसे चूकता हूं। मैं अशांतिको टालना चाहता था, अब भी चाहता हूं। अहिंसा मेरे धर्मका पहला मंत्र है, और वही मेरे धर्मका आखिरी मंत्र है। परन्तु मुझे तो दो बुराअियोंके बीच चुनाव करना था। या तो यह हो सकता था कि मैं अपने देशको अपार हानि पहुंचानेवाली शासन-प्रणालीके अधीन हो जाअूं, या फिर मेरे मुंहसे देशकी वास्तविक स्थिति सुननेके बाद मेरे देश-भाअियोंमें क्रोधका जो अुबाल आये अुसका खतरा मोल लूं। मेरे देशभाअी कअी बार पागल बन गये हैं, यह मैं जानता हूं। अिसके लिअे मुझे खूब दुःख हुआ है। और अिसीलिअे मैं यहां नरम सजा नहीं, परंतु कठोरसे कठोर दंड मांग लेता हूं।

"मैं दया नहीं चाहता। अिसी प्रकार मैं अैसी कोअी दलील भी पेश नहीं करना चाहता, जिससे मेरा अपराध हलका माना जाय। अिसलिअे कानूनकी दृष्टिसे जो अिरादातन् किया गया अपराध माना जाता है, परंतु मेरे विचारमें जो प्रत्येक नागरिकका अूंचेसे अूंचा कर्तव्य है, अुसके लिअे सख्तसे सख्त सजा मांगने और अुसे स्वीकार करनेके लिअे मैं यहां बैठा हूं। न्यायाधीश महोदय, जैसा कि मैं अपने लिखित बयानमें अभी अभी बतानेवाला हूं, आपके लिअे दो ही मार्ग खुले हैं। अगर आपका यह खयाल हो कि जिस कानून पर आपको अमल करना है वह अेक पापपूर्ण वस्तु है और वास्तवमें मैं निर्दोष हूं, तो आप अपने स्थानसे त्यागपत्र दीजिये और अैसा करके पापका संग छोड़िये; परन्तु यदि आपको अैसा लगता हो कि जिस कानून पर आप अमल कर रहे हैं और जिस प्रणालीको कायम रखनेमें आप मदद दे रहे हैं, वह अच्छी चीज है और अिस-लिअे मेरी प्रवृत्ति और मेरी हलचल सार्वजनिक हितके लिअे हानिकारक है, तो मुझे कड़ीसे कड़ी सजा दीजिये। मैं यह आशा नहीं करता कि मैंने कहा वैसा कोअी परिवर्तन आपमें हो सकता है। परन्तु मैं अपना बयान पढ़ना पूरा करूं तब तक शायद आपको अिस बातकी झांकी अवश्य मिल जायगी कि जो अेक

समझदार आदमीको अितनी भारी जोखिम अुठानेके लिअे प्रेरित कर दे अैसी कौनसी आंधी मेरे हृदयको मथ रही है।"

अिसके बाद महात्माजीने अपनी जगह पर बैठे बैठे अपना लिखित बयान पढ़कर सुनाया।

अदालतके उस छोटेसे कमरेमें गांधीजीकी वाणी मेघगर्जनाकी तरह गूंज रही थी। वह बयान नहीं था, परन्तु जीवनभरके राजनीतिक अनुभवोंका निचोड़ था। क्षणभरके लिअे अैसा प्रतीत हुआ कि महात्माजीके विरुद्ध मुकदमा नहीं चल रहा है, परन्तु समस्त जगतके न्यायालयमें ब्रिटिश साम्राज्य अभियुक्तके रूपमें खड़ा है और अेक सत्यवादी साक्षी अपने हृदयकी वाणीके द्वारा अभियुक्तके अभियोगको प्रमाणित कर रहा है। जैसे गांधीजीने राजद्रोहका अभियोग स्वीकार किया और सजा मांग ली, वैसे ही ब्रिटिश साम्राज्यने भी न्यायाधीशके त्यागपत्र द्वारा प्रजाद्रोहका अपराध स्वीकार कर लिया होता, तो निश्चय ही अुस दृश्यको देखनेके लिअे आकाशके देवता पृथ्वी पर अुतर आये होते।

४

गांधीजीका लिखित बयान

"हिन्दुस्तानके प्रति और जिस विलायती जनताको सन्तुष्ट करनेके लिअे मुख्यत: यह मुकदमा चलाया गया है अुसके प्रति अपने धर्मका विचार करते हुअे, मुझे लगता है कि अेक कट्टर राजभक्त और सहयोगी नागरिक न रहकर आज मैं अेक कट्टर राजद्रोही और असहयोगी क्यों बन गया हूं, अिसका स्पष्टीकरण करना मेरा कर्तव्य है। अिसके सिवा, मुझे अदालतको भी यह बताना चाहिये कि भारतमें कानून द्वारा स्थापित सरकारके विरुद्ध अप्रीति फैलानेके आरोपको मैं क्यों स्वीकार करता हूं।

"मेरे सार्वजनिक जीवनका प्रारम्भ सन् १८९३ में दक्षिण अफ्रीकामें विषम परिस्थितियोंमें हुआ। अुस देशमें ब्रिटिश सत्ताके साथ पहले-पहल मेरा जो सम्बन्ध हुआ वह सुखदायी नहीं कहा जा सकता। मुझे मालूम हुआ कि वहां मनुष्यके नाते और अेक भारतीयके नाते मुझे कुछ भी अधिकार नहीं थे; अुलटे मैंने देखा कि मेरे हिन्दुस्तानी होनेके कारण ही मेरे मानव-अधिकार भी मारे जा रहे थे।

"परन्तु मैं अिससे निराश नहीं हुआ। मैंने अपने मनको समझाया कि भारतीयोंके प्रति किया जानेवाला दुर्व्यवहार अेक अधिकांशमें अच्छे शासन-

तंत्र पर चढ़ा हुआ बाहरी मैल है; असलमें तो वह तंत्र अच्छा ही है। और जहां मुझे अिस सरकारके दोष दिखाओी दिये वहां अुनके लिअे समय समय पर अुसकी निन्दा करने पर भी अुसका नाश कभी न चाहते हुअे अुस सरकारके साथ मैं स्वेच्छापूर्वक और सच्चे दिलसे सहयोग करता रहा।

"अिसलिअे सन् १८९९ में बोअर-युद्धके समय जब साम्राज्यकी हस्ती खतरेमें पड़ गओी, तब मैंने अुसे अपनी सेवाअें अर्पण कीं। मैंने घायलोंकी सेवा करनेवाली स्वयंसेवकोंकी टोली खड़ी की और लेडीस्मिथके बचावके लिअे हुओी बहुतसी लड़ाअियोंमें भरसक काम किया। अिसी प्रकार सन् १९०६ में जूलू-विद्रोहके दिनोंमें भी मैंने घायलोंको अुठानेवाले डोलीवालोंकी अेक टोली खड़ी की और यह सेवा 'विद्रोह' शान्त होने तक जारी रखी। अिन दोनों अवसरों पर अपनी सेवाओंके लिअे मुझे पदक मिले और सरकारी खरीतोंमें मेरे कामका खास अुल्लेख किया गया। दक्षिण अफ्रीकाके मेरे कामकी सराहनामें लार्ड हार्डिजकी तरफसे मुझे कैसरे-हिन्द सुवर्णपदक मिला। सन् १९१४ में जब अिंग्लैण्ड और जर्मनीके बीच लड़ाओी छिड़ी, तब मैंने लन्दनमें अुस समय रहनेवाले भारतीयोंकी –– मुख्यत: विद्यार्थियोंकी –– अेक 'अेम्बुलेन्स' टोली खड़ी की। अिस टोलीके मूल्यवान सेवा करनेके बारेमें वहांके अधिकारियोंकी स्वीकारोक्तियां हैं। और अंतमें जब १९१७ में दिल्लीमें हुओी युद्ध-परिषद्में लार्ड चेम्सफोर्डने सैनिक भरतीके लिअे आग्रहपूर्वक अनुरोध किया, तब अपने स्वास्थ्यकी तरफ न देख कर भी खेड़ा जिलेमें सैनिक भरतीके लिअे मैंने कोशिश की, यद्यपि मेरे प्रयत्नोंका फल आना शुरू हुआ अुसी समय लड़ाओी बन्द हो गओी और अधिक रंगरूटोंकी जरूरत न रह जानेके बारेमें आदेश जारी हो गये। साम्राज्यकी सेवाके अिन सारे प्रयत्नोंके बीच मैं अिसी आशाकी गरमीसे जी रहा था कि ये सेवाअें करके मेरे देशभाअियोंके लिअे साम्राज्यमें संपूर्ण समानताका दरजा प्राप्त किया जा सकेगा।

"मेरी अिस आशा पर पहला भारी आघात 'रौलेट कानून' के रूपमें लगा। अिस कानूनके विरुद्ध मुझे तीव्र आन्दोलन करना पड़ा। अुसके बाद पंजाबका कांड शुरू हुआ, जिसका आरंभ जलियांवालाके कत्लसे हुआ और अन्त पेटके बल चलनेकी आज्ञाओंमें, आम रास्तों पर कोड़े लगानेमें और अिसी तरहके दूसरे अकथनीय अपमानपूर्ण कृत्योंमें हुआ। मैंने यह भी देखा कि तुर्की और अिस्लामके पवित्र स्थानों पर हाथ न डालनेके संबंधमें भारतीय

मुसलमानोंको प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये वचनका पालन करना बहुत सम्भव नहीं है। परन्तु ये सब लक्षण दिखाओी देते हुअे भी और मित्रोंके मुझे गंभीर चेतावनियां देनेके बावजूद अमृतसरकी कांग्रेसके समय सरकारके साथ सहयोग करने तथा मान्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार स्वीकार करनेके पक्षमें मैं लड़ा। यह सब मैंने अिस आशासे किया कि अंतमें प्रधानमंत्री भारतीय मुसलमानोंको दिया हुआ अपना वचन पालन करेंगे, पंजाबके घाव भर दिये जायंगे और सुधार अधूरे और असंतोषजनक होने पर भी भारतके जीवनमें अेक नये और आशा-स्पद युगके सूचक सिद्ध होंगे।

"परन्तु मेरी ये तमाम आशाअें धूलमें मिल गअीं। खिलाफत-संबंधी वचन पालन करनेका सरकारका अिरादा नहीं था, पंजाबके कांड पर लीपापोती कर दी गअी और अपराधियोंको सजा देना तो दूर रहा, अुलटे अुन्हें अपनी नौकरियों पर कायम रखा गया अथवा अुन्हें भारतीय खजानेसे पेन्शन देना जारी रखा गया। और कुछ लोगोंके मामलेमें तो अुलटे पारितोषिक तक प्रदान किये गये! मैंने यह भी देखा कि सुधारोंसे जिस हृदय-परिवर्तनकी आशा रखी गअी थी वैसा कोअी परिवर्तन न हुआ, बल्कि मुझे तो दिखाओी दिया कि वह केवल भारतका धन और अधिक चूसने और अुसकी गुलामीको लंबानेकी ही अेक नअी तरकीब थी।

"मैं अफसोसके साथ अिस निर्णय पर पहुंचा कि ब्रिटिश शासनने राज-नीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियोंसे भारतको अितना निःसहाय बना डाला है जितना वह पहले कभी नहीं था। निःशस्त्र भारत आज किसी भी आक्रमण-कारीके विरुद्ध हथियारोंकी लड़ाअीमें पड़ना चाहे तो अैसा करनेकी अुसमें कुछ भी ताकत नहीं है। और अुसकी यह लाचारी अिस हद तक पहुंच गअी है कि हमारे कुछ अच्छेसे अच्छे लोग भी आज यह मानते हैं कि भारतको औपनिवेशिक ढंगका स्वराज्य प्राप्त करनेमें भी अभी अनेक पीढ़ियां बितानी पड़ेंगी। हिन्दुस्तान आज अितना कंगाल बन गया है कि अुसमें अकालोंके सामने टिके रहनेकी बिलकुल शक्ति नहीं है। अंग्रेजोंके यहां कदम रखनेसे पहले भारत अपने लाखों झोंपड़ोंमें कातता और बुनता था और खेतीसे होनेवाली अपनी साधारण आजीविकामें रही कमी पूरी कर लेता था। भारतका यह अुसकी जीवन-डोरी जैसा गृह-अुद्योग न मानने लायक निष्ठुर और अमानुषिक अुपायों द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिसका बयान स्वयं अंग्रेज साक्षियोंने किया'

है। भारतकी आधे पेट रहनेवाली आम जनता किस तरह धीरे धीरे मृतप्राय होती जा रही है, अिसका शहरोंमें रहनेवालोंको शायद ही पता हो। अुन्हें मालूम नहीं कि अुनके क्षुद्र अैश-आराम और कुछ नहीं, भारतको चूसनेवाले विदेशी पूंजीपतियोंके घर भरनेके लिअे वे जो मेहनत करते हैं अुसकी दलाली-मात्र हैं। और अुनका सारा मुनाफा तथा अिनकी दलाली दोनों भारतकी गरीब जनताको निचोड़ कर ही प्राप्त किये जाते हैं। अुन्हें पता नहीं कि ब्रिटिश भारतमें कानून द्वारा स्थापित सरकार अुस गरीब आम जनताको अिस प्रकार चूसनेके लिअे ही चलायी जा रही है। किसी भी तरहके वितंडावादसे अथवा आंकड़ों और विवरणोंके चाहे जैसे मायावी कोष्ठकोंसे वह प्रमाण नष्ट नहीं किया जा सकता, जो भारतके गांव अपने बोलते-चालते अस्थि-पंजरोंसे निरी आंखोंको भी दे रहे हैं। मेरे मनमें तो जरा भी शक नहीं कि यदि अीश्वर जैसा कोअी मालिक दुनियाके सिर पर हो तो अुसके दरबारमें अिंग्लैण्ड और हिन्दुस्तान दोनोंके अिन सब शहरोंमें रहनेवालोंको अपने अिस अपराधके लिअे — मानव-जातिके खिलाफ अेक अैसे अपराधके लिअे जिसकी शायद अितिहासमें मिसाल न मिल सके — जवाब देना पड़ेगा। खुद कानून भी अिस देशमें भारतको चूसनेवाले विदेशियोंकी सेवाके लिअे ही काममें लाया जाता है। पंजाबके फौजी कानूनके मुकदमोंकी अपनी निष्पक्ष जांचके फल-स्वरूप मुझ पर यही असर पड़ा कि कमसे कम ९५ फी सदी सजायें बिलकुल अन्यायपूर्ण थीं। भारतमें राज-नीतिक मुकदमोंके अपने अनुभवसे मैंने देखा है कि अुनमें सजा पानेवाले लोगोंमें १० में से ९ बिलकुल निर्दोष थे। स्वदेश-प्रेम ही अुनका अपराध था। भारतकी अदालतोंमें यूरोपीयोंके विरुद्ध मुकदमे चलानेवाले १०० में से ९० भारतीयोंको न्याय नहीं मिलता। अिस चित्रमें रंग भरने या अतिशयोक्ति करनेकी बात कहीं नहीं है। अैसे मुकदमोंसे जिन जिन भारतीयोंको वास्ता पड़ा है अुनमें से लगभग प्रत्येकका यही अनुभव है।

"सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि अंग्रेज लोग और देशका शासन चलानेमें शरीक अुनके भारतीय साथी यह नहीं समझ सकते कि वे कोअी अैसा अपराध करनेमें लगे हुअे हैं, जिसका मैंने अूपर वर्णन करनेका प्रयत्न किया है। मुझे पता है कि बहुतसे अंग्रेज और भारतीय कर्मचारी भी अीमानदारीसे यह मानते हैं कि वे संसारमें अेक अच्छेसे अच्छा शासन चला रहे हैं और अुसके अधीन भारतवर्ष धीरे धीरे परंतु ठोस प्रगति कर रहा है। अुन्हें पता नहीं कि

अेक ओर जनताको आतंकित करनेकी अेक अदृश्य परंतु कारगर कार्य-पद्धति और पशुबलके व्यवस्थित प्रदर्शनके फलस्वरूप तथा दूसरी ओर जनतासे प्रतिकार करनेकी अथवा आत्मरक्षा तककी सारी शक्ति छीन लेनेके कारण सारी जनता नपुंसक बन गअी है, और अुसमें दम्भ और पामरता फैल गअी है। और अिस भयानक कुटेवके कारण शासकोंका अज्ञान और आत्म-वंचना दुगनी बढ़ गयी है। जिस १२४ अ धाराका सौभाग्यसे मुझ पर अभियोग लगाया गया है, वह धारा भारतीय नागरिकोंकी स्वतंत्रताको कुचल डालनेके लिअे रची गअी राजनीतिक धाराओंमें कदाचित् सर्वोपरि है। प्रीति कोअी कानूनसे पैदा होनेवाली अथवा नियमोंमें रहनेवाली वस्तु नहीं है। मनुष्यको यदि किसी व्यक्ति अथवा वस्तुके प्रति प्रीति न हो, तो जब तक वह मारकाट या खून-खराबीका अिरादा न रखता हो अथवा रक्तपातको प्रोत्साहन या अुत्तेजन न देता हो, तब तक अुसे अपनी अप्रीति प्रगट करनेका पूरा अधिकार होना चाहिये। परंतु जिस धाराका अभियोग भाअी शंकरलाल पर और मुझ पर लगाया गया है, अुसके अनुसार तो केवल अप्रीति फैलाना भी अपराध है। अिस धाराके अनुसार चलाये गये कुछ मुकदमे मैंने देखे हैं और मैं जानता हूं कि भारतके कुछ बड़ेसे बड़े लोकमान्य पुरुषोंको अिस धाराके अनुसार सजायें दी गअी हैं। और अिसलिअे अिस धाराके अनुसार मुझ पर जो अभियोग लगाया गया है, अुसे मैं अपनी बड़ी अिज्जत समझता हूं। मैंने अपनी अप्रीतिके कारणोंकी अत्यंत संक्षिप्त रूपरेखा बता देनेका अूपर प्रयत्न किया है। किसी भी अधिकारी या कर्म-चारीके विरुद्ध मुझे कोअी व्यक्तिगत बैर नहीं है, फिर सम्राट्के प्रति तो मुझे अप्रीति हो ही कैसे सकती है। परन्तु जिस सरकारने पहलेके और किसी भी शासनकी अपेक्षा कुल मिलाकर भारतका अहित ही अधिक किया है, अुसके प्रति अप्रीति होना तो मैं सद्गुण ही समझता हूं। ब्रिटिश हुकूमतके मातहत भारतके पौरुषका जितना नाश हुआ है अुतना पहले किसी भी समय नहीं हुआ। मेरी यह मान्यता होनेके कारण अैसे शासनके लिअे मनमें प्रीति होना मैं पाप समझता हूं। और अिसलिअे मैं अिसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मेरे विरुद्ध सबूतके तौर पर पेश किये गये अलग अलग लेखोंमें मैंने जो कुछ लिखा है वह सब मैं लिख सका।

“असलमें तो मैं यह मानता हूं कि जिस अस्वाभाविक स्थितिमें अिस समय अिंग्लैंड और हिन्दुस्तान दोनों रह रहे हैं अुससे बच निकलनेका असहयोगका जो

मार्ग मैंने बताया अुससे मैंने दोनोंकी सेवा ही की है। मेरी नम्र रायके अनुसार तो बुराअीसे असहयोग करना भलाअीसे सहयोग करनेके बराबर ही मनुष्यका फर्ज है। परंतु अब तक बुराअी करनेवालेके विरुद्ध जान-बूझकर हिंसाके द्वारा ही असहयोग प्रगट करनेकी प्रथा दुनियामें चली आ रही है। मैं अपने देश-वासियोंको यह बतानेकी कोशिश कर रहा हूं कि हिंसावृत्तिसे किया गया असहयोग अन्तमें दुनियामें बुराअीको घटानेके बजाय बढ़ानेका ही हथियार बन जाता है। और चूंकि बुराअीको कायम रखनेका अेकमात्र साधन हिंसा ही है, अिसलिअे अपनी तरफसे अुसे मिलनेवाला सहयोग वापिस लेनेकी अिच्छा रखनेवालेको तो हिंसाका निःशेष त्याग करना ही चाहिये। अैसी अहिंसावृत्तिमें बुराअीसे असहयोग करते समय जो दुःख सहन करने पड़ते हैं अुन्हें स्वेच्छापूर्वक शिरोधार्य कर लेनेका समावेश हो जाता है। अिसलिअे कानूनकी नजरमें जो मेरा जान-बूझकर किया गया अपराध माना जायगा, किन्तु मेरी अपनी दृष्टिमें जो नागरिकके नाते मनुष्यका सर्वोपरि धर्म है, अुसके लिअे कड़ीसे कड़ी सजा मांगने और अुसे आनन्दपूर्वक शिरोधार्य करनेके लिअे मैं यहां खड़ा हूं। न्यायाधीश महोदय, आपके और पंच महानुभावोंके लिअे भी यही मार्ग खुला है कि जिस कानून पर अमल करनेका काम आपको सौंपा गया है अुसे यदि आप वास्तवमें अन्यायपूर्ण मानते हैं और मुझे निर्दोष समझते हैं, तो आप अपने पदोंसे अिस्तीफे दे दें और अिस प्रकार पापमें हाथ बंटानेसे बचें। अिसके विपरीत यदि आपका यह विश्वास हो कि जिस तंत्र और जिस कानूनको चलानेमें आप अिस समय मदद कर रहे हैं वे भारतकी जनताके लिअे हितकर है और अिसलिअे मेरी हलचल सार्वजनिक हितके लिअे हानिकारक है, तो आपको चाहिये कि आप मुझे सख्तसे सख्त सजा दें।

मोहनदास करमचंद गांधी"

गांधीजीका बयान अदालतके सामने दिया गया बयान नहीं था, परंतु सारे भारतकी आवाज थी। कानून द्वारा स्थापित ब्रिटिश सत्ता जनताकी सम्मतिसे स्थापित सत्ता नहीं है। भारतके कानूनका रुख और भारतका कल्याण अेक दिशामें नहीं बहते, यह भीषण सत्य अिस बयानसे साबित हो जाता है। अिस अेक छोटेसे लेखमें ब्रिटिश स्वार्थोंकी कलअी खुल गअी है और चाणक्यकी तरह घोर प्रायश्चित्त किये बिना यह कलंक नहीं धुलेगा।

श्री शंकरलालका बयान

महात्माजीके बयानके बाद भाअी शंकरलालने अपना बयान दिया।

भाअीश्री शंकरलाल बोले : मुझे अितना ही कहना है मुकदमेमें पेश हुअे लेख छापनेका सौभाग्य मुझे मिला था। मैं अपने पर लगाये गये आरोपोंको स्वीकार करता हूं। सजाके बारेमें मुझे कुछ नहीं कहना है।

जिनका परिचय महात्माजीने मौनीके रूपमें दिया है, अुनका बयान अिससे लम्बा क्या हो सकता था?

सब काम निपट गया। अब सजा सुनाना ही बाकी रहा था। न्यायाधीश लोगोंको अपने अुद्‌गार प्रगट करनेका यही समय होता है। १२ बरस पहले न्यायमूर्ति दावर द्वारा लोकमान्यके विषयमें प्रकट किये गये अुद्‌गार सबको याद हैं। अिस मुकदमेमें मिस्टर ब्रूमफील्ड द्वारा प्रगट किये गअे अुद्‌गार लोगोंको दूसरी तरह याद रहेंगे। मि० ब्रूमफील्ड कानून तौलनेवाले न्यायाधीशसे अधिक अूंचे नहीं अुठ सके। अिसके लिअे कोअी अुन्हें दोष नहीं दे सकता। वे तो प्राकृत मनुष्यकी ही दृष्टि रखकर न्यायासन पर बैठे और गांधीजीकी महत्ताको ध्यानमें रखनेकी अपनी असमर्थता बताकर पुराने रिवाजके अनुसार ही अुन्होंने सजा सुना दी। वे बोले :

फैसला

" मि० गांधी, आपने अभियोग स्वीकार करके अेक तरहसे मेरा काम सरल कर दिया है, परन्तु आपको कितनी सजा दी जाय यह तय करनेका काम आसान नहीं है। मेरा खयाल है कि अिस देशमें किसी भी न्यायाधीशके सामने अितना कठिन काम कभी नहीं आया होगा। कानूनकी दृष्टिमें कोअी छोटा या बड़ा नहीं है, फिर भी अब तक जिन जिनके फैसले मैंने किये हैं या जिनके फैसले करनेका काम मुझे भविष्यमें करना पड़ेगा अुन सबसे आप भिन्न ही कोटिके पुरुष हैं, अिस बातकी मैं अुपेक्षा नहीं कर सकता। आप अपने करोड़ों देशबंधुओंकी दृष्टिमें महान देशभक्त हैं, महान नेता हैं, अिस वस्तुकी भी अवहेलना नहीं की जा सकती। राजनीतिमें जो आपसे भिन्न दृष्टि रखते हैं वे भी आपको अुच्च आदर्शवान पुरुष मानते हैं; वे आपको अलौकिक ही नहीं परन्तु संतकोटिका पुरुष मानते हैं।

" परन्तु मुझे तो आपका अेक ही दृष्टिसे विचार करना है। और किसी भी दृष्टिसे आपका काजी बनना या आपकी आलोचना करना मेरा यहां फर्ज नहीं

है और मैं वैसा दावा भी नहीं करता। मुझे तो आपको अेक अैसा आदमी समझकर ही आपका अिन्साफ करना है, जो कानूनके अधीन है, जिसने अपने-आप कानूनका भंग करना स्वीकार किया है और जो साधारण मनुष्यकी दृष्टिमें सरकारके प्रति गंभीर माना जानेवाला अपराध करना अपने मुंहसे स्वीकार करता है। मैं यह नहीं भूलता कि हिंसा और अुत्पातके विरुद्ध आपने निरंतर अुपदेश किया है और मैं यह भी माननेको तैयार हूं कि कअी अवसरों पर आपने दंगोंको रोका भी है। परंतु आपके राजनीतिक अुपदेशोंके स्वरूपको देखते हुअे और वह अुपदेश जिन लोगोंको आपने दिया अुनके स्वभावको देखते हुअे मैं यह समझ नहीं सकता कि आपने यह आशा कैसे रखी कि आपकी हलचलके परिणामस्वरूप दंगे नहीं होंगे। किसी भी सरकारके लिअे आपने यह असंभव कर दिया है कि वह आपको स्वतंत्र छोड़े। हिन्दुस्तानमें शायद ही कोअी आदमी अैसा होगा, जिसे वास्तवमें अिस बातका दुःख न हुआ हो। परन्तु आपने यह स्थिति पैदा की है।

अितिहासकी पुनरावृत्ति

"फिर भी आपको न्याय भी मिले और सार्वजनिक हितकी भी रक्षा हो, अिन दोनों बातोंका मेल किस प्रकार साधा जाय, अिसीका मैं विचार कर रहा हूं। और आपको सजा देनेके बारेमें बारह वर्ष पूर्व चले हुअे अैसे ही अेक और मुकदमेका मैं अनुसरण करना चाहता हूं। मि० बाल गंगाधर तिलकको अिसी धाराके अनुसार सजा हुअी थी। अुस समय अंतमें अुन्हें छह वर्षकी सादी कैदकी सजा भुगतनी पड़ी थी। मुझे विश्वास है कि **यदि मैं आपको मि० तिलककी पंक्तिमें बिठाअूं, तो आपको अनुचित नहीं लगेगा। अिसलिअे आपको प्रत्येक अपराध पर दो वर्षकी सादी कैद अर्थात् कुल मिलाकर छह वर्षकी सादी कैदकी** सजा सुनाना मुझे अपना कर्तव्य प्रतीत होता है। यह सजा सुनाते हुअे मैं अितना और कहना चाहता हूं कि यदि भविष्यमें राजनीतिक वातावरण शांत हो जाय और सरकार आपकी सजा घटाकर आपको छोड़ सके, तो अुस दिन मेरे बराबर आनंद और किसीको नहीं होगा।

श्री शंकरलालको अेक वर्ष

"मि० बैंकर, मेरे खयालसे आप तो ज्यादातर अपने नेताके प्रभावके अधीन हैं। आपके विरुद्ध अभियोगके पहले दो भागोंमें से प्रत्येकके लिअे छह मासकी

सादी सजा और तीसरे भागके लिअे अेक हजार रुपये जुर्माना और वह अदा न करें तो छह महीनेकी सादी कैदकी सजा देता हूं।"

न्यायाधीशको धन्यवाद

गांधीजी (न्यायाधीशसे) — मैं अेक ही शब्द और कहना चाहता हूं। मुझे सजा देनेमें स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकके मुकदमेकी याद दिलाकर आपने मेरा बड़ा सम्मान किया है। मैं अितना ही कहना चाहता हूं कि अुस महान पुरुषके नामके साथ मेरा नाम जोड़ा जाना मैं अपने लिअे सबसे बड़ी अिज्जत समझता हूं। और मुझे दी गअी सजाके मामलेमें तो मैं जरूर मानता हूं कि कोअी भी न्यायाधीश मुझे जो हलकीसे हलकी सजा दे सकता है वह मुझे दी गअी है। और हां, जो कार्रवाअी हुअी है अुसके बारेमें मुझे अितना जरूर कहना चाहिये कि यहां जो शिष्टता दिखाअी गअी अुससे अधिककी आशा नहीं रखी जा सकती थी।

'यावत्पुनर्दर्शनम्'

सजा देकर न्यायाधीश महोदयने छुट्टी पाअी। अिस बीच पुलिस कर्मचारी भी बाहर चले गये, ताकि महात्माजी सबसे मिलजुल लें तो फिर अुन्हें ले जानेका प्रबंध किया जाय। अिसके बाद तो जहां न्यायालय था वहां देवालय बन गया। जिस कृत्यको सरकारी अदालतने अपराध ठहराया अुसीको करनेके लिअे छोटे-बड़े सभीने महात्माजीके पैर छुअे। अदालतके कर्मचारी और सरकारी वकील तकने अुनके पैर छुअे! जो विचार महात्माजीके हैं वही आज करोड़ों भारतवासी रखते हैं, फिर भी सरकारने अिस अेक ही पुरुषको क्यों बन्दी बनाया होगा, अिसका विचार हमें करना चाहिये। महात्माजीके मेरु समान धैर्यसे अधिकांशको धीरज बंधा, फिर भी कितनी ही आंखें प्रेम-भीनी तो हुअीं ही। कुछ लोगोंके लिअे महात्माजीकी वाणी अंतरात्माकी आवाजके समान थी। वे भावनावश हुअे बिना कैसे रह सकते थे? परन्तु यह भावना दुर्बलताका दुःख नहीं था, वह तो प्रेमका द्रव था। सैकड़ों लोगोंमें अकेले महात्माजी ही खुशीसे फूले हुअे दिखाअी देते थे। वे सबको आश्वासन दे रहे थे; और खूब काम करने, मेलजोलसे रहने, चरखा चलाने तथा खादी पहननेको कह रहे थे। अुनके नेतृत्वमें काम करनेवालोंने अुनके आशीर्वाद प्राप्त किये। रास्ते चलनेवाले लोग बाहरसे दौड़कर आये और अुनके पैरोंमें पड़े। महात्माजीने सबको शांति रखने और केवल खादी ही पहननेका अुपदेश दिया। बहुत समयके बाद अेक

मोटर आअी, मोटर पर पीतलकी अेक राजहंसकी मूर्ति थी। महात्माजी मोटरमें जा बैठे। लोगोंने निषेध होने पर भी लंबी आदतके कारण अुनकी जय बोली और महात्माजी जेलकी तरफ बिदा हुअे।

गांधीजीकी 'जय'

महात्माजीको सजा हो गअी। ६ बरसकी सजा हुअी। न्यायाधीश महोदयने आशा प्रगट की है कि देशमें अैसी स्थिति पैदा हो जिससे सरकार अुन्हें जल्दी छोड़ सके। हम भी यह चाहते हैं कि देशमें अैसी स्थिति अुत्पन्न हो जिससे सरकारको अुन्हें छोड़ना पड़े। परंतु हमारा आशय दूसरा है। हम हिम्मत हारें, अन्तरात्माको धोखा दें, पापको पुण्य कहें और पेटके बल चलें, तो जरूर सरकार महात्माजीको छोड़ देगी। परंतु वह भारतमाताके लिअे मार्मिक आघात हो जायगा। हम दंगे करें तो वह महात्माजीका द्रोह करनेके बराबर होगा। अुत्पात करें और महात्माजीकी जय बोलें तो वह जय नहीं परन्तु क्षय है। महात्माजीको छुड़वानेका —सम्मानके साथ छुड़वानेका— और महात्माजीके साथ भारतमाताको मुक्त करवानेका अेक ही अुपाय है और वह यह है कि हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सिख, अीसाअी, यहूदी वगैरा सब जातियां अेक होकर महात्माजीके उपदेशके अनुसार चरखेका सेवन करें, खादी ही पहनें और शांति बनाये रखकर प्रेमके प्रवाहसे वैर और अविश्वासकी अग्निको बुझा डालें। महात्माजी तो मूर्तिमान शांति, प्रेम और सत्य हैं।

(नवजीवन, १८–३–'२२ सायंकालके अंकसे)

५

राजद्रोहात्मक लेख

[गांधीजी और भाअी शंकरलाल पर चलाये गये मुकदमेमें गांधीजी द्वारा 'यंग अिंडिया' में लिखे गये जो तीन लेख 'राजद्रोहात्मक' बता कर पेश किये गये थे वे नीचे दिये जाते हैं।]

१. राजद्रोह

[नवजीवन, २–१०–'२१]

बम्बअीके गवर्नर साहबने कुछ समय पहले जनताको चेतावनी दी थी कि वे खेल छोड़कर ठोस बात कह डालना चाहते हैं। और जो भाषण आजकल हो रहे हैं अुन्हें अब अधिक समय तक बरदाश्त करनेको वे हरगिज तैयार नहीं हैं।

अलीभाअियों और दूसरे लोगों पर मुकदमा चलानेसे संबंधित सरकारी विज्ञप्तिमें अुन्होंने अपने कहनेका अर्थ स्पष्ट कर दिया है। अलीभाअियों पर सेनाके सिपाहियोंको सरकारके प्रति वफादारीसे विचलित करने और राजद्रोहात्मक भाषण करनेके अभियोग पर मुकदमा चलेगा।

मुझे कहना चाहिये कि मुझे स्वप्नमें भी खयाल नहीं था कि बम्बअीके गवर्नरमें अितना अज्ञान भरा होगा। कहना पड़ता है कि गवर्नर महोदयने भारतके अितिहासके पिछले बारह महीनोंके क्रमका अवलोकन ही नहीं किया। मालूम होता है अुन्हें यह पता नहीं कि राष्ट्रीय कांग्रेसने पिछले सालके सितंबर महीनेसे, केन्द्रीय खिलाफत कमेटीने अुससे पहले और मैंने तो अुसके भी पहलेसे फौजके सिपाहियोंको वफादारीसे विचलित करनेके प्रयत्न शुरू कर दिये थे। क्योंकि मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह बात कहनेका यश अथवा अपयश सबसे पहले मेरा ही है कि फौजके सिपाहियोंको और दूसरे प्रत्येक विभागके नौकरोंको खुले रूपमें यह कहनेका भारतको अधिकार है कि अिस सरकारकी किसी भी तरहकी सेवा करनेवाला अिस सरकारके हाथों होनेवाले पापोंका हिस्सेदार बनता है। कराचीमें हुअे खिलाफत सम्मेलनके लिअे तो यही कहा जा सकता है कि अुसने कांग्रेसकी घोषित बातका अिस्लामकी भाषामें केवल अनुवाद ही किया है।

अिस्लामकी तरफसे बोलनेका अधिकार तो अिस्लामके आलिमों या अुलेमाओंको ही हो सकता है। परन्तु हिन्दू धर्मकी तरफसे और भारतीय राष्ट्रधर्मकी ओरसे तो मैं जरा भी संकोच किये बिना कह सकता हूं कि जिस सरकारने भारतके मुसलमानोंके साथ विश्वासघात किया है और जो पंजाबके अमानुषिक अत्याचारोंकी अपराधिनी है, अुसकी फौजी या मुल्की किसी भी प्रकारकी नौकरी करना प्रत्येक भारतीयके लिअे महापातक है। यह बात मैं अनेक सभाओंमें सिपाहियोंके सामने कह चुका हूं। और यदि अितने दिनों तक मैंने प्रत्येक सिपाहीसे व्यक्तिगत अनुरोध करके सरकारकी नौकरी छोड़ देनेके लिअे नहीं कहा, तो अिसका कारण यह नहीं कि मैं अैसा चाहता नहीं हूं, परंतु अितना ही है कि आज मेरे पास अुन्हें आजीविका देनेका साधन नहीं है। अलबत्ता, ये सिपाही अगर कांग्रेस अथवा खिलाफत कमेटीकी सहायताके बिना स्वयं अपना गुजर कर सकते हों, तो मैं अुनसे अेक क्षणका भी विलम्ब किये बिना सरकारी नौकरीसे निकल जानेके लिअे कहनेमें नहीं हिचकिचाअूंगा।

और मैं अितना भी विश्वास दिलाता हूं कि जिस क्षण चरखा प्रत्येक घरमें स्थायी स्थान प्राप्त कर लेगा और यह बात भारतवासियोंके दिलमें जम जायगी कि हरअेक आदमी कपड़ा बुनकर जब चाहे तब निर्मल आजीविका प्राप्त कर सकता है, अुसी क्षण गोलियोंसे छेद दिये जानेका खतरा मोल लेकर भी मैं प्रत्येक फौजी सिपाहीसे अपनी बन्दूक नीचे रखकर जुलाहा बन जानेके लिअे कहनेमें नहीं चूकूंगा। कारण, क्या भारतीय सैनिकका अुपयोग भारतको गुलामीमें ही रखनेके काममें नहीं हुआ? क्या जलियानवाला बागमें निर्दोष लोगोंकी हत्या करनेमें अुन्हींका अुपयोग नहीं किया गया? क्या चांदपुरमें अुस घोर रात्रिमें निर्दोष मजदूर स्त्री-पुरुषों और बालकोंको निर्दयतासे निकाल बाहर करनेमें अुन्हींका अुपयोग नहीं हुआ? मैसोपोटेमियाके गरवीले अरबोंको अधीन करनेमें क्या अुन्हींका अिस्तेमाल नहीं किया गया? क्या मिस्रवासियोंको कुचल डालनेमें भारतीय सिपाहियोंको ही काममें नहीं लाया गया?

अैसी स्थितिमें जरा भी अिन्सानियत रखनेवाला कौनसा हिन्दुस्तानी अथवा अपने दीनका कुछ भी अभिमान रखनेवाला कौनसा मुसलमान अलीभाअियोंसे भिन्न किसी भावनाको अपने हृदयमें स्थान दे सकता है? सचमुच ही भारतीय सिपाहियोंका अुपयोग दीनों और दुर्बलोंकी स्वतंत्रता और प्रतिष्ठाके रक्षकोंकी अपेक्षा किरायेके घातकोंके रूपमें ही अधिक बार हुआ है। सरकारके गोरे सैनिक अथवा काले सिपाही मलाबारमें न पहुंच गये होते तो क्या दशा होती, अिसका वर्णन करके गवर्नर महोदयने हमारी हीनसे हीन मनोवृत्तिको पोषित करनेका प्रयत्न किया है। मैं तो अुन्हें बता देना चाहता हूं कि सरकारी सिपाहियोंकी मददके बिना मलाबारके हिन्दुओंकी आजकी अपेक्षा अच्छी ही अवस्था होती। हिन्दू-मुसलमान दोनोंने मिलकर मोपलोंको शान्त कर दिया होता; अंग्रेज न होते तो शायद खिलाफतका सवाल ही खड़ा न हुआ होता और मोपलोंका अुत्पात भी न हुआ होता। और बुरेसे बुरा अनुमान भी कर लें कि मुसलमान मोपलोंके साथ मिल गये होते, तो भी अुस स्थितिमें हिन्दू या तो अपने अहिंसा-धर्म पर निर्भर रहे होते और हरअेक मुसलमानको मित्र बना लेते या अुनके पौरुषकी परीक्षा हो जाती।

गर्वनर महोदयने अिस प्रकार हिन्दू और मुसलमानोंके बीच फूट डालनेका प्रयत्न करके अपना वजन खोया है। और अपना हेतुको (वह कुछ भी हो) भ्रष्ट किया है। अितना ही नहीं परन्तु अुन्होंने अपनी विज्ञप्ति द्वारा यह सूचित

करके कि हिन्दू अितने नामर्द हैं कि वे अपने देश, धर्म या कुटुम्बके लिअे मरनेमें भी असमर्थ हैं, हिन्दुओंका अपमान किया है । और यदि गवर्नर महोदयकी धारणा सही हो, तब तो अैसी हिन्दू जाति दुनियासे जितनी जल्दी मिट जाय अुतना दुनियाका लाभ है। परन्तु साथ ही मैं गवर्नर महोदयसे यह भी कह दूं कि अुन्होंने आजके हिन्दुस्तानियोंको लुटेरोंके हाथों (फिर वे मोपले मुसलमान हों अथवा आरेके अुत्तेजित हिन्दू हों) अपने घरबार बचाने योग्य पौरुषसे भी विहीन मानकर ब्रिटिश हुकूमतकी आबरू पर अपने हाथों ही कुल्हाड़ी मारी है।

अलीभाअियोंके खिलाफ गवर्नर महोदयका राजद्रोह-संबंधी आरोप भी अुन भाअियों पर लगाये गये सेनाको अुकसानेके आरोपसे कुछ ही कम अक्षम्य है। कारण, गवर्नर महोदयको पता होना चाहिये कि मौजूदा सरकारके विरुद्ध अप्रीति फैलाना तो कांग्रेसका धर्म ही हो गया है। प्रत्येक असहयोगी कानूनके जोरसे स्थापित सरकारके विरुद्ध अप्रीति फैलानेके लिअे बंधा हुआ है। असहयोग मूलमें धार्मिक और केवल नैतिक आन्दोलन होने पर भी मौजूदा शासन-तंत्रको जान-बूझकर अुलट देना चाहनेवाली प्रवृत्ति है । और अिसलिअे भारतीय दंड विधानकी दृष्टिसे वह बेशक राजद्रोहात्मक प्रवृत्ति है।

परन्तु यह कोअी नअी खोज नहीं है । लार्ड चेम्सफोर्डको अिसका पता था, लार्ड रीडिंग भी अिस बातसे परिचित हैं । बम्बअीके गवर्नर महोदयको अिसका पता न हो, यह कैसे माना जा सकता है? दोनों पक्षोंने अिस बातको स्वीकार किया था कि जब तक अिस आन्दोलनको हिंसासे दूर रखा जायगा, तब तक सरकार अुसमें दखल नहीं देगी।

परन्तु यहां कोअी यह कह सकता है कि जब सरकारको यह मालूम हो जाय कि यह प्रवृत्ति अुसके सारे तंत्रको ही खतरेमें डाल देने जैसी विशाल हो गअी है, तब क्या अुसे अपनी नीति बदल डालनेका अधिकार नहीं है? जरूर है। मैं अुसके अिस अधिकारसे अिनकार नहीं करता। माननीय गवर्नरकी विज्ञप्ति पर मेरा अितना ही अेतराज है कि अुसकी भाषा अैसी रखी गअी है कि अनजान लोगोंको शायद यही खयाल होगा कि फौजी सिपाहियोंकी वफादारीको विचलित करने अथवा राजद्रोह फैलानेके नये ही अपराध अलीभाअियोंने किये हैं और गवर्नर महोदयका ध्यान अिस ओर पहली ही बार आकर्षित हुआ है।

कांग्रेस और खिलाफत दोनोंके कार्यकर्ताओंका कर्तव्य तो स्पष्ट ही है। हम सरकारसे कुछ भी राहत नहीं मांगते; अिसी तरह यह अपेक्षा भी नहीं रखते

कि वह कोअी राहत देगी। हम सरकारके पास यह आश्वासन भी मांगने नहीं गये थे कि जब तक हम समझौता भंग न करें तब तक हमें जेल न भेजा जाय। आज सरकार हमें राजद्रोहके लिअे जेल भेजे तो हम हरगिज शिकायत नहीं करेंगे।

अिस प्रकार हमें हमारा स्वाभिमान और हमारी प्रतिज्ञा यह सिखाते हैं कि हम शान्त, स्थिर और अहिंसापरायण रहें। हमने अपना मार्ग निश्चित कर लिया है। हम हजारों सभायें करके अलीभाअियोंके फौजी सिपाहियों संबंधी वचनोंकी बार बार घोषणा करें और जब तक सरकार हमें पकड़ना ठीक समझे, तब तक खुले और व्यवस्थित रूपमें अिस सरकारके विरुद्ध अप्रीति फैलायें। यह सब हम अुत्तेजित होकर अथवा वैरबुद्धिसे नहीं, परन्तु अपना धर्म समझ कर ही करें। जैसे अलीभाअियोंने खादी धारण की, वैसे हम भी अेक अेक आदमी खादी धारण करें और स्वदेशी धर्मका प्रचार करें। मुसलमान स्मर्नाके लोगोंकी रक्षाके लिअे और टर्कीकी सहायताके लिअे चन्दा करें। स्वराज्यकी स्थापना और खिलाफत तथा पंजाबके अन्यायोंके निवारणके लिअे अलीभाअियोंकी तरह ही हम भी हिन्दू-मुस्लिम-अेकता और अहिंसाका पवित्र सन्देश घर घर पहुंचायें।

हमारी लड़ाअीमें अब परीक्षाका मुहूर्त आ पहुंचा है। जो रोगी नाजुक घड़ी पार कर गया वह निर्भय हो गया। अेक तरफ यदि हम संकटके समय पहाड़की तरह अचल रहेंगे और दूसरी तरफ संपूर्ण संयम रखेंगे, तो हम अिसी वर्ष अपने ध्येय तक पहुंच जायेंगे, अिस बारेमें मेरे मनमें तनिक भी शंका नहीं है।

२. वाअिसरॉयकी परेशानी

[नवजीवन, १५–१२–'२१]

वाअिसरॉय महोदय परेशानीमें पड़ गये हैं। कलकत्तेके 'ब्रिटिश अिंडियन अेसोसियेशन' तथा 'बंगाल नेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स' के मानपत्रोंके अुत्तरमें अुन्होंने कहा है कि, 'मैं अिस देशमें आया अुसी दिनसे यहांके प्रश्नोंका परिश्रम-पूर्वक अध्ययन करता आया हूं। फिर भी जब मैं लोगोंके अेक विशेष भागकी हलचलोंका विचार करने लगता हूं, तब सचमुच मेरी बुद्धि चक्करमें पड़ जाती है। मेरी समझमें नहीं आता कि सरकारको चुनौती देने तथा अुसे गिरफ्तारी पर मजबूर करनेके लिअे कानूनका अिस तरह खुल्लमखुल्ला भंग करनेसे क्या हाथ लगेगा?' अिसका अेक जवाब तो पंडित मोतीलालजीने जब वे पकड़े गये तब यह कह कर दे ही दिया है कि, 'मैं स्वतंत्रताके मंदिरमें जा रहा हूं।'

हम गिरफ्तार होना और जेल जाना अिसीलिअे चाहते हैं कि अिस समयकी यह कथित आजादी निरी गुलामीके सिवा और कुछ भी नहीं है।

हम अिस बलशाली सरकारकी सत्ताको चुनौती अिसलिअे दे रहे हैं कि अिसकी प्रवृत्तिको हम केवल दुष्ट और अमंगल मानते हैं। हम अिस सरकारको अुलट देना चाहते हैं और अुसे जनताकी अिच्छाके आगे झुकनेको विवश कर देना चाहते हैं। हम बता देना चाहते हैं कि सरकारका अस्तित्व जनताकी सेवाके लिअे है; जनताका अस्तित्व सरकारके लिअे नहीं है। अिस सरकारकी हुकूमतमें मनुष्यके लिअे मुक्त रहना अब असह्य हो गया है, क्योंकि मुक्त रहनेके लिअे जो कीमत चुकानी पड़ती है वह हदसे ज्यादा है। हम अगणित हों या अेक ही हों, परन्तु स्वाभिमान खोकर अथवा अपने प्रिय सिद्धांतोंके मूल्य पर अैसी स्वतंत्रता लेनेसे हम साफ अिनकार करते हैं। छोटे बच्चोंको भी जब अुनके निश्चित हेतुमें — भले मां-बापकी नजरमें वह तुच्छ हो — कोअी बाधक होता है, तब हठीले कहला कर भी अपने हेतु पर दृढ़तासे डटे रहते मैंने देखा है।

वाअिसरॉय महोदयको साफ समझ लेना चाहिये कि असहयोगियोंने सरकारके विरुद्ध लड़ाअी छेड़ दी है। अुन्हें समझना चाहिये कि चूंकि सरकारने मुसलमानोंके साथ विश्वासघात किया है, पंजाबकी बेअिज्जती की है और आज वह अपनी अिच्छा लोगों पर लादनेका दुराग्रह करके अपने किये हुअे प्रहारकी क्षतिपूर्ति करने और पंजाब पर किये गये अन्यायोंका प्रायश्चित्त करनेसे अिनकार कर रही है, अिसलिअे अुस सरकारके विरुद्ध असहयोगियोंने विद्रोह घोषित किया है।

लोगोंके सामने दो मार्ग खुले थे : अेक, सशस्त्र बलवा और दूसरा शांतिमय बगावत। अिन दोनोंमें से असहयोगियोंने — कुछने कमजोरीके कारण तो कुछने बलके परिणामस्वरूप — शांतिका अर्थात् स्वयं दुःख सहन करके आत्मयज्ञ करनेका — बलिदानका — मार्ग ग्रहण किया है।

यदि लोग अिस आन्दोलनमें असहयोगियोंके साथ होंगे, तो या तो सरकारको झुकना पड़ेगा या मिट जाना पड़ेगा। यदि लोग असहयोगियोंके सहायक नहीं बनेंगे, तो अुन्हें कमसे कम अपनी स्वतंत्रता न बेचनेका संतोष तो मिलेगा ही। तलवारकी लड़ाअीमें ज्यादातर विरोधीका अधिक खून बहा सकनेवाले पक्षकी जीत होती है। शान्ति और आत्मत्यागका मार्ग लोकमतको शिक्षित करनेका छोटेसे छोटा रास्ता है और अिसलिअे अुसकी जीत दुनियाकी दृष्टिमें सत्यकी

जीत होती है। कानूनकी अदालतोंके वातावरणमें बड़े हुअे लार्ड रीडिंग सत्ताके प्रति अैसे शान्त विरोधकी कद्र नहीं कर सकते। परन्तु वे अिस आन्दोलनके पूरे होने तक सीख जायंगे कि न्यायकी अदालतोंसे भी अेक बड़ी अदालत होती है। वह अदालत अंतरकी आवाजकी है और वह अन्य सब अदालतोंसे अूपरकी अदालत है।

वाअिसरॉय महोदय जेल जानेवाले सब लोगोंको पागल और अपना हित न समझ सकनेवाले माननेको स्वतंत्र हैं। अिसलिअे अुन्हें अुन लोगोंको हानिकारक मार्गसे हटानेका भी हक है। यह व्यवस्था अिन पागलोंके लिअे सर्वथा अनुकूल है। और यदि सरकारके लिअे भी वह अनुकूल हो तो फिर पूछना ही क्या? अिसके बराबर सुन्दर स्थिति तो और कोअी है ही नहीं। यदि असहयोगी अपने-आप जेल मांग लेनेके बाद कैद होनेमें आनाकानी करते हों, क्षुब्ध होते हों, कतराते हों अथवा, जैसा लालाजीने कहा, सरकारसे दया अथवा रहमकी याचना करने लग जायं, तो बेशक वाअिसरॉय महोदयको शिकायतका मौका हो सकता है। असहयोगीका बल तो कोअी शिकायत न करके जेल जानेमें है। जान-बूझकर जेल चाहनेके बाद मांगी हुअी चीज मिलने पर यदि वह भुनभुनाने लगे, तो वह अपनी बाजी ही हार जाता है।

वाअिसरॉय महोदयने अपने भाषणमें दूसरी जो धमकियां दी हैं वे अशोभनीय हैं। यह लड़ाअी अन्त तककी है। पशुबलकी जीत होती है या लोकमतकी, अिस प्रश्नका अंतिम निर्णय कर लेनेका यह आन्दोलन है; और जो पशुबल पर लोकमतकी जीत सिद्ध करनेका बीड़ा अुठाकर अिस लड़ाअीमें पड़े हैं, वे पशुबलके सामने छाती खोलकर खड़े रहनेका निश्चय कर चुके हैं — वे अपने मतोंको छोड़ देनेके लिअे हरगिज तैयार नहीं हैं।

३. हुंकार

[नवजीवन, २६–२–'२२]

मौलाना अबुल कलाम आजादने अपने महान सन्देशमें ठीक ही कहा है कि असहयोगी कैदियोंकी रिहाअी करानेके मोहमें फंसकर सरकारके साथ असमय समझौतेकी बात छेड़ना अभी बिलकुल अनुचित है, क्योंकि सरकार या जनता दोनोंमें से अेक भी अभी कोअी समझौता करनेकी मनोदशामें नहीं है।

और ब्रिटिश सिंह जब तक हमारे सामने अपना खूनी पंजा अुठाकर गुर्राना जारी रखता है, तब तक किसी समझौतेकी अपेक्षा रखी ही कैसे जा सकती है? लार्ड बर्कनहेड पार्लियामेण्टमें कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिये कि ब्रिटिश जाति

अभी तक वैसी ही मजबूत है और अुसके हाथ-पैर मजबूत हैं। मि० माण्टेग्यू किसी लाग-लपेटके बिना हमसे कह रहे हैं कि ब्रिटिश जाति दुनियाकी सबसे निश्चयी जाति है; अुसके अिरादोंमें दखल देनेवाला नुकसान अुठायेगा। पार्लियामेण्टमें हुअे भाषणोंके जो तार आये हैं, अुनमें माण्टेग्यू साहबके मुंहके शब्द ये हैं :

> "यदि हमारे साम्राज्यकी हस्तीके विरुद्ध कोअी अुठेंगे, यदि भारत-सम्बन्धी दायित्व अदा करनेमें ब्रिटिश सरकारके रास्तेमें कोअी रुकावट डालेंगे और अिस भ्रममें पड़कर कि हम भारतसे चुपचाप चले जायेंगे कोअी मनमानी मांगें पेश करेंगे, तो अैसा करनेवाले नुकसान अुठायेंगे। दुनियामें अिस अत्यन्त निश्चयी जातिको चुनौती देकर वे जीतनेकी आशा नहीं रख सकते और अैसे लोगोंको ठिकाने लानेके लिअे ब्रिटिश जाति अेक बार फिर अपना सारा पौरुष और निश्चयीपन दिखायेगी।"

लार्ड बर्कनहेड और मि० मांटेग्यू दोनोंको पता नहीं है कि समुद्र पारके देशोंसे जितने आदमियोंको लाकर यहां अुतारा जा सकता हो अुतने सभी 'मजबूत हाथ-पैरवालों' का स्वागत करनेके लिअे आज हिन्दुस्तान तैयार है। और चुनौती तो ब्रिटिश जातिको आज नहीं परन्तु १९२० की कलकत्तेकी कांग्रेस अुसी दिन दे चुकी है, जब खिलाफत, पंजाब और स्वराज्यकी त्रिविध मांग पूरी कराये बिना चैन न लेनेका जनताका निश्चय घोषित किया गया था। अिसमें साम्राज्यकी हस्तीको जरूर चुनौती है। और यदि ब्रिटिश साम्राज्यके आजकलके रक्षक भलमनसाहतसे अिच्छानुसार अलग हो जानेके अधिकारवाली स्वतंत्र जातियोंका अैसा राष्ट्रसंघ बना देनेको तैयार न हों, जिसमें समान अधिकारोंवाले हिस्सेदार मित्र शराफतके साथ अेक-दूसरेसे अलग हो सकें, तो यह भी निश्चित समझना चाहिअे दुनियाकी 'सबसे निश्चयी जाति' का यह सारा पौरुष और निश्चयीपन तथा अुसके 'मजबूत हाथ-पैरों' का हिन्दुस्तानके अजेय और अभेद्य निश्चयको कुचलनेका सारा प्रयत्न मिट्टीमें मिलनेवाला है। भारतकी भातखाअू दुर्बल जनताने अब अधिक समय किसीके भी संरक्षणमें रहे बिना और शस्त्र तक हाथमें लिये बिना अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करनेका निश्चय कर लिया मालूम होता है। स्वर्गीय लोकमान्यके शब्दोंमें कहें तो अुसे वह अपना 'जन्मसिद्ध' अधिकार समझती है और चाहे जितने 'मजबूत हाथ-पैर'-वालोंके विरुद्ध अुसे जूझना पड़े और चाहे जितने पौरुष और निश्चयीपनसे टक्कर लेनी पड़े, तो भी अुस जन्मसिद्ध अधिकारको सिद्ध कर दिखानेकी अुसकी टेक है।

मि० मांटेग्यू या लार्ड बर्कनहेडकी अुद्धतताका जवाब हिन्दुस्तान अुद्धततासे हरगिज नहीं देगा। परन्तु यदि हिन्दुस्तान अपनी प्रतिज्ञाके प्रति वफादार रहेगा, तो अिस बलाके पंजेसे छुड़वानेकी अुसकी प्रार्थनाकी सुनवाअी अीश्वरके यहां हुअे बिना हरगिज नहीं रहेगी। सत्ताके मदसे और दुर्बल जातियोंकी लूटसे मदांध बना हुआ कोअी भी साम्राज्य आज तक दुनियामें बहुत समय तक नहीं टिका; और यदि संसार पर कोअी न्यायपरायण अीश्वर राज्य कर रहा हो, तो अिस 'ब्रिटिश-साम्राज्य' को, जो दुनियाकी शरीर-बलमें कमजोर जातियोंको व्यवस्थित रूपसे चूसने और सदा पशुबलके ही जोर पर सब जगह अपना दौर चलानेके सिद्धांत पर खड़ा हुआ है, धूलमें मिलनेके सिवा और कोअी चारा नहीं। क्या ब्रिटिश जनताके अिन कथित प्रतिनिधियोंको पता है कि अुनके अिन 'मजबूत हाथ-पैर'-वाले अंग्रेजोंको अपनी मनचाही करनेके लिअे अितने थोड़े समयमें भी भारत अपने कितने सपूत दे चुका है?

और चौरीचौरा की अशुभ घटनाने भारतीय राष्ट्र द्वारा आरंभ किये हुअे अिस यज्ञमें विघ्न न डाला होता, तो वह ब्रिटिश सिंह देखता कि अुसके सामने भारत शुद्ध और सुस्वादु शिकारोंके कितने ढेर लगा सकता है। परन्तु प्रभुको यह स्वीकार नहीं था।

परन्तु डाअुनिंग स्ट्रीट और व्हाअिट हालके ब्रिटिश प्रतिनिधियोंको अिससे निराश होनेका जरा भी कारण नहीं। अुनके लिअे अपना पौरुष पूरी तरह आजमा लेनेके रास्ते खुले हैं। मैं जानता हूं कि समुद्र पारसे आनेवाली अिस अुद्धत धमकीके विषयमें मैं कड़ी भाषाका प्रयोग कर रहा हूं, परन्तु ब्रिटिश जातिको भी अेक बार अंतिम रूपमें यह जान लेना जरूरी है कि १९२० से आरंभ की गअी यह भारतकी लड़ाअी अब आखिरी लड़ाअी है। फिर वह महीना भर चले या बरस भर चले या बहुत महीने चले या बहुत बरस तक चले; अथवा फिर ब्रिटेनके प्रतिनिधि अुसमें १८५७ के विद्रोहके समयके सभी अकथनीय अत्याचार दुहरायें या अुसे भुला देनेवाले दूसरे अत्याचार ढूंढ़ें या कुछ न करें। मैं तो दिन-रात प्रभुसे अितनी ही याचना करता हूं कि हे अीश्वर! अिस लड़ाअीमें तू हिन्दुस्तानको अंत तक अहिंसापरायण और नम्र बने रहनेकी शक्ति दे। वैसे, अवसर देखकर समय समय पर समुद्र पारसे भेजी जानेवाली अैसी अुद्धत धमकियोंके सामने गुलाम बनकर रहना तो हिन्दुस्तानके लिअे अब बिलकुल असंभव वस्तु है।

अनुक्रमणिका

प्रकाशकका निवेदन ३

प्रास्ताविक

१. गिरफ्तारीका ब्यौरा ५

२. अदालतमें ६

३. अितिहासकी पुनरावृत्ति ९

४. गांधीजीका लिखित बयान १४

५. राजद्रोहात्मक लेख

(१) राजद्रोह २३

(२) वाअिसरॉयकी परेशानी २७

(३) हुंकार २९

१. यात्रा ३

२. कुछ कर्मचारी ७

३. कुछ भयंकर परिणाम ११

४. 'राजनीतिक' कैदी १५

५. सुधारकी सम्भावना २०

६. अुपवासकी शास्त्रीय चर्चा २७

७. सत्याग्रही कैदीका व्यवहार ३३

८. जेलका अर्थशास्त्र ३६

९. कुछ कैदी वार्डर – १ ४०

१०. कुछ कैदी वार्डर – २ ४४

११. कुछ कैदी वार्डर – ३ ४७

१२. मेरा पठन – १ ५२

१३. मेरा पठन – २ ५९

१४. मेरा पठन – ३ ६४

परिशिष्ट ६७

यरवडाके अनुभव

१

यात्रा

पाठक जानते हैं कि मैं पुराना जेलयात्री हूं। १९२२ के मार्च मासमें मैं जेल गया तो कोओी अपनी जिन्दगीमें पहली बार नहीं गया। दक्षिण अफ्रीकामें मैं तीन बार अपराधी ठहराया जा चुका था। और दक्षिण अफ्रीकाकी सरकार अुस समय मुझे अेक खतरनाक कैदी मानती थी, अिसलिअे मुझे अेक जेलसे दूसरी जेलमें घुमाया गया था। और अुससे मुझे जेल-जीवनका अनुभव भी काफी हो गया था। हिन्दुस्तानमें जेल जानेसे पहले मैं छह जेलोंका अनुभव कर चुका था और अुतने ही सुपरिन्टेन्डेन्टों और अुनसे अधिक जेलरोंसे मेरा वास्ता पड़ चुका था। अिसलिअे जब १० मार्चकी सुन्दर रात्रिमें भाओी बैंकरके साथ मुझे साबरमती जेल ले जाया गया, तब कोओी नया और अनसोचा अनुभव होने पर मनुष्यको जो अटपटापन लगता है वह अटपटापन मुझे नहीं लगा। मुझे तो लगभग यही खयाल हुआ कि प्रेमकी अधिक विजय प्राप्त करनेके लिअे मैं अेक घर बदलकर दूसरे घर जा रहा हूं।

जानेकी तैयारी तो जेल जानेके बजाय किसी वन-भोजनकी तैयारी ही अधिक थी। सज्जन पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट मि० हीलीने आश्रममें न आकर अनसूयाबहनके द्वारा संदेश भेजा कि वे मुझे पकड़नेका वारंट लेकर आश्रमके दरवाजे पर मुझे मोटरमें ले जानेके लिअे प्रतीक्षा कर रहे हैं। अुन्होंने मुझे यह भी कहलवाया था कि तैयार होनेके लिअे मैं अपनी अिच्छानुसार समय ले सकता हूं। भाओी बैंकरको अहमदाबाद वापस जाते हुअे मि० हीली रास्तेमें ही मिल गये और अुन्हें वहीं पकड़ लिया गया। अनसूयाबहनकी दी हुओी खबरके लिअे मैं तैयार ही था। सच कहूं तो सभी यह मानते थे कि वारंट आने ही वाला है। अुसकी खासी प्रतीक्षा करनेके बाद थककर सबको सोनेके लिअे कह दिया गया था और मैं भी सोनेकी ही तैयारीमें था। अुसी दिन शामको अजमेरसे अूबानेवाली यात्रा करके मैं वापिस आया था। वहां मुझे अत्यंत विश्वस्त समाचार मिले थे कि मुझे पकड़नेके लिअे अजमेर वारंट जरूर भेजा गया था। परन्तु वहांके अधिकारी वारंटकी तामील करनेमें हिचके, क्योंकि जिस दिन वारंट अजमेर पहुंचा अुसी दिन मैं अहमदाबाद लौटनेके लिअे निकल पड़ा था।

असलिअे अंतमें जब वारंटकी खबर आअी तब हम सब निश्चिंत हुअे। मैंने अपने साथ अेक अधिक कच्छ, दो कम्बल और पांच पुस्तकें —— भगवद्गीता, आश्रम-भजनावलि, रामायण, कुरानका रॉडवेलका भाषांतर और कैलिफोर्नियाकी अेक पाठशालाके विद्यार्थियों द्वारा मुझे हमेशा अपने साथ रखनेकी अिच्छासे दी हुअी गिरि-प्रवचनकी पुस्तक —— ले लीं। जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट खानबहादुर नसरवानजी वाच्छाने हमारा प्रेमपूर्ण स्वागत किया और हमें अेक विशाल स्वच्छ चौकमें स्थित कोठरियोंके अेक ब्लाकमें ले जाया गया। हमें बरामदेमें सोनेकी अिजाजत मिल गअी। कैदियोंके लिअे यह लाभ असाधारण ही कहा जायगा। स्थानकी शांति और संपूर्ण निस्तब्धता मुझे पसन्द आ गअी।

दूसरे दिन सवेरे मुझे प्रारंभिक सुनवाअीके लिअे अदालतमें ले जाया गया। भाअी बैंकर और मैं, दोनोंने निश्चय किया था कि कुछ भी सफाअी न दी जाय, बल्कि सरकारके रास्तेमें कोअी विघ्न डालनेके बजाय अुसकी मदद की जाय। अिसलिअे पहली सुनवाअी जल्दी ही पूरी हो गअी। मामला सेशनके सुपुर्द हुआ। और चूंकि हम तुरंत समन लेनेके लिअे तैयार थे, अिसलिअे सुनवाअी १८ मार्चको रखी गअी। अहमदाबादके लोग अवसरका महत्त्व समझ गये थे। भाअी वल्लभ-भाअी पटेलने कड़ी सूचना प्रकाशित कर दी थी कि अदालतके मकानके आस-पास लोग अिकट्ठे न हों और किसी भी तरहका शोरगुल या अुपद्रव न किया जाय। अिसलिअे अदालतके मकानके भीतर कुछ चुने हुअे दर्शक ही थे। अिससे पुलिसको कोअी मुश्किल नहीं हुअी और मैंने देखा कि अधिकारियोंने भी अिस स्थितिकी अुचित कद्र की।

सुनवाअीसे पहलेका अेक सप्ताह बाहरसे आनेवाले मित्रोंसे मिलनेमें ही गया। आम तौर पर सबसे मिलनेकी छूट थी। और जो पत्रव्यवहार आपत्ति-जनक न हो वह सुपरिन्टेन्डेन्टके मारफत हमें करनेकी अिजाजत थी। जेलके तमाम नियम हम राजी-खुशीसे पालन करते थे, अिसलिअे जेल-कर्मचारियोंके साथ साबरमतीमें हम सात दिन रहे अुस अर्सेमें कोअी झगड़ा नहीं हुआ; अितना ही नहीं, प्रेम-संबंध रहा। खानबहादुर वाच्छाकी सावधानी और सभ्यताका तो पार ही नहीं था। परन्तु हर बातमें अुनका डरपोकपन जाहिर हुअे बिना नहीं रहता था। समय समय पर वे अैसा प्रगट करते मालूम होते थे, मानो भारतमें जन्म लेकर अुन्होंने कोअी अपराध किया हो और अनजानमें यह आभास कराते थे कि अगर वे अंग्रेज होते तो हमारे लिअे बहुत कुछ कर सकते थे। भारतीय

होनेके कारण नियमानुसार जितनी सुविधायें दी जा सकती थीं अुतनी देनेमें भी वे कलेक्टर, जेलोंके अिन्स्पेक्टर जनरल और अपने किसी भी अूपरवाले अधिकारीसे भयभीत रहते थे। वे जानते थे कि यदि अेक ओर वे हों और दूसरी ओर कलेक्टर अथवा जेलोंके अिन्स्पेक्टर जनरल हों, तो सेक्रेटरियटमें अुनका समर्थन करनेवाला कोअी भी नहीं मिलेगा। अपनी हीनताका खयाल भूतकी तरह अुन्हें पग-पग पर सताता था। जेलके बाहर जो अनुभव हुआ वह जेलमें जाकर अधिक नहीं तो अुतना ही जरूर सही निकला। कोअी भी भारतीय कर्मचारी अपनी स्वतंत्रताकी रक्षा करनेकी कोशिश नहीं करता — अिसलिअे नहीं कि अैसा करनेकी अुसमें शक्ति नहीं होती, परन्तु अिसलिअे कि अुसके दिलसे पदच्युत कर दिये जानेका नहीं तो दर्जा नीचा कर दिया जानेका घातक भय कभी निकल ही नहीं सकता। नौकरी बनाये रखकर पदवृद्धि प्राप्त करनी हो तो अुसे खुशामद करनेका जोखिम अुठाकर, सिद्धान्तोंका बलिदान करके भी अपने अधिकारियोंको राजी रखना ही पड़ता है। साबरमतीमें जो चित्र देखा अुससे बिलकुल अुलटा यरवडामें, जहां हमें ले जाया गया, देखनेमें आया। वहांके यूरोपीय सुपरिन्टेन्डेन्टको जेलोंके अिन्स्पेक्टर जनरलका कोअी डर ही नहीं था। सेक्रेटरियटमें अुनके बराबर ही अिसका भी प्रभाव था। कलेक्टरको तो वह मानता था कि अुसके काममें हस्तक्षेप करनेका अधिकार ही नहीं है। अपने भारतीय अफसरोंको वह कुछ गिनता ही नहीं था। अिसलिअे जब अुसे अपना फर्ज अदा करना होता, तब अुसे अदा करनेमें वह डरता नहीं था। और जब फर्ज अदा करना मुश्किल मालूम होता, तो अुसे ताकमें रख देनेमें भी वह पीछे नहीं हटता था। अुसे विश्वास था कि आम तौर पर कोअी अुसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। निर्भयताका यह भान जवान यूरोपीय कर्मचारियोंसे कअी बार लोगोंके अथवा सरकारके विरोधके बावजूद करनेकी चीज करा सकता है; और अुसी भानके कारण अुन्होंने अनेक बार तमाम प्रस्तावों और आदेशोंको ताकमें रखकर लोकमतका तिरस्कार किया है।

सुनवाअी और सजाके बारेमें मेरे लिअे कहनेको कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि पाठक अिस विषयमें सब कुछ जानते हैं। केवल न्यायाधीश और अेडवोकेट जनरल सहित सब कर्मचारियोंने हमारे प्रति जो सज्जनता दिखाअी अुसका अुल्लेख करनेकी जरूरत है। अदालतके भीतर और अदालतके आसपास बाहर अेकत्रित थोड़ेसे लोगोंने जो अद्‌भुत संयम दिखाया और जो अपार प्रेम प्रगट

किया था, वह तो स्मृतिसे कभी मिटाया ही नहीं जा सकता। छह वर्षकी सादी कैदकी सजाको मैंने हलकी ही माना, क्योंकि फौजदारी कानूनकी १२४ अ धाराके अनुसार कोअी कार्य यदि वास्तवमें अपराध ही माना जाय और कानूनका पालन करानेवाला न्यायाधीश अुसे अपराध माने बिना न रह सके, तो अुस धाराके अनुसार अधिकसे अधिक सजा देनेका अुसे पूरा हक होता है। मेरा अपराध तो बार बार और जान-बूझकर किया गया था, फिर भी मुझे जो हलकी सजा दी गअी अुसका कारण यह नहीं कि न्यायाधीशने मुझ पर दया की —— क्योंकि दया मैंने मांगी नहीं थी। परन्तु मैं तो अुसका यही कारण दे सकता हूं कि धारा १२४ अ अुन्हें पसन्द नहीं आअी होगी। अमुक कानूनोंके विषयमें अपनी अरुचि कमसे कम सजा देकर प्रगट करनेवाले कअी न्यायाधीश मैंने देखे हैं; वे अिस बातका विचार ही नहीं करते कि अपराध पूरा पूरा हुआ अथवा अिच्छापूर्वक हुआ है। मेरा न्यायाधीश मुझे जो सजा दी गयी अुससे कम सजा दे ही नहीं सकता था, क्योंकि अिसी अपराध पर स्व० लोकमान्यको छह बरसकी सजा हुअी थी।

सजा होते ही हमें पूरी तरह सजा पाये हुअे कैदियोंके रूपमें वापस जेलमें ले जाया गया, परन्तु हमारे प्रति व्यवहारमें कोअी अन्तर नहीं पड़ा। कुछ मित्रोंको तो जेल तक आने दिया गया था। जेलमें विदाअी आदि बड़े आनन्दसे हुअी। मेरी पत्नी और अनसूयाबहन दोनोंने मुझसे अलग होते समय बड़ी हिम्मत दिखायी। भाअी बैंकर तो सारे समय हंसते ही रहे। सब कुछ बहुत शांतिसे निपट गया। और अब कुछ आराम मिलेगा तथा आराम लेते हुअे देशकी सेवा भी होगी, अिस भावसे मुझे भी निश्चिन्तताका अनुभव हुआ और मैंने समझा कि अेक कोनेसे दूसरे कोने तक भागदौड़ करके बड़ी सभायें भरनेसे जितनी सेवा होती है अुससे अधिक सेवा जेलमें होगी। मैं चाहता हूं कि कार्य-कर्ताओंको यह बात समझा सकूं कि अेक साथीके जेल जानेसे साधारण कार्यकी कोअी हानि नहीं होती। हमने कअी बार यह मान्यता प्रगट की है कि बिना कारण भोगा जानेवाला दुःख जिस अन्यायके लिअे वह भोगा जाता है अुसके निवारणका अत्यंत कारगर अुपाय है। यदि हमारा अब भी यही खयाल हो, तब तो हमें प्रतीत हो जाना चाहिये कि अेक साथीके जेल जानेसे कोअी हानि नहीं हुअी। मर्यादा और नम्रताके साथ सहन किये जानेवाले मूक कष्टकी प्रति-ध्वनि जितने कारगर ढंगसे सुनाअी देती है अुतनी और किसी तरह सुनाअी नहीं देती। यही ठोस कार्य है, क्योंकि अिसमें कोअी शोरगुल नहीं है। यही हमेशा

सच्चा है, क्योंकि अिसमें कोअी झूठी जोड़-बाकी नहीं है। अिसके सिवा यदि हम सच्चे काम करनेवाले हों, तो अेक साथीके जानेसे हमारा अुत्साह बढ़ना चाहिये और अुससे हमारी कार्यशक्ति भी बढ़नी चाहिये। जब तक हम यह मानना नहीं छोड़ देते कि अमुककी स्थानपूर्ति करना असंभव है, तब तक हम व्यवस्थित कार्यके लिअे योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि व्यवस्थित कार्यका अर्थ है संघको हुअी क्षतिमें भी काम चालू रखनेकी शक्ति। अिसलिअे मित्रों पर अथवा स्वयं हम पर बिना कारण दुःख आ पड़े तो अुसमें हमें आनंद ही मानना चाहिये और विश्वास रखना चाहिये कि जिस कार्यके लिअे हमने दुःख मोल लिया है, वह यदि सच्चा है तो हमारे दुःखसे अुस कार्यको लाभ ही होगा।

२

कुछ कर्मचारी

शनिवार ता० १८ मार्चको सुनवाअी पूरी हुअी। हमने आशा रखी थी कि साबरमती जेलमें और कुछ नहीं तो कुछ सप्ताह तक जरूर समय चैनसे बीतेगा। हमने यह तो सोचा ही था कि सरकार हमें लंबे समय तक वहां नहीं रहने देगी, परन्तु अचानक हटा दिये जानेके लिअे हम तैयार नहीं थे। पाठकोंको याद होगा कि सोमवार ता० २० मार्चको हमें अेक स्पेशल ट्रेन पर ले जाया गया, जो हमें यरवडा जेल ले जानेके लिअे रखी गअी थी। हमें साबरमतीसे हटायेंगे, अिस बातकी खबर हमें रवाना होनेके अेक घंटे पहले दी गअी। हम जिस कर्मचारीके सुपुर्द थे, अुसकी सभ्यताका पार नहीं था और सारे सफरमें अुसने हमें कोअी असुविधा नहीं होने दी। परन्तु खड़की स्टेशन पर पैर रखते ही हमने परिवर्तन अनुभव किया और किसी न किसी तरह हमें मालूम करा दिया गया कि हम कैदी हैं। कलेक्टर दूसरे दो व्यक्तियोंके साथ गाड़ीकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें कैदियोंकी बंद मोटरमें बिठाया गया। अिस मोटरके दोनों तरफ हवाके लिअे छेद थे और यदि वह अुतनी भद्दी न दिखाअी देती तो अुसे अेक पर्दा-मोटर कहा जा सकता था, क्योंकि बाहरकी कोअी चीज हम देख नहीं सकते थे।

जेलमें हमारा कैसा सत्कार हुआ, भाअी बैंकरको मेरे पाससे किस तरह हटाया गया, अुसके बाद हम किस प्रकार मिले तथा मेरी पहली मुलाकात और

दूसरे दिलचस्प ब्यौरेके लिअे तो मैं पाठकोंसे अिस पत्रमें पहले ही प्रकाशित हो चुका हकीम अजमलखांको लिखा गया मेरा पत्र देखनेकी सिफारिश करता हूं। * कड़वे प्रसंग कम होते गये और अुस समयके सुपरिन्टेन्डेन्ट कर्नल डियलके और हमारे संबंध जल्दी-जल्दी सुधरने लगे। हमारे शरीरकी आवश्यकताओंके लिअे वे बहुत फिक्र रखते थे। परन्तु अुनमें कोअी बात अैसी थी, जो दूसरेको हमेशा खटके बिना न रहती। अुनके मनसे यह बात कभी नहीं निकल सकती थी कि वे सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं और हम कैदी हैं। हम कैदी हैं और वे सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, अिसका हमें सम्पूर्ण भान है, यह मान लेनेको वे तैयार नहीं थे। मैं दावेसे कहता हूं कि हम यह भान किसी भी क्षण नहीं भूले थे कि हम कैदी हैं। अुनके पदके योग्य सम्मान हम अुनका करते थे, अिसलिअे वे अपने पदका हमें बार बार जो ध्यान दिलाते थे वह बेकार था। परन्तु अनेक ब्रिटिश कर्मचारियोंमें जो व्यर्थकी अकड़ देखकर मनुष्यको दुःख होता है वह अिनमें भी थी। अुनकी अिस कमजोरीके कारण कैदियोंके प्रति अुन्हें अविश्वास रहता था।

अपना कथन अधिक स्पष्ट करनेके लिअे अेक मजेदार अुदाहरण यहां दे दूं। मैं आम तौर पर जितना खाता था अुससे अधिक मुझे खाना चाहिये, अिसकी अुन्हें बड़ी चिन्ता थी। वे चाहते थे कि मैं मक्खन खाअूं। मैंने अुन्हें कहा कि मैं केवल बकरीके दूधका ही मक्खन ले सकता हूं। अुन्होंने खास तौर पर हुक्म दिया कि बकरीका दूध तुरंत मंगाया जाय और वह आ गया। परन्तु वह किस चीजके साथ लिया जाय, यह प्रश्न था। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा आटा दीजिये। आटा दिया गया। परन्तु वह अितना अधिक मोटा था कि मुझे पचाना मुश्किल हो जाय। बारीक आटा मंगानेका हुक्म हुआ और मुझे १० सेर आटा दिया गया। यह सारा आटा लेकर मैं क्या करता? मैं अथवा भाअी बैंकर मेरे लिअे रोटी बनाते थे। थोड़े समय बाद मुझे यह महसूस हुआ कि न मुझे आटेकी जरूरत है, न मक्खनकी। अिसलिअे मैंने कहा कि आटा ले जाअिये और मक्खन बन्द कर दीजिये। परन्तु कर्नल डियल क्यों सुनने लगे? जो दे दिया गया सो दे दिया गया। कदाचित् बादमें मेरा खानेको मन हो जाय। मैंने कहा कि सार्वजनिक धन अिस प्रकार व्यर्थ बरबाद होता है। मैंने शांत भावसे अुन्हें समझाया कि जितनी चिन्ता मुझे अपने पैसेकी है अुतनी ही सार्वजनिक धनकी है। अुन्होंने अविश्वासपूर्ण स्मित किया तो मैंने कहा, "सचमुच यह मेरा ही पैसा है।"

---

* यह पत्र आगे परिशिष्टमें दिया गया है।

अुन्होंने तुरन्त अुत्तर दिया, "सरकारी खजानेमें आपने क्या जमा कराया है?" मैंने नम्रतासे अुत्तर दिया, "आप सरकारसे जो वेतन लेते हैं अुसमें से कुछ हिस्सा खजानेमें देते हैं, जब कि मैं तो अपना सब कुछ देता हूं। मेरा श्रम, मेरी बुद्धि, मेरा सर्वस्व।" अुन्होंने खिल-खिलाकर सूचक हास्य किया। परन्तु मैं अुससे अप्रतिभ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा अुसे मैं हृदयसे मानता था। बड़े बादशाही महलोंके सिवा बीस हजार रुपया मासिक लेनेवाले वाअिसरॉय, अुनका वेतन आय-करसे मुक्त न हो तो, अपनी आमदनीके थोड़ेसे भागके बराबर कर चुकाकर सरकारको जितना रुपया देते हैं अुसकी अपेक्षा केवल पेट-भर लेकर सरकारके लिअे मेहनत करनेवाला मेरे जैसा मजदूर सरकारको सच-मुच अधिक देता है। लाखों मजदूर मजदूरी करते हैं, अिसीलिअे वाअिसरॉयको और जिस शासनके वे मुखिया हैं अुसके दूसरे संचालकोंको अुनके वेतन मिल सकते हैं। फिर भी बहुतसे अंग्रेज और भारतीय अीमानदारीसे यह मानते हैं कि वे मजदूरोंकी अपेक्षा सरकारकी—'सरकार' शब्दकी वे कुछ भी व्याख्या करते हों—अधिक सेवा करते हैं और अुसके साथ खुद अपने पारिश्रमिकमें से सरकारको चलानेके लिअे अमुक भाग देते हैं। अपनी अुदारताकी अिस आधुनिक मान्यतासे अधिक बेढंगी भूल अथवा बेहूदा दावा शायद ही कोअी हुआ हो।

परन्तु हम फिर अुस बहादुर कर्नलकी बात पर वापिस आयें। कर्नल डियलके गर्विष्ठ अविश्वासका मैंने जान-बूझकर बढ़ियासे बढ़िया नमूना दिया है। क्या पाठकोंको खयाल भी होगा कि वह आटा मुझे कर्नल डियलके जाने और अुनके स्थान पर मेजर जोन्सके आने तक रख छोड़ना पड़ा था? कर्नल डियलका जेलोंके स्थानापन्न अिन्स्पेक्टर जनरलके रूपमें तबादला हुआ था।

मेजर जोन्स कर्नल डियलसे बिलकुल अुलटे ही थे। जेलमें आये अुसी दिनसे वे कैदियोंके मित्र बन गये। हमारे पहले मिलनका मुझे पूरा पूरा स्मरण है। वे अुचित ठाटबाट सहित कर्नल डियलके साथ आये थे। परन्तु अुनमें अधिकारीपनका जो सम्पूर्ण अभाव था वह दूसरेके जीको ठंडा कर देता था। अुन्होंने मुझे मित्रतासे बुलाया और साबरमती जेलके मेरे साथियोंके बारेमें बातें कीं। मुझसे कहा कि अुन्होंने आपको सलाम कहलवाया है। नियमोंके दृढ़ आग्रही होते हुअे भी वे अपने बड़प्पनका कभी दिखावा नहीं करते थे। अभी तक कोअी भी यूरोपीय या भारतीय कर्मचारी मुझे अैसा नहीं मिला, जो दंभ और प्रतिष्ठा तथा बड़प्पनके गलत खयालोंसे मेजर जोन्सके बराबर मुक्त हो। अपनी

भूल स्वीकार करनेको वे सदा तैयार रहते थे। सरकारी कर्मचारियोंमें यह खतरनाक आदत क्वचित् ही पाअी जाती है। अेक बार अुन्होंने किसी राजनीतिक कैदीको नहीं परन्तु अेक अैसे कैदीको जो सचमुच अपराधी था सजा दे दी। बादमें अुन्हें महसूस हुआ कि सजा अनुचित थी। तुरन्त और बिना किसी भी बाहरी दबावके अुन्होंने अुसे रद्द कर दिया और कैदीके आचरण-संबंधी टिकट पर अिस प्रकारकी अुल्लेखनीय टिप्पणी लिखी : "मुझे अपने निर्णय पर पश्चात्ताप होता है।" कैदी सुपरिन्टेन्डेन्टको छोटासा अुपनाम देकर कैसे आश्चर्यजनक ढंगसे अुनके स्वभावका सही वर्णन कर देते हैं! मेजर जोन्स 'बहुत भले' कहलाते थे। प्रत्येक कर्मचारीको अुपनाम अवश्य मिलते थे।

परन्तु आटा और खानेके अन्य बेकार पदार्थोंको रख छोड़नेकी बात पूरी कर दूं। मेजर जोन्स जांच करने आये अुसी दिन मैंने अुनसे प्रार्थना की कि जो चीज मुझे नहीं चाहिये वह मुझे न दी जाय। अुन्होंने तुरन्त मेरी प्रार्थना पर अमल करनेका हुक्म दे दिया। कर्नल डियलको मेरे हेतुओंके बारेमें अविश्वास था, परन्तु मेजर जोन्सने मेरा अेक अेक शब्द सच मानकर किफायतके लिअे मैं जितने परिवर्तन करना चाहूं सो सब करने दिये और कभी शंका नहीं की कि मेरे मनमें कुछ मैल होगा।

अेक और अफसर जिनके सम्पर्कमें हम शुरूमें आये वे जेलोंके अिन्स्पेक्टर जनरल थे। वे अकड़बाज, हां और ना से अधिक शब्द कहनेका कष्ट न अुठानेवाले और दूसरेको कठोर लगनेवाले थे। घमंड तो अुनका अपना निराला ही था। बेचारे कैदी अुनसे बहुत त्रस्त रहते थे। अधिकांश अफसर कल्पनाशून्य होनेके कारण अिरादा न होने पर भी अन्याय कर बैठते हैं। वे दूसरा पक्ष देखनेसे अिनकार करते हैं। कैदियोंकी बात वे धीरजसे सुनते नहीं, अुनसे सीधे सम्बद्ध अुत्तरकी आशा रखते हैं और वैसा अुत्तर न मिले तो गलत आज्ञायें देते हैं। अिसलिअे अिन अिन्स्पेक्टरका आगमन अक्सर अेक प्रहसन जैसा होता है और अक्सर अुनकी जांचके परिणामस्वरूप अयोग्य मनुष्यको अर्थात् शेखी मारनेवाले या खुशामद करनेवालेको ही लाभ होता है। योग्य मनुष्यकी — बेचारे कम बोलनेवाले कैदीकी तो कोअी सुनता ही नहीं। अरे, अधिकांश अफसर तो साफ स्वीकार करते हैं कि अुनका कर्तव्य कैदखानोंको स्वच्छ और रोगरहित रखने, कैदियोंको अेक-दूसरेसे लड़ने न देने अथवा अुन्हें भागने न देने और अुन्हें नीरोग रखनेके सिवा और कुछ नहीं।

अिस मनोदशाके दुःखदायक परिणाम हम अगले प्रकरणमें ही देखेंगे।

३

कुछ भयंकर परिणाम

जेलके अधिकारी मानते हैं कि कैदियोंके स्वास्थ्यकी देखभाल करने और अुन्हें आपसमें लड़ने न देने या भागने न देनेमें ही अुनका कर्तव्य पूरा हो जाता है। अधिकारियोंकी अिस मान्यताके जो परिणाम हुअे हैं, अुनकी चर्चा मैं अिस प्रकरणमें करना चाहता हूं। यदि मैं यह कहूं कि जेलें अच्छी या बुरी व्यवस्था-वाली पशुशालायें हैं तो अिसमें अतिशयोक्ति नहीं है। जो जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट कैदियोंको अच्छी खुराक देता है और बिना कारण दंड नहीं देता, वह सरकार और कैदी दोनोंकी नजरमें आदर्श सुपरिन्टेन्डेन्ट माना जाता है। दोनोंमें से अेक पक्ष भी अिससे अधिककी आशा रखता ही नहीं। यदि कोअी सुपरिन्टेन्डेन्ट कैदियोंके प्रति अपने व्यवहारमें कुछ अिन्सानियत बरतने लगे, तो कैदियोंमें अुसके लिअे गलतफहमी होनेकी पूरी संभावना है; और सरकार भी अुसे अव्यावहारिक अथवा अुससे भी बुरा मानकर अुसका अविश्वास करने लगती है।

अैसे वातावरणमें यदि जेल दुर्गुण और दुर्गतिके अखाड़े न बनें तो और क्या हो सकता है? कैदियोंके वहां रहकर सुधरनेकी तो बात ही क्या की जाय? ज्यादातर तो पहलेसे अधिक बुरे बनते हैं। मेरा खयाल है कि सारी दुनियामें जेल ही अेक अैसी सार्वजनिक संस्था है, जिसकी तरफ लोग सबसे अधिक लापरवाही दिखाते हैं। परिणामस्वरूप जेलोंके प्रबंध पर आम जनताका कुछ भी अंकुश नहीं रहता। जब कोअी जरा प्रसिद्ध राजनीतिक कैदी जेलमें बन्द किया जाता है, तभी लोगोंको यह जाननेका कुतूहल होता है कि जेलकी दीवारोंके पीछे क्या होता है। कैदियोंका वर्गीकरण केवल जेल-व्यवस्थाकी सुविधाकी दृष्टिसे किया जाता है। कैदीकी अनुकूलताका कुछ भी विचार नहीं किया जाता। अुदाहरणके तौर पर, पक्के अपराधियोंको और जिन्होंने कोअी नैतिक अपराध नहीं किया परन्तु जो केवल कानूनके अनुसार व्यवहारमें त्रुटि होनेके कारण जेलमें आये हैं अुन्हें अेक ही बाड़ेमें, अेक ही भागमें, यहां तक कि अेक ही बैरक तकमें रख दिया जाता है! अलग अलग रहन-सहनवाले ४०-५० कैदियोंको अेक ही बैरकमें रोज रातको १२ घंटे बंद कर दिया जाय, अिस स्थितिकी कल्पना करके देखिये। मोहर लगे हुअे टिकट दुबारा काममें लेनेके अपराधमें सजा

पाया हुआ अेक कैदी अैसे पक्के और भयंकर माने जानेवाले कैदियोंके साथ रखा गया मेरी जानकारीमें है। हत्यारों, स्त्री-हरणके अपराधियों, चोरों और केवल गैरकानूनी व्यवहार करनेके अपराधों पर जेलमें आये हुअे कैदियोंको जेलमें अिकट्ठा बंद होते देखना रोजकी घटना है।

कैदियोंसे जो काम कराये जाते हैं, अुनमें भी कुछ अैसे होते हैं जो बहुत मनुष्योंको साथ मिलकर करने पड़ते हैं; जैसे पानीके पम्प चलाना। मजबूत काठीके कैदियोंको ही अैसे कामों पर रखा जा सकता है। अेक भावना-प्रधान मनुष्यको अैसी अेक टोलीमें रखा गया था। अैसी टोलीके साधारण कैदी चलते-फिरते अैसी भाषा अिस्तेमाल करते हैं, जिसे शिष्ट मनुष्य तो सुन ही नहीं सकता। अुन प्रयोगकर्ताओंको तो पता भी नहीं होता कि अुनकी भाषामें किसी तरहकी अश्लीलता रहती है। परन्तु स्पष्ट है कि भावना-प्रधान मनुष्य तो अपनी मौजूदगीमें अश्लील भाषाका प्रयोग सुनकर बेचैन हो जाते हैं। अिन टोलियों पर देखरेख रखनेके लिअे कैदी वार्डर नियुक्त होते हैं। अिन वार्डरोंके मुंहसे कैदियों पर हमेशा गंदीसे गंदी गालियोंकी वर्षा होती रहती है। और यदि अुनका पारा अच्छी तरह गरम हो जाता है, तो वे अपने पासके डंडेको भी बेकार नहीं रहने देते। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ये दोनों सजायें देनेका कोअी भी अधिकार अुन्हें नहीं होता, अितना ही नहीं परन्तु जेलके कानूनके अनुसार वह साफ तौर पर गैरकानूनी है।

परंतु जेलोंमें गैरकानूनी तौर पर होनेवाली चीजोंकी तो मैं अेक लंबी सूची दे सकता हूं। जेलके अधिकारी अिससे अनभिज्ञ नहीं होते, अितना ही नहीं परन्तु कअी बार तो वे जान-बूझकर आंख-कान बंद कर लेते हैं। अुपरोक्त भावना-प्रधान कैदी गंदी भाषाका सहवास सहन न कर सका, अिसलिअे जब तक अैसी भाषा काममें लेना बन्द न हो जाय तब तक अुसने अपना काम करनेसे अिनकार कर दिया। सौभाग्यसे मेजर जोन्सने दखल देकर तुरन्त बन्दोबस्त कर दिया, नहीं तो बड़ी भीषण स्थिति पैदा हो जाती।

परंतु यह परिणाम क्षणजीवी था। मेजर जोन्सके पास अैसा कोअी कारगर साधन नहीं था, जिससे यह घटना दुबारा न होने पाये। कारण, जब तक कैदियोंका वर्गीकरण अुनके नैतिक स्तरका अथवा मनुष्यके नाते अुनकी अनुकूलताओंका विचार न करके केवल जेल-व्यवस्थाकी अनुकूलताका ही विचार करके किया जायगा तब तक यह स्थिति बनी ही रहेगी।

हम सामान्यत: अैसा समझते हैं कि जेलमें जहां अेक अेक कैदी पर रात-दिन चौकी-पहरा रहता है और कैदी कभी वार्डरकी दृष्टिसे ओझल नहीं रह सकता, वहां तो अपराध हो ही कैसे सकता है? परन्तु दुर्भाग्यसे वहां अकल्पनीय और नीति-विरुद्ध प्रत्येक अपराध हो सकता है; अितना ही नहीं, बल्कि होता है और ज्यादातर अपराध करनेवालेका कोअी हाथ नहीं पकड़ता! छोटी-छोटी चोरियां, धोखेबाजियां और छोटे-बड़े हमलोंको तो मैं गिनाता ही नहीं, परन्तु मैं तो अप्राकृतिक कर्मके अपराधोंकी बात कहना चाहता हूं।

अिसका ब्यौरा देकर मैं पाठकोंको आघात हरगिज नहीं पहुंचाअूंगा। मैंने जेलके बहुत अनुभव किये हैं, फिर भी मुझे यह पता नहीं था कि जेलोंमें अैसे अपराध भी होते होंगे। परन्तु यरवडाके अनुभवने मुझे अेकसे अधिक दु:खदायक आघात पहुंचाये। यह जानकर मुझे सबसे बड़ा आघात पहुंचा कि वहां अप्राकृतिक कर्मके अपराध होते हैं। अिन अपराधोंके बारेमें बातें करते हुअे सभी अफसरोंने मुझे कहा है कि जेलोंको चलानेकी मौजूदा पद्धतिमें अिन अपराधोंको रोकना असंभव है। अिस बातसे मैं पाठकोंको परिचित कर दूं कि अैसे अपराधोंके मामलेमें जिन पर यह कुकर्म किया जाता है वे लोग लगभग हमेशा अिस बातको अस्वीकार करते हैं। और मेरी निश्चित राय है कि जेलोंके प्रबन्धमें यदि मनुष्यत्वका तत्त्व दाखिल किया जाय और जेलोंके प्रबंधके साथ जनताका संबंध कायम किया जाय, तो अैसे अपराध जरूर रोके जा सकते हैं। भारतीय जेलोंमें लगभग चार लाख कैदी रहते हैं। ये कैदी अेक बार जेलमें जाकर बन्द हो जायं अुसके बाद अुनका क्या होता है, अिसकी जानकारी रखना जनताके कार्यकर्ताओंका फर्ज माना जाना चाहिये। अपराधीको दी जानेवाली सजाके पीछे आखिर तो अुसे सुधारनेका ही हेतु होता है। साधारण मान्यता यह है कि विधान-सभा, न्यायाधीश और जेलर अपराधीको दण्ड देनेमें यह आशा रखते हैं कि अिन सजाओंसे जो शारीरिक और मानसिक चोटें सहनी पड़ती हैं वे ही नहीं, परन्तु जेलमें बन्द रहकर सगे-संबंधियोंसे लंबे समय तक अलग रहनेके कारण जो पश्चात्ताप अनिवार्य है, वह भी अपराधीको दुबारा अपराध करनेसे रोकेगा। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि सजायें भुगत कर कैदियोंकी पशुता अुलटी बढ़ती है। जेलमें अुन्हें पश्चात्ताप करने अथवा सुधरनेका मौका कभी दिया ही नहीं जाता। अिन्सानियत जैसी कोअी चीज वहां होती ही नहीं। हां, नामके धर्मोपदेशक सप्ताहमें अेक बार आ जरूर जाते हैं। अैसी किसी सभामें मुझे अुपस्थित नहीं रहने

दिया गया था, परन्तु मैं अितना जानता हूं कि ये सभायें ज्यादातर झूठे ढोंग ही होती हैं। मेरा यह आशय नहीं कि अुपदेशक ढोंग करनेवाले होते हैं। परन्तु जिन लोगोंको आम तौर पर अपराध करनेमें कोअी बुराअी मालूम नहीं होती, अुन पर सप्ताहमें अेक बार कुछ मिनट धार्मिक प्रार्थना या प्रवचन होनेका क्या असर पड़ेगा? जरूरत अैसा अनुकूल वातावरण पैदा करनेकी है, जिसमें रहकर कैदी अनजाने ही बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें ग्रहण करने लग जायं।

परन्तु जब तक भारी जिम्मेदारीके काम कैदियोंसे करानेकी पद्धति जारी रहेगी, तब तक अैसा वातावरण अुत्पन्न होना असंभव है। कैदियोंको ओहदेदार मुकर्रर करनेकी प्रथा तो और भी बुरी है। अैसे ओहदेदार बननेवाले लोग हमेशा लंबी मियादके कैदी होते हैं, अर्थात् वे बहुत गंभीर अपराध करके ही आये होते हैं। आम तौर पर गुंडे और अत्याचारी कैदियोंको ही पहरेदार बनाया जाता है। ये लोग घुसनेकी कलामें सबसे ज्यादा प्रवीण होते हैं और अिसलिअे आगे आनेमें सफल होते हैं। जेलमें जो भी अपराध होते हैं अुनमें से लगभग प्रत्येकमें अिनका हिस्सा होता है। अेक बार दो पहरेदारोंके अप्राकृतिक कर्मका शिकार होनेवाले अेक कैदीके खातिर मारपीट हो गअी थी, जिसमें अेक मृत्यु भी हो गअी। जेलमें अुस समय क्या हो रहा था अिसका सबको पता था, परन्तु अधिकारियोंने हस्तक्षेप किया तो केवल अितना ही कि अधिक झगड़ा और रक्तपात न हो।

दूसरे कैदी क्या काम करें, अिसकी सिफारिश करनेवाले भी ये कैदी अमलदार ही होते हैं। वे ही अुस काम पर देखरेख रखते हैं और अुन्हें सौंपे गये कैदियोंके अच्छे चाल-चलनकी जिम्मेदारी भी अुन्हीं पर होती है। असलमें जेलके अफसरोंकी अिच्छाकी जानकारी और तामील अिस अफसरीकी सीढ़ी पर चढ़ाये गये कैदियोंके द्वारा ही कराअी जाती है। अैसी कार्य-पद्धतिमें अिससे अधिक गंदगी मालूम नहीं हुअी, यही आश्चर्यकी बात है। अिससे फिर अेक बार मुझे विश्वास हो गया है कि जहां पद्धति दुष्ट है वहां मनुष्य अुस पद्धतिसे ही अधिक प्रबल बनकर अुसे पैरों तले रौंदता है और स्वच्छन्द व्यवहार कर सकता है, जब कि अच्छी पद्धतिमें अुसे हमेशा पद्धतिके अधीन होकर, छोटा बनकर रहना पड़ता है। प्राकृत मनुष्य स्वाभाविक रूपमें ही बीचका मार्ग ढूंढ़ते हैं।

खाना बनानेका तमाम काम भी कैदियोंको ही सौंपा जाता है। अिसके कारण खाना बनानेमें लापरवाही होनेके सिवा व्यवस्थित पक्षपात होता है।

आटा पीसने, साग संवारने, पकाने और परोसनेका सभी काम कैदी ही करते हैं। तौलसे कम और कच्ची रहनेवाली खुराकके बारेमें बार बार शिकायतें की जातीं, तब अफसरोंकी तरफसे हमेशा अेक ही जवाब मिलता कि अपना खाना तुम खुद ही पकाते हो, अिसलिअे अिसका अुपाय भी तुम्हारे ही हाथमें है! मानो कैदी अेक-दूसरेके संबंधी हों और आपसकी जिम्मेदारी समझते हों।

अेक बार जब मैं अुपरोक्त दलीलको अन्तिम सीढ़ी तक ले गया, तब अुत्तर मिला कि किसी भी जेल-व्यवस्थामें अैसा खर्च करना पुसा नहीं सकता। अिस बातचीतके समय मैंने अपना मतभेद प्रगट किया था। और मेरा यह खयाल विशेष अवलोकन द्वारा आज अधिक दृढ़ हुआ है कि कुशलतासे चलायी गयी पद्धति पर अमल करनेसे जेलका प्रबंध अवश्य स्वावलंबी हो सकता है। जेल-व्यवस्थाके आर्थिक पहलूकी जांच करते हुअे मैं अेक अलग प्रकरण लिखनेकी आशा रखता हूं। अभी तो केवल अितना ही कहकर संतोष करूंगा कि नैतिक दुराचारोंका विचार करते समय खर्चका प्रश्न सामने लानेमें कोअी शोभा नहीं है।

४

'राजनीतिक' कैदी

'राजनीतिक और दूसरे कैदियोंके बीच हम कोअी भेद नहीं करते; आपके लिअे अैसा कोअी भेद किया जाय, यह तो आप नहीं चाहेंगे न?' ये वाक्य गत वर्षके अंतमें सर जॉर्ज लॉअिड जब यरवडा जेलमें आये अुस समय अुन्होंने कहे थे। 'राजनीतिक' विशेषणका मैंने भूलसे अुपयोग किया, अुसके अुत्तरमें वे अिस प्रकार बोले थे। मेरी भूल नहीं होनी चाहिये थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि गवर्नर महोदयको अिस शब्दसे चिढ़ है। फिर भी अजीब-सी बात है कि हममें से अधिकांशकी अितिहास-पत्रिकाओं पर 'राजनीतिक' शब्द लिखा हुआ था। अिस विचित्रताके बारेमें जब मैंने आलोचना की, तब अुस समयके सुपरिन्टेन्डेन्टने मुझसे कहा था कि 'यह भेद खानगी है और केवल अधिकारियोंकी जानकारीके लिअे ही है। कैदियोंको अिस भेद पर विचार करनेकी जरूरत नहीं। अिस परसे आपको कोअी हक नहीं मिल सकता।' सर जॉर्ज लॉअिडके वचन मुझे जैसे याद रहे हैं अुसके अनुसार शब्दशः अूपर दिये गये हैं। अिन

वचनोंमें वैरभाव है और वह निरर्थक है, क्योंकि अुन्हें मालूम था कि मुझे किसी मेहरबानी या भेदकी जरूरत नहीं थी। प्रसंगवशात् अिस बारेमें साधारण चर्चा हुअी थी, परन्तु अुनके कहनेका भाव यह था कि 'कानून और अधिकारियोंकी दृष्टिमें औरोंसे तुम थोड़े भी बढ़कर नहीं हो।' फिर भी दु:खकी और विचित्र बात यह है कि भेदका कोअी भी कारण न होते हुअे भी जब सिद्धान्तकी दृष्टिसे विरोध किया जाता था, तब व्यवहारमें अुसका अमल होता था। अितनी बात जरूर थी कि अधिकांश अवसरों पर अिस भेदका अमल 'राजनीतिक' कैदियोंके विरुद्ध ही होता था।

वास्तवमें भेदसे बचना असंभव है। यदि यह न भुलाया जाय कि कैदी मनुष्य है, तब तो कैदीकी रहन-सहनको समझने और कैदखानेमें अुसकी जिन्दगीका अुस रहन-सहनके साथ मेल बैठानेकी जरूरत होगी। यह कोअी गरीब और अमीर, शिक्षित और अशिक्षितके बीच फर्क करनेका सवाल नहीं है। परन्तु अलग अलग परिस्थितियोंमें अुनकी रहन-सहन अलग अलग हो गयी होती है, अिस हकीकतको स्वीकार करनेका सवाल है। अिस सच्चे भेदको सहज भावसे स्वीकार करनेके बजाय कहा जाता है कि अपराध करनेवाले मनुष्योंको समझ लेना चाहिये कि कानून किसीका लिहाज नहीं रखता; और अमीर आदमी या ग्रेजुअेट या मजदूर कोअी भी चोरी करे, कानूनकी दृष्टिमें तो सब समान हैं। यह शुद्ध कानूनका अुलटा अर्थ है। यदि कानून कोअी भेद नहीं करता, तो प्रत्येकके साथ अुसकी सहनशक्तिके अनुसार बरताव होना चाहिये। नाजुक शरीरवाले चोरको ३० कोड़े लगानेमें और सशक्तको भी अुतने ही लगानेमें निष्पक्ष न्याय नहीं है; परन्तु कमजोरके लिअे वैरभाव और जबरदस्तके लिअे शायद पक्षपात रहता होगा। अिसी प्रकार कठिन भूमि पर बिछायी हुअी नारियलकी खुरदरी चटाअी पर पंडित मोतीलालजी जैसेको सुलानेमें समान व्यवहार नहीं है —— बल्कि अधिक सजा है।

जेलकी व्यवस्थामें यह स्वीकार कर लिया जाय कि कैदी मनुष्य है, तो कैदीके जेलमें प्रवेश करते समय आज अुसके मन पर जो संस्कार पड़ते हैं अुनके बजाय दूसरे ही पड़ेंगे। अंगूठेके निशान जरूर लिये जायं, पहले किये हुअे अपराध भले ही अुसके नामके सामने दर्ज किये जायं, परन्तु साथ ही कैदीकी आदतों और रहन-सहनका ब्यौरा भी दर्ज किया जाय। यदि अधिकारी कैदियोंको मनुष्य समझने लगें, तो अुन्हें जो प्रथा स्वीकार करनी चाहिये अुसे 'भेद करना' नहीं 'वर्गीकरण'

करना कहा जायगा। अेक प्रकारका वर्गीकरण तो आज भी मौजूद है ही। अुदाहरणके लिअे, कुछ 'सर्कलों' में कैदियोंको लंबी कोठरियोंमें अिकट्ठा रखा जाता है। भयंकर अपराधियोंके लिअे अलग अलग कोठरियां होती हैं, और अेकान्त कैदकी सजावालोंके लिअे 'अंधेरी कोठरियां' रहती हैं। 'फांसीको कोठरियां' होती हैं, जिनमें फांसीके तखते पर चढ़नेवाले कैदियोंको रखा जाता है। और अिसके सिवा हवालाती कैदियोंके लिअे अलग कोठरियां होती हैं। पाठकोंको आश्चर्य होगा कि ज्यादातर राजनीतिक कैदियोंको अलग विभागमें अथवा 'अंधेरी कोठरी' में रखा जाता था। कुछको तो 'फांसीकी कोठरी' में रखा जाता था। परन्तु कहीं मैं अधिकारियोंके साथ अन्याय न कर बैठूं? अिन विभागों और कोठरियोंकी जिन्हें जानकारी नहीं है, अुन्हें शायद अैसा खयाल होगा कि फांसीकी कोठरी जैसी कोठरियोंमें कोअी खास भद्दापन होता होगा। परन्तु बात अैसी नहीं है। यरवडा जेलमें सभी कोठरियोंकी रचना अच्छी और हवादार है। सबसे बड़ी आपत्ति तो कोठरियोंके आपसपास पैदा हुअे वातावरणकी है।

जैसा मैंने अूपर बताया, वर्गीकरण अनिवार्य है और अिस समय मौजूद भी है, तब वह शास्त्रीय और मानवतापूर्ण क्यों न होना चाहिये? मैं जानता हूं कि मेरे सुझावके अनुसार वर्गीकरणमें परिवर्तन किया जाय, तो सारी प्रथा बिलकुल बदल डालनी पड़ेगी। अिसमें भी शक नहीं कि अैसा करनेमें अधिक खर्च होगा और नअी प्रथाको चलानेके लिअे दूसरी ही तरहके आदमी जरूरी होंगे। परन्तु आज अधिक खर्च होगा तो अन्तमें बचत ही होगी। मैं जो परिवर्तन सुझा रहा हूं अुनसे सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि अपराधोंकी मात्रा अवश्य कम हो जायगी और कैदियोंका जीवन सुधर जायगा। फिर जेलें सुधार-गृह (रिफॉर्मेटरी) होंगी और समाजके पापी अुन गृहोंके सुधरे हुअे सम्मानित सदस्य होंगे। यह दिन आनेमें बहुत देर लग सकती है, परन्तु पुरानी रूढ़ियोंसे हम अंधे न हो गये हों तो हमारी जेलोंको सुधार-गृह बनानेमें बहुत कठिनाअी नहीं होगी।

यहां अेक जेलरके अर्थपूर्ण वचन मुझे याद आते हैं। अुसने कहा था, "तलाशी लेने और रिपोर्ट करनेके लिअे कैदियोंको जब मैं भरती करता हूं, तब अक्सर मैं अपने-आपसे पूछता हूं कि अिन सबसे मैं कितना अच्छा हूं? अीश्वरको मालूम है कि यहां आये हुअे कुछ कैदियोंकी अपेक्षा अधिक बुरे अपराध मैंने किये हैं, फर्क अितना ही है कि ये बिचारे पकड़े गये और मैं

बच गया।" अिस भले जेलरने जो अिकरार किया, क्या वह हम सबको नहीं करना पड़ेगा? क्या यह बात सच नहीं है कि जो अपराध पकड़े जाते हैं अुनमें न पकड़े जानेवाले अपराध कहीं अधिक होते हैं? समाज अुनकी तरफ अुंगली नहीं अुठाता। परन्तु पकड़े जानेसे बचने लायक चतुराअी जिनमें नहीं होती, अैसे लोगों पर आंखें निकालनेकी हमें आदत पड़ गअी है, जब कि ये गरीब कैदमें जाकर और पक्के अपराधी बन जाते हैं।

कैदी पकड़ा गया कि अुसे पशुकी तरह रखना शुरू हो जाता है। तत्त्वतः अभियुक्तको तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक अुसका अपराध साबित न हो जाय। परन्तु व्यवहारमें अुस पर जो आदमी रखे जाते हैं, वे अुसकी तरफ गर्व और तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते हैं। मनुष्य अपराधी ठहरा कि फिर समाजने तो अुसे खो ही दिया समझिये। कैदखानेका वातावरण अुसमें हीनताकी स्थिति स्वीकार कर लेनेकी आदत डालता है। राजनीतिक कैदी सामान्यतः अिस निर्वीर्य बनाने वाले वातावरणके शिकार नहीं बनते, क्योंकि वातावरणकी अधोगतिके वशीभूत होनेके बजाय वे अुसका सामना करते हैं और कुछ अंशोंमें अुसे अुन्नत भी बनाते हैं। और समाज भी अुन्हें कैदी नहीं मानता। अुलटे वे तो वीर और शहीद बन जाते हैं। जेलकी अुनकी विपत्तियोंके गान बढ़ा-चढ़ा कर गाये जाते हैं और कभी कभी अिस अतिशयतासे राजनीतिक कैदी नीचे भी गिर जाते हैं। परन्तु दुर्भाग्यसे लोग जितना अुनका लाड़-प्यार करते हैं, अुतनी ही मात्रामें कर्मचारी ज्यादातर व्यर्थ ही अुन्हें सताते हैं। सरकार राजनीतिक कैदियोंको मामूली कैदियोंसे अधिक भयंकर समझती है। अेक अधिकारीने गम्भीरतापूर्वक यह दलील दी थी कि राजनीतिक कैदीके अपराधसे सारा समाज खतरेमें पड़ता है, जब कि साधारण अपराधसे केवल अपराधीकी ही हानि होती है।

अेक और अधिकारीने मुझे कहा था कि राजनीतिक कैदियोंको अलग रख कर समाचारपत्र, मासिकपत्र वगैरा नहीं दिये जाते, अिसका कारण यह है कि वे अपना अपराध अच्छी तरह समझने लगें। अुसने कहा था कि राजनीतिक कैदी तो कैदमें बड़ाअी मानते हैं। साधारण कैदीकी स्वतंत्रता छीन ली जाय तो अुसे दुःख होता है, जब कि राजनीतिक कैदीके पेटका पानी तक नहीं हिलता। अिसलिअे सरकार अुन्हें सजा देनेका कोअी और ढंग ढूंढ़े यह स्वाभाविक है; और अिसीलिअे अुन्हें साधारण रूपमें जो सुविधाअें देनी चाहिये वे नहीं दी जातीं। यह बात मुझे साप्ताहिक टाअिम्स ऑफ अिंडिया, अिंडियन सोशियल रिफॉर्मर, सरवेंट

ऑफ अिंडिया, माडर्न रिव्यू अथवा अिंडियन रिव्यूकी मेरी मांगके जवाबमें कही गयी थी। पाठक यह न समझें कि अखबारोंका हक छीन लेना छोटी सजा है, क्योंकि जिन्हें वे नहीं दिये जाते अुन्हें अखबारोंकी अन्नसे कम जरूरत नहीं होती। मुझे विश्वास है कि भाअी मजलीको समाचारपत्र दिये गये होते तो अुनका मस्तिष्क न बिगड़ता। और मैं तो किसी भी परिस्थितिमें सुधारकका काम अुठा लेनेवाला ठहरा, परन्तु जो मेरे जैसे नहीं हैं अुनकी क्या गति होती होगी? यरवडामें राजनीतिक कैदियोंको भयंकर कैदियोंके साथ रखा जाता था। वैसा ही व्यवहार अूपर बताये लोगोंके साथ हो, तो अुनके मन पर बुरा असर हुअे बिना नहीं रहेगा। जिनकी बात बातमें बीभत्स शब्द ही होते हैं और जिनकी बातचीतका अश्लीलके सिवा और कोअी विषय ही नहीं होता, अुनके साथ दिन-रात बिताना कोअी हंसीखेल नहीं है। हां, यदि सरकार मामूली कैदियों पर अच्छा असर डालनेके लिअे अैसे कैदियोंके साथ सलाह-मशविरा करके अुन्हें भयंकर अपराधियोंके बीचमें रखे तो यह बात समझमें आ सकती है। परन्तु मैं स्वीकार करता हूं कि यह तो सपने जैसी बात है। मेरा तात्पर्य यह है कि राजनीतिक कैदियोंको दूषित वातावरणमें रखना अुन्हें अतिरिक्त और व्यर्थकी सजा देना है। अुन्हें अलग विभागमें रखना चाहिये और अुनकी पहलेकी रहन-सहनके अनुसार अुनके साथ बरताव होना चाहिये।

मैं आशा रखता हूं कि मैंने अिस प्रकरणमें और अगले प्रकरणमें जेलोंके सुधारकी जो बात कही है, सत्याग्रही अुसका अनर्थ न करेंगे। जिन असुविधाओंके सहनेका भार अुनके सिर पर आ पड़े, अुनका विरोध करना सत्याग्रहीको शोभा नहीं देता। अुन्होंने तो खराबसे खराब बरताव सहन करनेके लिअे प्रतिज्ञा ले रखी है। व्यवहार दयापूर्ण हो तो ठीक है; परन्तु न हो तो भी क्या बिगड़ता है?

५

सुधारकी सम्भावना

मेरा यह अचूक अनुभव है कि अिस दुनियामें भलाअीसे भलाअी अुत्पन्न होती है और बुराअीसे बुराअी अुत्पन्न होती है। और अिसलिअे यदि कभी बुराअीको दूसरी तरफसे प्रत्युत्तर न मिले, तो वह बेकार हो जाती है और अन्तमें पोषणके बिना मर जाती है। बुराअी केवल बुराअीके आधार पर ही पनप सकती है। पुराने ॠषि अिस सत्यको जानते थे और अिसलिअे बुराअीका बदला बुराअीसे देनेके बजाय जान-बूझकर भलाअीसे देते थे, और अिस प्रकार बुराअीका नाश करते थे। अितने पर भी बुराअी तो अभी तक चल ही रही है, क्योंकि बहुत लोगोंने अिस खोजसे लाभ नहीं अुठाया। हां, अिसकी जड़में जो नियम है अुसका तो बराबर असर होता ही रहता है। बात यह है कि हम अितने आलसी होते हैं कि हमारे सामने पैदा होनेवाली गुत्थियों या समस्याओंको हम अिस नियमको ध्यानमें रखकर हल नहीं करते, और यह मान लेते हैं कि अिस नियमका पालन करने लायक बल हममें नहीं है। असलमें देखा जाय तो जिस क्षण हमें अिस नियमकी सचाअीकी प्रतीति हो जाती है, अुसी क्षण बुराअीका बदला भलाअीसे देने जैसा आसान काम और कोअी हमारे लिअे रह नहीं जाता। मनुष्य और पशुके बीच जो फर्क है वह अितना ही है। आघातके बदलेमें आघात न करना ही मनुष्यके लिअे स्वाभाविक स्थिति है। जब तक अिस नियमका सत्य हमने नहीं जाना और अुसके अनुसार आचरण नहीं किया, तब तक हमने मनुष्यका चोला भले धारण किया, परन्तु हम सच्चे मनुष्य नहीं हैं। अिस नियमका अपवाद हो ही नहीं सकता। मुझे अैसा अेक भी अुदाहरण याद नहीं जिसमें यह नियम सही साबित न हुआ हो। मेरे अनुभवके अनुसार तो बिलकुल अनजान आदमियोंकी तरफसे भी अैसी वृत्तिका अचूक अुत्तर मिला है। दक्षिण अफ्रीकाकी जिन तमाम जेलोंमें मैं घूमा वहां जो अधिकारी शुरूमें मेरे प्रति अत्यंत विरोधी भाव रखते थे, वे सभी अन्तमें मेरे अेकसे मित्र बन गये, क्योंकि मैंने अुनको चोटका जवाब चोटसे नहीं दिया। अुनकी कड़वाहटका अुत्तर मैं मिठाससे ही देता था। अिसका अर्थ कोअी यह न करें कि मैं अन्यायका विरोध नहीं करता

था। अुलटे, यहां तक कहा जा सकता है कि मेरे दक्षिण अफ्रीकाके जेलके अनुभव तो अैसे अन्यायोंके विरुद्ध मुझे जो सतत लड़ाअियां करनी पड़ीं अुन्हींका अेक अितिहास है। और अिन लड़ाअियोंमें अधिकांश सफल भी साबित हुअीं। भारतकी जेलोंके मेरे अधिक लम्बे अनुभवने अहिंसात्मक व्यवहारकी अिस यथार्थता और सुन्दरताको मेरे मन पर और भी असरकारक रूपमें अंकित कर दिया है। यरवडाके अधिकारियोंके साथ कटुता पैदा करना तो मेरे लिअे बिलकुल आसान बात थी। अुदाहरणार्थ, जब वहांके सुपरिन्टेन्डेन्टने हकीम साहबके नाम लिखे गये मेरे पत्रमें * वर्णित अपमानजनक आलोचना की, तब मैं चाहता तो अुन्हें अुतना ही तीखा जवाब दे सकता था; परन्तु वैसा करके मैं तो अपनी ही नजरमें हलका हो जाता और अुनके मनमें यह सन्देह भी दृढ़ बनाता कि मैं अेक धांधलीबाज और अुत्पाती राजनीतिज्ञ हूं। परन्तु हकीम साहबवाले पत्रमें वर्णित अनुभव तो अुसके बाद जो घटनाअें होनेवाली थीं अुनकी तुलनामें नगण्य माने जा सकते हैं। अुन घटनाओंमें से थोड़ीसी मैं यहां बताअूंगा।

मुझे मालूम था कि अेक गोरा वार्डर मुझे सन्देहकी दृष्टिसे देखता था। वह मानता था कि प्रत्येक कैदी पर शक करना अुसका फर्ज है। चूंकि मैं अिस विचारका था कि सुपरिन्टेन्डेन्टकी जानकारीके बाहर छोटे छोटे काम भी न किये जायं, अिसलिअे मैंने अुनसे कह रखा था कि मेरे बाड़ेके सामनेसे जानेवाला कोअी कैदी मुझे सलाम करेगा तो जवाबमें मैं अुसे सलाम करूंगा; और दूसरे अुनसे मैंने यह कह रखा था कि मेरे खानेके बाद जो खुराक बचती है वह सब मैं अपनी देखरेख करनेवाले कैदी वार्डरको दे देता हूं। वह गोरा वार्डर सुपरिन्टेन्डेन्टके साथ हुअी मेरी अिस बातके बारेमें कुछ भी जानता नहीं था। अेक बार अुसने किसी कैदीको मुझे सलाम करते देखा। मैंने भी जवाबमें अुसे सलाम किया। अुसने हम दोनोंको यह काम करते देखा था। परन्तु अुसने टिकट अकेले अुस कैदीसे ही लिया। अिसका अर्थ यह था कि अुस बेचारेको अधिकारीके सामने पेश किया जायगा। मैंने तुरन्त अुक्त गोरे वार्डरसे कहा कि आपको अधिकारीके पास मेरी भी रिपोर्ट करनी चाहिये, क्योंकि मैं भी अुस कैदीके बराबर अपराधी था। अुसने मुझे अुत्तर दिया, "मुझे अपना कर्तव्य पालन करना है।" अब गोरे वार्डरकी अिस अफसरीके लिअे अुसके विरुद्ध रिपोर्ट करनेके बजाय, और फिर भी अुस कैदी भाअीको बचानेके लिअे, जब

* देखिये परिशिष्टका पहला पत्र।

सुपरिन्टेन्डेन्ट मुझसे मिले तब मैंने अुन्हें अुस कैदीके और मेरे बीच हुअी आपसकी सलामीकी ही बात कही और गोरे वार्डरके व्यवहारका कुछ भी जिक्र नहीं किया। वार्डरने यह देखा और वह समझ गया कि अुसके लिअे मेरे दिलमें कोअी बुराअी नहीं है। अुस दिनसे अुसने मुझ पर सन्देह करना छोड़ दिया; अितना ही नहीं, वह मेरे प्रति खूब मित्रभाव रखने लगा।

सब कैदियोंकी तरह मेरी भी रोज तलाशी ली जाती थी। अिस पर मैंने कभी आपत्ति नहीं की थी। महीनों तक रोज शामको कैदियोंको बन्द करनेसे पहले अिस प्रकार नियमित रूपमें मेरी तलाशी ली गअी। अिसी मौके पर कभी-कभी अेक जेलर आता था, जो अपनी अुद्धतताके लिअे मशहूर था। मेरे शरीर पर मेरे कच्छके सिवा और कुछ रहता नहीं था, अिसलिअे मेरे शरीरको स्पर्श करनेका अुसके लिअे कभी कोअी कारण नहीं था। फिर भी वह खास तौर पर मेरी कमर और नीचेके भागको छूता। अेक बार अुसने यह सब किया, अुसके बाद मेरे कम्बलों और दूसरी चीजोंको अुलट-पलट कर देखा। अुसने जूते पहने हुअे मेरे पानीके बरतनको भी छुआ। यह सब मुझे असह्य होने लगा। मेरा क्रोध मुझे पछाड़नेकी तैयारीमें था, परन्तु सौभाग्यसे मैं अपने पर काबू रख सका और मैंने गम खा ली। मैं अुससे कुछ नहीं बोला, फिर भी अिस आदमीके बरतावके बारेमें रिपोर्ट की जाय या नहीं, यह सवाल तो मनमें रहा ही। मैं यरवडा जेलमें कोअी ताजा आया हुआ कैदी नहीं था। यरवडामें भरती होनेके बहुत लम्बे समय बादकी यह घटना थी, अिसलिअे यदि मैं अुसके विरुद्ध रिपोर्ट करूं तो अुसके अिस बरतावके लिअे सुपरिन्टेन्डेन्टकी तरफसे अुसे पूरी डांट पड़नेकी सम्भावना थी।

अन्तमें मैं अिस निश्चय पर पहुंचा कि रिपोर्ट न की जाय। मुझे महसूस हुआ कि अैसे व्यक्तिगत अपमान अथवा असभ्यताको मुझे पी ही जाना चाहिये। मैं अुसके खिलाफ शिकायत करूं तो कदाचित अुसकी नौकरी भी चली जाय। अिसलिअे अैसा करनेके बजाय मैंने अुसके साथ बात की। मैंने अुससे कहा कि अुसकी अुद्धतता मुझे कितनी खटकी है। मैंने अुसे यह भी कहा कि किस प्रकार मुझे पहले अुसके विरुद्ध रिपोर्ट करनेका विचार आया था और अन्तमें यह सब करना छोड़ कर किस प्रकार मैं अुसीके साथ बात करनेके निश्चय पर पहुंचा। मेरी बात अुसके दिलमें अुतरी और अुसके मनमें अुसके प्रति किया हुआ मेरा अुपकार बैठ गया। अुसने यह भी स्वीकार किया कि अुसने अनुचित

व्यवहार किया था, यद्यपि अुसने कहा कि अिसमें मेरी कोमल भावनाओंको चोट पहुंचानेका अुसका आशय नहीं था। बस, अुस दिनके बाद अुसने कभी मेरा नाम नहीं लिया। सब कैदियोंके प्रति अुसका सदाका व्यवहार सुधरा या नहीं, अिसका तो मुझे पता नहीं।

परन्तु मेरे अिस रवैयेका सबसे अधिक अद्‌भुत परिणाम तो कोड़ोंकी सजाओं और अुपवासोंके प्रसंगों पर मेरे बीच-बचावके मामलेमें आया। पहले अुपवास अुम्रकैदकी सजावाले सिक्ख कैदियोंने किये थे। अुन्होंने अपना धर्म-वस्त्र (अेक प्रकारका कच्छ), जो जेलवालोंकी तरफसे ले लिया गया था, वापस न मिले और अपना भोजन खुद बना लेनेकी अनुमति न मिले तब तक भोजन लेनेसे अिनकार कर दिया था। अिस अुपवासका मुझे पता चलते ही मैंने अुनसे मिलने देनेकी अिजाजतके लिअे मांग की, परन्तु मुझे अुत्तर मिला कि अैसी अिजाजत नहीं दी जा सकती। मैंने देखा कि अधिकारियोंकी दृष्टिमें अैसी अनुमति देना जेलकी प्रतिष्ठा और जेलके शासनका प्रश्न था। असलमें यदि कैदियोंको बाहरके मनुष्योंकी तरह ही भावनाशील प्राणी माना जाय, तो अिसमें अुपरोक्त दोनोंमें से अेक भी बातका सवाल नहीं था। मुझे विश्वास है कि यदि अुनसे मिलनेकी अनुमति मुझे दी गअी होती, तो अधिकारियोंकी कितनी ही कठिनाअियां और तकलीफें कम हो जातीं और सार्वजनिक धनकी बचत होती। अितना ही नहीं, वे सिक्ख कैदी भी अपने लम्बे कष्टपूर्ण अुपवासोंसे बच जाते।

परन्तु मुझे कहा गया कि मैं अुन सिक्ख कैदियोंसे मिल न सकूं तो भी अुन्हें 'तार' भेजनेमें मुझे कोअी बाधा नहीं होगी। अिस 'तार' शब्दका अर्थ मैं यहां समझा दूं। जेलकी भाषामें अिस 'तार' अथवा 'बेतारके सन्देश' का अर्थ होता है अधिकारियोंकी जानकारी होते हुअे भी अथवा अुनकी जानकारीके बिना अनधिकृत रूपमें अेक कैदीका दूसरे कैदीको सन्देश भेजना। सारे अधिकारी जेलमें अैसे सन्देशोंके आने-जानेकी बात जानते हैं। और अिसकी तरफ अुन्हें आंख-कान बन्द रखने पड़ते हैं। अनुभवसे अुन्होंने सीख लिया है कि जेलके नियमोंका अिस तरह भंग होना रोकना अथवा अुसे करनेवालोंको ढूंढ़ निकालना असंभव बात है।

मैं कह सकता हूं कि मैं स्वयं अिस विषयमें सिद्धान्तकी दृष्टिसे दृढ़ रहा हूं। मुझे याद नहीं कि अपने लिअे मैंने कभी अैसा 'बेतारका सन्देश' भेजा हो। और जितनी बार मैंने अैसा किया अुतनी बार जेल-शासनके हितकी

दृष्टिसे प्रेरित होकर ही किया है। मेरा खयाल है कि परिणाम यही हुआ कि अधिकारी-वर्गने मुझ पर अविश्वास करना बन्द कर दिया। यदि अुनके हाथकी बात होती तो अुपरोक्त प्रसंगों पर बीच-बचाव करनेकी मेरी मांगको वे स्वीकार कर लेते। परन्तु अूपरके सत्ताधारी अपनी प्रतिष्ठाकी अैसी हानि कैसे होने दे सकते थे?

अिस प्रकार अुपरोक्त प्रसंग पर मैंने 'बेतारके सन्देशका' अुपयोग किया, परन्तु वह शायद ही सफल माना जा सकता है। सिक्ख कैदियोंका अुपवास बहुत दिन बाद छूटा और यह नहीं कहा जा सकता कि वह मेरे सन्देशोंके कारण छूटा।

यह पहला ही अवसर था जब मुझे महसूस हुआ कि दयाधर्मके खातिर मुझे अैसे मौकों पर बीचमें पड़ना चाहिये। दूसरा प्रसंग तब आया जब मूलशी-पेटाके कैदियोंको अुनके कम काम करने पर कोड़े लगाये गये। यह दुःखभरी कथा मैं यहां विस्तारसे नहीं कहूंगा। अिन कैदियोंमें बहुतसे नौजवान थे। संभव है अुन्होंने अपनी शक्तिसे कम काम किया हो। अुन्हें पीसनेका काम सौंपा गया था। कारण कुछ भी हो, परन्तु अिन मूलशीपेटावाले कैदियोंको दूसरे स्वराज्यके कैदियोंकी तरह 'राजनीतिक' कैदीके रूपमें अलग नहीं माना जाता था। और काममें भी अुन्हें ज्यादातर चक्की ही दी जाती थी। अेक प्रकारसे तो जेलोंमें दिया जानेवाला यह चक्कीका काम हम लोगोंमें नाहक बदनाम है। अुसके बारेमें हममें यह वहम घुस गया है कि वह अत्यन्त कठिन काम है। यह सच है कि कोअी भी मजदूरी जब सिर पर मूसल रखकर सजाके तौर पर कराअी जाय, तब तो वह करनेवालेको अैसी त्रासदायक हो जाती है कि वह चिढ़ जाता है। फिर भी जो व्यक्ति अपनी अन्तरात्माके सन्तोषके लिअे जालिमको चुनौती देकर अुसकी जेलोंको प्रिय बनाता है, अुसे तो सौंपे हुअे किसी भी कामको स्वाभिमान और आनन्दकी वस्तु समझना चाहिये। जो भी मेहनत अुसे सौंपी जाय अुसे तन-मनसे पूरी करनेमें अुसे जुट जाना चाहिये।

मूलशीपेटाके कैदी — और अिस मामलेमें तो दूसरे कैदी भी — अेक समूहके रूपमें अैसे नहीं थे। अुन सबको अिस प्रकारका यह नया ही अनुभव था। और अिसलिअे सत्याग्रहीके नाते अुनका क्या फर्ज है — अधिक से अधिक काम किया जाय अथवा कमसे कम या बिलकुल न किया जाय — अिसका निर्णय वे नहीं जानते थे। मूलशीपेटाके कैदियोंमें से अनेक अिस मामलेमें अुदासीन वृत्ति-

वाले थे। यह भी कहा जा सकता है कि अिस बारेमें अुन्होंने कोअी विचार ही नहीं किया था। फिर भी अुनमें बहुतसे जोशीले नौजवान थे। वे बड़े तीसमारखांकी भी मनमानी सहन करनेवाले नहीं थे। अिस कारण अुनमें और अधिकारियोंमें हमेशा खटपट रहती थी।

अन्तमें नाजुक प्रसंग आया। मेजर जोन्स अुबल पड़े। अुन्होंने मान लिया कि ये लोग जान-बूझकर अपना काम नहीं करते। अुन्होंने अुनकी बुरी आदत मिटा देनेका विचार किया और अुनमें से छह आदमियोंको कोड़े लगानेका हुक्म दिया। अिस सजाकी खबर फैलते ही सारी जेलमें खलबली मच गअी। प्रत्येक मनुष्य जानता था कि जेलमें क्या हो रहा है और किस कारण हो रहा है। अुन कैदियोंको मेरे बाड़ेके आगेसे ले जाया जा रहा था तब मैंने अुन्हें देखा। मेरे हृदयमें मंथन हुआ। अुनमें से अेकने मुझे पहचान लिया और प्रणाम किया! अंधेरी कोठरियोंमें जो 'राजनीतिक' कैदी थे, अुन्होंने अिस घटनाके विरोधमें हड़ताल करनेका विचार किया।

मैं अिससे पहले मेजर जोन्सके गुणोंकी तारीफ कर चुका हूं। यहां मुझे अुनके कार्यकी आलोचना करनेका दुःखपूर्ण धर्म पालन करना पड़ रहा है। मेजर जोन्स अुच्च प्रकृतिके, न्यायप्रिय और अफसरोंकी अपेक्षा कैदियोंकी ज्यादा तरफदारी करनेवाले थे। परन्तु अुनके काममें अुतावलापन था। अिसलिअे कभी कभी अपने निर्णयमें वे भूल कर जाते थे। अिससे भी कोअी बहुत हानि नहीं होती थी, क्योंकि वे अपनी भूलका पश्चात्ताप करनेको भी अुतने ही जल्दी तैयार रहते थे। परन्तु कोड़े मारने जैसी सजाओंके मामलोंमें, जहां कि अेक बार की हुअी भूल मिटाअी नहीं जा सकती, यह शुद्धहृदयता निरुपयोगी ही हो जाती है। मैंने नरमीसे सारी बातकी चर्चा अुनसे की, परन्तु मैं यह बात अुनके गले अुतार ही न सका कि कैदीके कम काम करने पर अुसे कोड़ेकी सजा देना किसी भी दृष्टिसे अनुचित है। मैं अुनके दिल पर यह बात नहीं जमा सका कि जिन कैदियोंने अपना काम पूरा न किया हो अुनमें से हरअेकने जान-बूझकर ही अैसा किया है, अिस तरह निश्चयपूर्वक मान लेना अुचित नहीं है। अुन्होंने अितना जरूर स्वीकार किया कि अैसे मामलोंमें कर्मचारियोंका अनुमान गलत तो हो सकता है, परन्तु अुनके अपने अनुभवके अनुसार अिसकी अितनी कम संभावना होती है कि अुसे हिसाबमें लेनेकी जरूरत नहीं। दुर्भाग्य-वश अनेक अधिकारियोंकी भांति मेजर जोन्स भी कोड़ेकी सजाकी अुपयोगिताको माननेवाले थे।

अिस घटनाको अत्यंत गंभीर मानकर 'राजनीतिक' कैदी अुमके विरुद्ध अुपवास शुरू करनेकी तैयारीमें थे कि मुझे अुसका पता चल गया। मुझे महसूस हुआ कि जब तक अपने पक्षके बिलकुल स्पष्ट औचित्यके बारेमें अत्यन्त जबर-दस्त आधार न हो, तब तक अुपवास करना गलत है। और कैदी कानूनको अपने हाथमें लेकर स्वयं अपना न्याय नहीं कर सकते। अिसलिअे अिन सब भाअियोंसे मिलने देनेके लिअे मैंने फिर अेक बार मेजर जोन्ससे अनुमति मांगी। अिस बार भी पहलेकी तरह अिजाजत देनेसे अिनकार कर दिया गया। अिस बारेमें मेरा अधिकारियोंसे जो पत्रव्यवहार हुआ अुसे मैं प्रकाशित कर चुका हूं।* यह लेख पढ़ते समय वह पत्रव्यवहार भी साथ ही पढ़ लेनेकी अध्ययनशील पाठकोंसे मैं सिफारिश करता हूं।

मुझे फिर अुस 'बेतारके संदेश' का आश्रय लेना पड़ा। राजनीतिक कैदियोंकी अेक बड़ी भूख-हड़ताल और नाजुक लड़ाअी अिस सन्देशके द्वारा रोकी जा सकी। परन्तु अिसी घटनाके सिलसिलेमें अेक और दुःखद प्रसंग अुपस्थित हो गया, जिसका अुल्लेख मुझे यहां करना पड़ेगा। भाअी जयरामदासने मेरा सन्देश जेलके नियमोंकी परवाह न करके राजनीतिक भाअियोंको पहुंचाया। अैसा करनेमें भाअी जयरामदासका अुन राजनीतिक कैदियोंसे मिलना जरूरी था और तदनुसार वे अुनसे मिले। अुन कैदियोंको जान-बूझकर अलग अलग विभागोंमें रखा गया था। अिस कारण भाअी जयरामदास अपना विभाग छोड़कर अुन सब विभागोंमें 'जा पहुंचे!' अलबत्ता कैदी वार्डरोंको और अेक गोरे जेलरको अिस बातकी जानकारी जरूर थी। भाअी जयरामदासने अुनसे कहा कि "मैं जेलके नियमोंका भंग कर रहा हूं, यह मैं जानता हूं। आप मेरे खिलाफ खुशीसे रिपोर्ट कर सकते हैं।"

तदनुसार अुनके बारेमें रिपोर्ट हुअी। मेजर जोन्सने कहा कि यद्यपि वे जानते हैं कि जयरामदासने जो कुछ किया सो शुभ हेतुसे ही किया और यद्यपि वे अिसके लिअे जयरामदासको धन्यवाद देनेको भी तैयार थे, फिर भी अिस सिलसिलेमें जयरामदासने जेलके नियमका जो भंग किया, अुसकी बाकायदा रिपोर्ट अुनके सामने आ पहुंची थी। अिसलिअे नियमानुसार कदम अुठाये बिना अुनका काम नहीं चल सकता था। अुन्होंने भाअी जयरामदासको सात दिनकी अेकान्त कैदकी सजा दी। मुझे जब यह मालूम हुआ तब मैंने मेजर जोन्ससे कहा, "मुझे

* देखिये परिशिष्टके पत्र नं० ९, १० और ११।

भी कमसे कम जयरामदासके बराबर तो सजा मिलनी ही चाहिये। क्योंकि जयरामदासने मेरे कहनेसे ही जेलके नियमका भंग किया था।" अुन्होंने कहा, "जेलके शासनको बनाये रखनेकी दृष्टिसे मेरे सामने बाकायदा पेश किये गये नियम-भंगके अपराधके लिअे नियमानुसार कार्रवाअी करना मेरे लिअे अनिवार्य हो जाता है, अिसीलिअे मैंने जयरामदासको सजा दी है। जयरामदासने जो कुछ किया अुसके लिअे मैं नाराज नहीं हुआ, बल्कि यह सोचकर प्रसन्न हुआ हूं कि अुन्होंने सजा भुगतनेकी जोखिम अुठाकर भी अुपवास करनेको तैयार राजनीतिक कैदियोंसे मुलाकात की और अैसा करके अेक बेहूदी परिस्थितिको पैदा होनेसे रोक दिया।" मुझे सजा देनेके बारेमें अुन्होंने कहा, "आपको सजा देनेका तो मुझे कोअी कारण दिखाअी नहीं देता, क्योंकि आप कोअी अपनी हद छोड़कर नहीं गये। और जयरामदास गये सो आपके भेजे हुअे गये, यह हकीकत अधिकृत रूपमें मेरे सामने पेश नहीं हुअी।" मैं अुनकी दलीलका मर्म समझ गया और मुझे सजा देनेके बारेमें मैंने और आग्रह नहीं किया।

अगले प्रकरणमें सत्याग्रहीकी दृष्टिसे अिससे भी अधिक चमत्कारी और महत्त्वपूर्ण अेक घटनाका वर्णन मैं करूंगा और अुसके बाद हम अहिंसात्मक व्यवहारके नैतिक परिणामों और अुपवासकी नीतिमत्ताका विचार करेंगे।

६

अुपवासकी शास्त्रीय चर्चा

पिछले प्रकरणकी घटनाअें हुअीं, अुस समय मेरी कोठरी ११ कोठरियोंवाले अेक तिकोने बाड़ेमें थी। ये कोठरियां यद्यपि 'अंधेरे' विभागमें ही मानी जाती थीं, तो भी दूसरी 'अंधेरी' कोठरियों और अिनके बीच अेक बड़ी अूंची दीवार स्थित थी। दूसरी 'अंधेरी' कोठरियोंकी तरफ जानेके रास्तेकी ओर हमारे बाड़ेका फाटक था। अिसलिअे अिस रास्ते होकर जाने-आनेवाले कैदियोंको मैं देख सकता था। असलमें अिस रास्ते पर दिनभर कैदियोंका आना-जाना बना रहता था, अिसलिअे कैदियोंके साथ सन्देश-व्यवहार जारी रखना आसान काम था। कोड़ोंकी घटनाके थोड़े दिन बाद हमें यूरोपियन वार्डमें बदल दिया गया। यहांकी कोठरियां 'अंधेरे' विभागवाली कोठरियोंसे बड़ी और अधिक हवा-रोशनीवाली थीं। आंगनमें अेक सुन्दर बगीचा था। परन्तु जब हम 'अंधेरे' विभागमें थे अुस

समय दिनभर हमारे फाटकके सामने हमें कैदी देखनेको मिलते थे। यह सब व्यवहार अब बिलकुल बन्द हो गया और हम अकेले पड़ गये। अिससे हमें सूना सूना लगने लगा। मैंने खुद तो अिस बातका कोअी दुःख नहीं माना। अुलटे, अेकांत अधिक मिलनेसे अध्ययन और मननके लिअे मुझे समय मिलने लगा और 'बेतारके संदेश' का साधन तो मौजूद ही था। क्योंकि जब तक किसी न किसी कैदी या कर्मचारीको हमसे मिलना पड़ता हो तब तक ये सन्देश किसी भी तरह रोके नहीं जा सकते थे। अिसे रोकनेके कितने ही प्रयत्न किये जायं, तो भी अिन कैदियों अथवा कर्मचारियोंमें से कोअी अनायास कुछ न कुछ बोल ही जाता और अुससे हमें जेलकी घटनाओंकी सहज ही जानकारी हो जाती थी। अिस प्रकार अेक दिन प्रातः हमने सुना कि मूलशीपेटाके कुछ कैदियोंको कम काम करनेके अपराध पर कोड़े लगाये गये हैं। साथ ही अिस सजाका विरोध करनेके लिअे मूलशीपेटाके अन्य कअी कैदियोंने अुपवास शुरू कर दिया है। अिनमें से दो को तो मैं अच्छी तरह जानता था। अेक देव थे और दूसरे दास्ताने। भाअी देवने मेरे साथ चम्पारनमें काम किया था और वहांके काम करनेवालोंमें वे बहुत ही निष्ठावान, समझदार और प्रामाणिक कार्यकर्ता माने गये थे। भुसावलवाले भाअी दास्तानेको तो सभी जानते हैं। कोड़े खानेवालोंमें और भोजन न लेनेवालोंमें भाअी देव भी अेक हैं, यह जानकर मुझे कितना दुःख हुआ होगा, अिसकी कल्पना पाठक आसानीसे कर सकेंगे। अिस समय मेरे साथियोंमें भाअी अिन्दुलाल और भाअी मंजरअली सोख्ता थे। वे भी यह सुनकर सहम गये। फिर सबसे पहले तो अुन्होंने सहानुभूतिके लिअे स्वयं भी अुपवास करनेका विचार किया, परन्तु हम अैसी कार्रवाअीके औचित्यके विषयमें चर्चा करके अंतमें अिस निर्णय पर पहुंचे कि अिस प्रकारका अुपवास करना अनुचित है। हमने देखा कि कोड़ेकी सजाके लिअे अथवा राजनीतिक कैदियों द्वारा शुरू किये हुअे अुपवासके लिअे नैतिक अथवा अन्य किसी भी दृष्टिसे हम जिम्मेदार नहीं थे। और, सत्याग्रहीके नाते जेलके तमाम कष्ट और कोड़े खाना आदिकी हद तक दूसरे अन्याय भी आनंदसे सहन करनेको तैयार रहना हमारा धर्म था। अिस दृष्टिसे भावी सजायें रोकनेके लिअे अैसे अुपवास करनेको तैयार होना जेल कर्मचारियोंके प्रति अेक प्रकारका हिंसाभाव धारण करने जैसा था। अिसके सिवा, कर्मचारियोंके व्यवहार पर न्याय प्रदान करनेको बैठनेका हमें हक नहीं था। अैसा करना तो सारे जेल-शासनका अन्त कर देनेके बराबर था। और कर्मचारियोंके

व्यवहारके लिअे हम न्यायाधीश बनें तो भी निष्पक्षतासे न्याय करनेके लिअे आवश्यक जानकारी हमारे पास नहीं थी और न वह जुटायी जा सकती थी। अब यदि अपवास करनेवालोंके प्रति सहानुभूतिसे प्रेरित होकर हम अपवास छेड़ देते, तो अिस बारेमें भी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं थी कि अनका कदम ठीक था या नहीं। अपरोक्त कोअी भी अेक कारण यह दिखानेको काफी था कि हमारा अपवास जल्दबाजीका कदम है।

अिन सब कठिनाअियोंका विचार करके मैंने अपने साथियोंको सुझाया कि सबसे पहले तो सुपरिन्टेन्डेन्टसे पूछ कर हम अिस मामलेकी सही जानकारी प्राप्त करें और पहलेकी तरह अपवास करनेवालोंसे मुलाकात करनेकी कोशिश करें। मेरा खयाल था कि भले ही हम कैदी हों तो भी अैसे मामलोंमें मनुष्यके नाते हम अदासीन रह ही नहीं सकते। क्योंकि कुछ परिस्थितियोंमें जब लगभग अमानुषिक माना जाने जैसा अन्याय होनेकी संभावना हो, तब कैदी होने पर भी जेलके सामान्य शासनमें दखल देनेका हमें हक है। अिसलिअे अंतमें हम अिस फैसले पर आये कि यह मामला अधिकारियोंके सामने रखें। अिस मामलेसे संबंधित मेरा ता० २९–६–'२३ का पत्र 'नवजीवन' के ता० ९–३–'२४ के अंकमें पहले ही प्रकाशित हो चुका है। अससे पाठक अिस घटनाका अधिक ब्यौरा जान लें। पत्रव्यवहार तो काफी हुआ था। संधिकी चर्चायें भी हुअीं। परन्तु वे सब खानगी रूपकी थीं, अिसलिअे अन्हें प्रकाशित करनेकी मेरी अिच्छा नहीं है। यहां अितना ही कहूंगा कि अिस सारी बातचीतके अंतमें सरकारने देख लिया कि मैं जेलके प्रबंधमें खामखाह दखल देनेकी अिच्छासे प्रेरित नहीं हुआ था और अपवास करनेवाले भाअियोंमें से दो नेताओंसे मिलनेकी अिजाजतके बारेमें मेरी मांगका आधार शुद्ध दयाधर्मकी भावनाके सिवा और कुछ नहीं था। अिसलिअे असने मुझे जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट और पुलिसके अच्च अधिकारी मि० ग्रिफिथकी अपस्थितिमें भाअी दास्ताने और देवसे मिलनेकी अनुमति दे दी।

पूरे तेरह दिनके अखंड अपवासके बावजूद जब मैंने अिन दो मित्रोंको किसी सहारेके बिना स्थिर पैरोंसे चलते देखा, तो मेरा हृदय अवर्णनीय आनंद और अभिमानसे अछल पड़ा। वे जितने बहादुर थे अतने ही प्रसन्न दिखाअी देते थे। अनके शरीर भयंकर रूपमें अशक्त हो गये दिखायी दिये। परंतु मैंने देखा कि अनके शरीर जितने अशक्त हो गये थे अतनी ही अनकी आत्मा दृढ़ हुअी

थी। अुन्हें आलिंगन करते करते मैंने हंसकर पूछा, "क्यों, मरणके किनारे आ पहुंचे हो न?" वे बोल अुठे, "हरगिज नहीं। हम तो अुपवासको कितने ही दिन तक लंबा सकते हैं, क्योंकि हम सत्य पर खड़े हैं।" मैंने पूछा, "और यदि भूल कर रहे हो तो?" "तो हम वीरकी भांति अपनी भूल मान लेंगे और अुपवास छोड़ देंगे।" यह कहते समय अुनके चेहरे पर अैसा तेज झलक रहा था कि मैं क्षणभरके लिअे भूल ही गया कि वे कअी दिनसे भूखका कष्ट सह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अुस समयकी हमारी सारी शास्त्रीय चर्चा अिस स्थान पर देने लायक निवृत्ति मुझमें हो। अपने अुपवासका कारण अुन्होंने मुझे यह बताया कि सुपरिन्टेन्डेन्टकी दी हुअी सजा अन्यायपूर्ण थी और अिसलिअे जब तक वे अपनी भूल स्वीकार न करें और माफी न मांगें तब तक वे अुपवास जारी रखना चाहते हैं। मैंने तर्क किया कि अुनका यह रवैया यथार्थ नहीं है। अुनके अुपवासकी जड़में जो नैतिक सिद्धान्त था, अुसकी मैं चर्चा कर रहा था कि अितनेमें सुपरिन्टेन्डेन्टने अपने-आप और सदाकी तरह सद्‌भावपूर्वक बीचमें ही कहा, "मैं आपसे सच कहता हूं कि मुझे महसूस हो जाय कि मैंने भूल की है तो मैं जरूर माफी मांग लूंगा। मुझे मालूम है कि मेरे हाथसे कअी बार भूलें होती ही हैं। हम सब भूल करते हैं। अिस मामलेमें भी कदाचित् मेरे हाथसे सचमुच भूल हुअी होगी। परन्तु मैं अुससे अनभिज्ञ हूं।" अिस ओर मेरा अनुनय-विनय तो जारी ही था। अिन मित्रोंको मैंने बताया कि सुपरिन्टे-न्डेन्टको जब तक मनमें अपनी भूल प्रतीत न हो, तब तक अुनसे माफीकी मांग करना अुचित नहीं है। और अुपवास अुनके मनमें अुनकी भूल अनुभव करानेका मार्ग नहीं। वह तो अुनके गले दलीलोंसे ही अुतारी जा सकती है। और यदि हम सत्याग्रहीके नाते दुःख सहन करनेको बाहर निकले हैं, तो फिर हमारे साथ या हमारे भाअी कैदियोंके साथ अन्याय होने पर अुसके विरोधमें हम अुपवास कैसे कर सकते हैं? अन्तमें अुन्हें मेरे तर्कमें सार जान पड़ा और मेजर जोन्सने खुले दिलसे बीचमें ही किये हुअे अिकरारके अनुसार बाकीका काम पूरा किया। वे अुपवास छोड़नेको राजी हुअे और अुन्होंने दूसरे भाअियोंको भी वैसा करनेके लिअे समझानेकी जिम्मेदारी ली। तुरन्त ही मैंने मेजर जोन्ससे अपने दूधमें से थोड़ासा अुन्हें देनेकी अनुमति मांगी। वह अुन्होंने तुरन्त दे दी। भाअी देव और दास्तानेने दूध लेना स्वीकार तो किया, परन्तु यह बताया कि नहाकर दूसरे अुपवासी भाअियोंके साथ मिलकर ही पियेंगे। मेजर जोन्सने

सब अुपवासियोंके लिअे अुनके शरीर फिरसे सशक्त हो जायं तब तक दूध और फल देनेका हुक्म दिया और अेक-दूसरेके साथ सच्चे हृदयसे हाथ मिलाकर हम सब जुदा हो गये। क्षण भरके लिअे तो अधिकारी अपनी अफसरी भूल गये और हम कैदी भी यह बात भूल गये कि हम कैदी हैं। थोड़ी देरके लिअे हम मानो किसी पेचीदा गुत्थी सुलझानेमें लगे हुअे मित्र ही बन गये थे! और आनन्दकी बात यह थी कि हम अुसे सुलझानेमें सफल हुअे।

अिस प्रकार यह भारी अुपवासकी लड़ाअी समाप्त हुअी। मेजर साहबने मेरे सामने स्वीकार किया कि अुन्होंने अुपवासकी जितनी लड़ाअियां देखी हैं अुनमें यह सबसे निर्मल थी। अुपवास करनेवाले कैदियोंको लुकछुप कर भी कोअी खुराक न मिलने पाये, अिसके लिअे अुन्होंने अत्यन्त सावधानी रखी थी। और अुन्हें विश्वास था कि सारी लड़ाअीके दरमियान अुन लोगोंको अुस तरह कुछ भी खुराक नहीं मिल पाअी थी। मुझे खयाल हुआ कि अुपवास करनेवालोंका तेज अुन्हें पहलेसे ही मालूम होता, तो अुन्हें अैसी खबरदारी रखनेकी जरूरत ही न पड़ती।

अिस घटनाका स्थायी असर यह हुआ कि सरकारको अैसे आदेश जारी करने पड़े कि जेल अधिकारियोंके अपमान अथवा अैसे ही किसी अत्यन्त गंभीर प्रसंगके सिवा अुच्च अधिकारियोंकी मंजूरीके बिना सुपरिन्टेन्डेन्ट कैदियोंको कोड़े लगानेकी सजा न दे। अिस सावधानीकी बेशक जरूरत थी। क्योंकि कुछ मामलोंमें जेल सुपरिन्टेन्डेन्टको भले ही काफी अधिकार देना जरूरी हो, तथापि जो सजायें वापस न ली जा सकती हों अुनके बारेमें तो समझदारसे समझदार सुपरिन्टेन्डेन्ट पर भी अुचित अंकुश रखना जरूरी है।

अिसमें तो सन्देह ही नहीं कि भाअी दास्ताने, देव और दूसरे सत्याग्रहियोंके अुपवाससे बहुत अच्छे परिणाम निकले। क्योंकि अुनके हेतुमें भले भूल थी, फिर भी वह अुदात्त था। अुनका कदम भी सर्वथा निर्मल था। फिर भी परिणाम भले शुभ आया, लेकिन अुपवास तो निन्द्य ही था। और जो अच्छा परिणाम निकला वह अुपवासका फल नहीं था, परन्तु अुसके करनेवालोंने अपने हेतुकी सिद्धिके लिअे गलत रास्ता चुननेका जो अिकरार किया और अुसके प्रायश्चित्त-स्वरूप किया हुआ अुपवास छोड़ देनेका जो साहस दिखाया अुसीका फल था। जिस अवस्थामें खाना और जीना केवल निर्लज्जतापूर्ण हो जाता है अुसी अवस्थामें सत्याग्रही अुपवास करता है, और तभी वह अुचित माना जाता है। अिस

प्रकार कैदीके नाते ही अपने व्यवहारका विचार करके मैं कहता हूं कि यदि मेरी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया जाय या साधारण अिन्सानकी तरह भी मेरे साथ बरताव करनेसे जेलके अधिकारी अिनकार करें — जैसे कि मेरी खुराक मुझे ठीक ढंगसे देनेके बजाय मेरी तरफ फेंक दी जाय — तो अैसी हालतमें वह खुराक लेना और जीना बड़ीसे बड़ी लज्जाकी बात होगी। यह तो कहनेकी बात ही नहीं कि अिस धार्मिक आपत्ति अथवा अपमानका स्वरूप अैसा होना चाहिये, जो किसी भी कैदीको साफ तौर पर खटके। यह चेतावनी देना जरूरी है, क्योंकि अक्सर यह धार्मिक कर्तव्य केवल बहाना ही होता है। और अुसकी तहमें अधिकारियोंको तंग करनेका हेतु होता है। अिसी प्रकार अपमान भी कअी बार जहां अपमानका कोअी कारण न हो वहां अकारण मान लिया जाता है। अिसके सिवा जेलके नियमके विरुद्ध निषिद्ध चिट्ठी-पत्री आदि छुपा कर रखनेके लिअे धर्म-पुस्तकके बहाने भगवद्गीताको अपने पास रखने अथवा प्राप्त करनेका आग्रह मुझे हरगिज शोभा नहीं देगा। अिसी प्रकार मैं यह रोष क्यों करूं कि प्रत्येक कैदीको जो तलाशी देनी पड़ती है अुसमें जेल-कर्मचारी जान-बूझकर मेरा अपमान करते हैं? सत्याग्रहमें पाखंडके लिअे कोअी गुंजाअिश नहीं। परंतु यदि अुपवासियोंसे मिलकर अुनका दृष्टिबिन्दु समझ लेने और अुनकी भूल हो तो अुन्हें समझानेका मौका भी मुझे देनेसे सरकार अिनकार कर दे, तो अुस स्थितिमें मुझे अुपवास करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब मैं देखूं कि मेरा रक्षक साधारण मनुष्यताका दयाधर्म भी पालन करे तो मैं भूखों मरते हुअे मनुष्योंको बचा सकता हूं, तब हर कोशिशसे अुन्हें बचाना मेरा धर्म हो जाता है। और जब तक मैं अैसा न करा सकूं तब तक मैं जीवनसे चिपटे रहनेके लिअे अन्न नहीं खा सकता।

कुछ मित्र कहेंगे : "अैसा सूक्ष्म भेद करनेका प्रयोजन क्या? यदि हम जेलके बाहर अधिकारियोंको तंग कर सकते हैं, तो जेलके भीतर भी अैसा क्यों न करें? आपने जेल-अधिकारियोंके साथ जैसा सहयोग किया वैसा हम क्यों करें? अहिंसात्मक रहकर हम सब प्रकारसे अिनका विरोध क्यों न करें? हमारी अपनी सुविधाके लिअे जो नियम हों अुनके सिवा अन्य किसी भी नियमका आदर हम किसलिअे करें? जेल-शासनको कमजोर करनेका क्या हमें पूरा हक नहीं है? क्या यह हमारा धर्म नहीं है? बल-प्रयोग किये बिना यदि हम अधिकारियोंकी स्थिति कठिन बना दें, तो सरकारको बहुत लोगोंको पकड़ना

और जेलमें बन्द करना भारी हो जायगा और अुसे सुलहकी बातचीत करनी पड़ेगी।" अैसा तर्क पूरी गंभीरताके साथ मेरे सामने किया गया है, अिसलिअे अगले प्रकरणमें हम अुसका विचार करेंगे।

७

सत्याग्रही कैदीका व्यवहार

पिछले प्रकरणके अन्तमें दी गअी दलील कुछ मित्रोंकी ओरसे की गअी थी। अन्य किसी कारणसे नहीं तो चूंकि अिस दलीलमें अनेक लोग ओमानदारीसे विश्वास रखते हैं और १९२१ तथा १९२२ में जब हजारों लोग जेलमें गये थे तब अुन्होंने पूरी तरह अैसा ही व्यवहार किया था, अिसीलिअे वह विचार करने योग्य है।

पहली बात तो यह है कि जेलसे बाहर भी सरकारको परेशान करना हमारा अुद्देश्य नहीं है। हमारा व्यवहार शुद्ध हो तो फिर सरकार अुससे परेशान हो या न हो, अुसका सवाल नहीं। हमारा असहयोग सरकारको जितना परेशान कर देता है, अुतना शायद ही कोअी और अुपाय परेशान करता होगा। परन्तु हम अदालतों और विधान-सभाओंका जो बहिष्कार करते हैं वह केवल अेक धर्मकृत्यके रूपमें ही करते हैं। अर्थात् हमें मालूम हो जाय कि हमारे असहयोगसे शासकोंको आनन्द होता है तो भी हमारा असहयोग बंद तो हरगिज नहीं होगा। और सरकार पर होनेवाले परिणामके विषयमें हम अितने अुदासीन हैं, अिसका कारण यह है कि असहयोगका सरकारके मन पर कुछ भी असर होता हो, तो भी अन्तमें हमारा तो अुसमें कल्याण ही है। परंतु अिस प्रकारका असहयोग जेलमें नहीं हो सकता। हम जेलमें किसी स्वार्थ-साधनके लिअे नहीं जाते। सरकार हमें अपराधी मानती है अिसीलिअे जेलमें बन्द करती है। तब हमारा काम यह हो जाता है कि हम अैसा ही आदर्श व्यवहार दिखायें जो सरकार हमसे चाहती है; जैसे कि जेलके बाहर हमारा काम सरकारकी अदालतें, विधान-सभाअें, पाठशालाअें और पदवियां छोड़कर अुसको यह बताना है कि हम अिन सन्दिग्ध लाभोंके बिना काम चला सकते हैं। हममें से सबको शायद प्रतीत न होता हो तो भी असहयोगका तरीका विरोधीके हृदयको बदलने और अुसकी बुद्धि पर असर डालनेकी क्रिया है,

गुंडापनसे सरकारको भयभीत करनेकी क्रिया नहीं है। अहिंसामय आन्दोलनमें गुंडापनको स्थान नहीं है।

मैंने अनेक बार सत्याग्रही कैदियोंकी तुलना युद्धके कैदियोंके साथ की है। असका कारण है। अेक बार दुश्मनके पंजेमें आ गये कि युद्धके कैदी दुश्मनके साथ मित्रभावसे रहते हैं। युद्धबन्दीके रूपमें कोअी सिपाही दुश्मनको धोखा दे, तो वह बेअिज्जतीकी बात समझी जाती है। सरकार सत्याग्रही कैदियोंको युद्धबन्दी नहीं मानती, असिसे अिस दलीलमें कोअी बाधा नहीं पड़ती। हम युद्धबन्दीकी तरह बरताव करेंगे तो सरकार हमारे साथ तुरन्त आदरका बरताव किये बिना नहीं रह सकती। जेलको हमें अेक प्रकारकी निष्पक्ष संस्था बना देना चाहिये, जिसमें हम अेक हद तक सरकारके साथ सहयोग करें — हमें सहयोग करना चाहिये।

हम अेक ओर जेलके नियम जान-बूझकर तोड़ते रहें और दूसरी ओर हमें मिलनेवाली सजा और जेलके अधिकारियोंकी सख्तीके बारेमें शिकायत करें, यह अत्यन्त अनुचित है और शायद ही सम्मानपूर्ण कहा जा सकता है। अुदाहरणके लिअे, हम तलाशी पर अेतराज करते हैं और झगड़ा करते हैं; फिर भी यदि हम अपने कम्बल अथवा कपड़ोंमें मनाही की हुअी चीजें छुपाकर रखें, तो यह कैसे हो सकता है? अैसी परिस्थितियोंमें हमें असत्य बोलने अथवा और कोअी धोखेबाजी करनेका अधिकार है, यह सत्याग्रहके शास्त्रमें कहीं नहीं लिखा है। जब हम यह कहते हैं कि जेल-अधिकारियोंको तंग करेंगे तो सरकार झुक जायगी और सुलह मांगती हुअी हमारी शरणमें आयेगी, तब या तो हम सरकारको अनजाने भलमनसाहतका प्रमाणपत्र दे देते हैं अथवा अुसे केवल भोली समझते हैं। हम जो अैसा समझते हैं कि जेलके अधिकारियोंको बहुत सताने पर भी सरकार अुसे चुपचाप देखा करेगी और हमें अुचित सजा देकर पूरी तरह साहसहीन बना देनेमें आगापीछा करेगी, यह सरकारको भलमनसाहतका प्रमाणपत्र देना ही तो है। अिस मान्यताका अर्थ यही होता है कि शासकोंको हम अितना विचारशील और दयालु मानते हैं कि कठोर दंडका कारण पैदा करने पर भी वे हमें कठोर दंड नहीं देंगे। सच बात तो यह है कि वे समूची मर्यादा छोड़नेमें भी नहीं हिचकिचाते, और कुछ अवसरों पर नियमानुसार जो सजा दी जा सकती है अुतनी ही नहीं, परन्तु नियम-विरुद्ध अधिक सजा भी देते हैं।

परन्तु मेरा तो पक्का निश्चय है कि यदि हमने शुरूसे आखिर तक सत्याग्रहीको शोभा देनेवाला प्रामाणिक और सम्मानपूर्ण व्यवहार किया होता, तो

हम अपने प्रति सरकारके सारे विरोधको जीत सकते थे। और कुछ नहीं तो अितने अधिक कैदियोंके अत्यन्त सम्मानपूर्ण व्यवहारसे अैसे प्रतिष्ठित और निर्दोष मनुष्योंको जेलमें बन्द करनेकी भूल सरकारसे लज्जापूर्वक स्वीकार करा सकते थे। क्योंकि क्या सरकारका यह दावा नहीं है कि हमारी अहिंसा हिंसाको छिपानेका केवल अेक आवरण-मात्र है? तो जितनी बार हम अुत्पात करते हैं, अुतनी ही बार क्या हम अुसके हाथोंमें नहीं खेलते?

अिसलिअे मेरी रायके अनुसार सत्याग्रहीके रूपमें कैदमें जाकर हम नीचे लिखे अनुसार चलनेके लिअे बंधे हुअे हैं:

१. अत्यन्त प्रामाणिकतासे व्यवहार करना;

२. जेलके अधिकारियोंके साथ जेलके प्रबंधमें सहयोग देना;

३. तमाम अुचित नियमोंका पालन करके दूसरे कैदियोंके लिअे अुदाहरण अुपस्थित करना;

४. केवल स्वास्थ्यके कारण जो जरूरी हो अुसके सिवा साधारणसे साधारण कैदीको न मिलनेवाली कोअी भी सुविधा और कृपा न मांगना;

५. अूपर स्वास्थ्यके कारण बताअी गअी जो सुविधा चाहिये अुसे मांगनेमें संकोच न रखना और वह न मिले तो क्रोध न करना;

६. जितना और जो भी काम सौंपा जाय अुसे अपनी पूरी शक्तिके अनुसार पूरा करना।

अिस प्रकारका व्यवहार सरकारकी स्थितिको विषम और असमर्थनीय बना देगा। अुसमें विश्वासका अितना अभाव है और वह हमारे अीमानदारीसे बरतनेकी अितनी कम आशा रखती है कि प्रामाणिकताका अुत्तर प्रामाणिकतासे देना अुसके लिअे कठिन हो जायगा। अुत्पातकी तो वह आशा रखती ही है; और अुत्पात हो तो अुसका दोहरा अर्थ सिद्ध होता है। अराजकताके अपराधसे वह निपट सकी है, परन्तु अहिंसाके आगे तो झुकनेके सिवा और कोअी रास्ता अभी तक अुसके हाथ नहीं लगा है। सत्याग्रहीके जेल जानेकी तहमें यह अुद्देश्य रहता है कि वह नम्रतासे यातनायें सहन करके अपना दुःख मिटाये। अुसे विश्वास है कि न्यायकार्यके लिअे नम्रतासे संकट सहन करनेमें कुछ और ही खूबी है और वह खूबी तलवारकी खूबीसे बेहद बढ़ी-चढ़ी है। यह सब कहनेका अर्थ यह नहीं है कि सरकारका व्यवहार जब हमारे आत्म-सम्मानका हनन करे, तब भी हम विरोध न करें। अुदाहरणार्थ, जेलके अधिकारी हमें गाली दें अथवा हमारा भोजन कुत्तेकी तरह हमें डालें, तो मरनेकी

हद तक जाकर भी अुसका हम विरोध करेंगे। अपमान करना या गाली देना किसी अधिकारीके कर्तव्यमें नहीं आता। अिसलिअे अपमान और गालीका तो विरोध करना ही चाहिये। परन्तु तलाशीका विरोध हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि अुसका समावेश जेलके कानूनमें होता है।

मैंने चुपचाप दुःख सहन करनेकी जो बात लिखी है, अुसका यह अर्थ भी नहीं होना चाहिये कि सत्याग्रहियों जैसे निर्दोष कैदियोंको साधारण कैदियोंके साथ अेक ही वर्गमें रखनेके विरुद्ध कोअी आन्दोलन न किया जाय। अितनी ही बात है कि कैदियोंके रूपमें कोअी भी सुविधा अथवा कृपा हम नहीं मांग सकते। पुराने-पक्के अपराधियोंके साथ रहनेमें हमें संतोष मानना चाहिये और अैसा करनेमें अुनकी नीति सुधारनेका जो मौका मिलता है अुसका भी हमें स्वागत करना चाहिये। फिर भी अपनेको सभ्य बतानेवाली किसी भी सरकारसे यह आशा रखी जा सकती है कि वह अिस अत्यंत स्वाभाविक वर्गभेदको अवश्य स्वीकार करेगी।

८

जेलका अर्थशास्त्र

जिसे जेलका कुछ भी अनुभव है, अैसा कोअी भी आदमी जानता है कि सब विभागोंमें जेल-विभाग ही रुपयेकी सबसे ज्यादा तंगी भुगतता है। अस्पताल तुलनामें सबसे अधिक खर्चीली सार्वजनिक संस्था कहलाती है। जेलमें प्रत्येक वस्तु सादीसे सादी और कच्चीसे कच्ची होती है। जेलमें मानव-श्रमके व्ययकी अुदारता है, जब कि रुपये और साधनोंके अिस्तेमालमें पूरी कंजूसी है। अस्पतालोंमें अिससे अुलटा ही है। फिर भी दोनों संस्थाअें मानव-व्याधिके अिलाजके लिअे बनायी गअी हैं —— जेल मानसिक व्याधियों और अस्पताल शारीरिक व्याधियोंके लिअे। मानसिक व्याधि अपराधके रूपमें मानी जाती है, अिसलिअे सजाकी पात्र समझी जाती है; शारीरिक व्याधि प्रकृतिकी अनचाही आपत्ति मानी जाती है और अिसलिअे अुसका सावधानीसे अिलाज होना चाहिये। वास्तवमें अैसा कोअी भेद करनेका अुचित कारण नहीं। मानसिक और शारीरिक दोनों व्याधियां समान कारणोंसे ही पैदा होती हैं। मैं चोरी करता हूं तो नीरोग समाजके नियमोंका भंग करता हूं। यदि मेरे पेटमें दर्द है तो भी मैं नीरोग समाजके नियमोंका भंग

करता हूं। शारीरिक व्याधिके लिअे हलके अुपाय किये जाते हैं; अिसका अेक कारण यह है कि कथित अूंचे वर्गके लोग नीचे वर्गके लोगोंकी अपेक्षा आरोग्यके नियम शायद अधिक बार तोड़ते हैं। अिन अूपरके वर्गोंको साधारण चोरी करनेका अवकाश नहीं होता; और यदि साधारण चोरी बनी रहे तो अुनके जीवन-क्रममें खलल पहुंचे। अिसलिअे आम तौर पर स्वयं ही कानून बनानेवाले होनेके कारण वे स्थूल चोरीको दंडित करते हैं। हां, अुन्हें प्रतिक्षण अिस बातका तो भान होता ही है कि अुनके ढोंग और आडंबर, जिनके बारेमें कोअी बोलता नहीं, स्थूल चोरियोंकी अपेक्षा समाजके लिअे बहुत अधिक हानिकारक होते हैं।

यह भी देखनेकी बात है कि जेलें और अस्पताल गलत चिकित्साके कारण ही बढ़ते हैं। अस्पताल अिसलिअे भरते हैं कि बीमारोंको सहलाया जाता है। जेलें अिसलिअे भरती हैं कि कैदी सुधर ही नहीं सकते यह मान कर अुन्हें सजा दी जाती है। यदि प्रत्येक मानसिक और शारीरिक रोगको भूल ही माना जाय और प्रत्येक रोगी अथवा कैदीका निष्ठुरतासे भी नहीं और लाड़-प्यारसे भी नहीं, परन्तु सहानुभूति और समभावसे अिलाज किया जाय, तो जेल और अस्पताल दोनों कम हो जायं।

जेलकी अपेक्षा अस्पताल नीरोग समाजके लिअे अधिक जरूरी चीज नहीं हैं। दोनोंकी समान आवश्यकता है। प्रत्येक बीमार और प्रत्येक कैदी अस्पताल और जेलसे निकले, तब मानसिक और शारीरिक आरोग्यके नियमोंका प्रचारक बन कर ही निकलना चाहिये।

परन्तु यहां मैं यह तुलना बन्द करूंगा। पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जेलोंमें होनेवाली कंजूसी किफायतके बहाने की जाती है। पानी खींचना, आटेके लिअे चक्कियां चलाना, रास्ते और पाखाने साफ करना, खाना बनाना आदि सारे काम कैदियोंसे कराये जाते हैं। फिर भी वे स्वावलम्बी नहीं बनते, बल्कि अुनके मेहनतानेसे अुनका खाना भी नहीं निकलता। और अुनकी अितनी ज्यादा मेहनतके बावजूद अुन्हें अैसी खुराक नहीं मिलती, जो अिस तरह पकायी गअी हो कि अुन्हें रुचिकर मालूम हो। अिसका कारण अितना ही है कि जो कैदी खाना वगैरा बनाते हैं अुन्हें आम तौर पर अपने काममें कुछ भी रस नहीं होता। वे अपने कामको निर्दय देखरेखमें की जानेवाली अेक प्रकारकी बेगार ही मानते हैं। यह तो सहज ही समझा जा सकेगा कि यदि कैदी समाज-

सेवक होते और अपने साथियोंके कल्याणमें दिलचस्पी लेनेवाले होते, तो वे कभी कैदमें ही न पड़ते। मतलब यह है कि यदि अधिक विवेकपूर्ण और नीतिपूर्ण प्रबंध किया जाय, तो जेल आजकी खर्चीली सजाकी बस्तियोंके बजाय सहज ही स्वावलम्बी सुधार-गृह बन जायं। मैं तो पानी खींचने, आटेकी चक्कियां चलाने और अैसे ही दूसरे कामोंमें कैदियोंका शरीर-श्रम जिस भयंकर मात्रामें बरबाद होता है अुसकी बचत करना चाहूंगा। अगर जेलोंका प्रबंध मेरे हाथोंमें हो तो मैं आटा बाहरसे लाअूं, पानी पम्पसे खिचवाअूं और दूसरे अनेक काम अनेक कैदियोंसे करानेके बजाय जेलोंको खेती, हाथ-कताअी और हाथ-बुनाअीके कारखाने बना डालूं। छोटी जेलोंमें केवल चरखे और करघे ही रखे जायं। अिस समय भी अधिकांश सेन्ट्रल जेलोंमें करघे तो चलते ही हैं; केवल पींजन व चरखे और जारी करनेकी जरूरत रहेगी। बहुतसी जेलोंमें तो कपास जितनी चाहिये अुतनी आसानीसे अुगाअी जा सकती है। अिससे राष्ट्रीय गृह-अुद्योग लोकप्रिय हो जायंगे और कैदखाने स्वावलंबी बन जायेंगे। सब कैदियोंको मेहनतका बदला मिल जायगा और अितने पर भी आजकलकी तरह अिससे स्पर्धाको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

यरवडा जेलके साथ अेक छापाखाना चलता है। यह छापाखाना ज्यादातर कैदियोंकी मेहनतसे ही चलाया जाता है। अैसे छापाखाने यदि बाहरकी छपाअीका काम लेते हों, तो मैं कहूंगा कि वे साधारण छापाखानेके साथ अनुचित स्पर्धा करते हैं। यदि कैदखाने अुद्योग-संस्थाओंके साथ स्पर्धा करें, तो स्पष्ट है कि वे आसानीसे नफा कमायेंगे। परन्तु मेरे कहनेका तात्पर्य यह है कि अैसी स्पर्धा किये बिना कैदखाने स्वावलंबी बन सकते हैं और साथ ही काम करनेवाले मनुष्यको अेक अैसे अुद्योगका ज्ञान मिल सकता है, जो कैदीके जेलसे छूटनेके बाद स्वतंत्र धंधा करनेमें अुसे सहायक हो और जिससे प्रतिष्ठित नागरिकका जीवन बितानेकी दिशामें अुसे प्रोत्साहन मिले।

और बस्तीकी शांतिमें खलल न पड़े, अिस हद तक मैं कैदियोंके आस-पास घरके जैसा वातावरण बना दूं। मतलब यह है कि मैं अुनके लिअे अपने सगे-संबंधियोंसे जब चाहे तब मिलनेकी, पुस्तकें मंगानेकी और शिक्षा प्राप्त करनेकी भी व्यवस्था कर दूं। आज कैदियोंके प्रति जो अविश्वास रखा जाता है, अिसके बजाय मैं विश्वास स्थापित करूं। वे जो भी काम कर सकें वह अुन्हें सौंपूं और अुन्हें अपनी खुराक कच्ची या पक्की मंगा लेने दूं।

अधिकांश सजाओंकी मियाद मुकर्रर होती है। अिसके बजाय मैं अुन्हें अनियमित बना दूं। वह अिस तरह कि समाजकी रक्षाके लिअे और कैदियोंके अपने सुधारके लिअे अुन्हें जितने अरसेके लिअे जेलमें रखना जरूरी हो अुससे अेक घड़ी भी अधिक मैं अुन्हें जेलमें न रखूं।

मैं जानता हूं कि यह सब करनेके लिअे सारी संस्थाकी रचना नये सिरेसे करनी चाहिये। और आजकल जिस प्रकार अधिकांश जेलर फौजी नौकरीसे निवृत्त मनुष्य होते हैं अुसके बजाय जेलोंमें दूसरी ही तरहके आदमी नियुक्त करने चाहिये। मुझे यह भी विश्वास है कि अैसा सुधार करनेमें नया खर्च भी शायद ही अधिक करना पड़े।

अभी तो कैदखाने लफंगोंके लिअे आराम-घर और मामूली सीधे कैदियोंके लिअे जुल्मखाने हैं। और अधिकांश कैदी तो सीधे ही होते हैं। लफंगोंको जो चाहिये सो मिल जाता है और बेचारे सीधे कैदियोंको वे चीजें भी नहीं मिलतीं जिनके बिना अुनका काम नहीं चल सकता। मैंने अूपर जिस योजनाकी धुंधली रूपरेखा बताअी है, अुसके अनुसार तो लफंगोंको सुखकी आशा रखनेसे पहले सीधा हो जाना पड़ेगा और सीधे निर्दोष कैदियोंको भरसक अनुकूल वातावरण मिल जायगा। प्रामाणिकताका बदला मिलेगा और बदमाशीकी सजा।

कैदियोंसे भोजनके बदले काम लेनेसे आलस्यका नाम नहीं रहेगा और जेलोंमें खेती तथा बुनाअीके दो अुद्योग और अुनसे संबंधित सहायक अुद्योग रखनेसे आजकल देखरेखके लिअे जो भारी खर्च करना पड़ता है वह बहुत कम हो जायगा।

९

कुछ कैदी वार्डर – १

कैदियोंको जेलके अमलदार अथवा वार्डर नियुक्त करनेकी प्रथाके बारेमें मैं लिख चुका हूं। अिस प्रथाको मैं बिलकुल खराब और अनीतिकारक मानता हूं। जेलके अधिकारियोंको भी अिस बातका भान है। वे कहते हैं कि किफायतके लिअे अैसा करना पड़ता है। वे मानते हैं कि मौजूदा वैतनिक नौकरोंके सिवा कैदी नौकर भी न रखे जायं, तो जेलकी सुव्यवस्था नहीं हो सकती। पिछले प्रकरणमें मैंने जो सुधार सुझाया है, वह जारी न किया जाय तो कैदियोंको जिम्मेदारीका काम सौंपे बिना काम नहीं चल सकता। अथवा जेलका खर्च बहुत बढ़ जायगा।

फिर भी अिस प्रकरणमें मैं जेलोंके सुधारके बारेमें बहुत नहीं कहना चाहता हूं। कुछ कैदी अमलदार हमारी देखरेख और संभाल करनेके लिअे रखे गये थे। अुनके साथके अपने कुछ सुखद अनुभव ही बताअूंगा।

जब भाअी बैंकरको और मुझे यरवडा सेन्ट्रल जेलमें ले जाया गया, तब हम पर अेक वार्डर और अेक अरदली रखा गया था। अरदलीका अर्थ काम-काज करनेवाला नौकर होता है। वह कैदी वार्डर जिससे हमारा पहला परिचय हुआ, पंजाबकी तरफका हिन्दू था। अुसका नाम हरकरण था। वह हत्याका अपराधी ठहराया गया था। अुसके कथनानुसार अुसने जान-बूझकर हत्या नहीं की थी, परन्तु क्रोधके आवेशमें की थी। अुसका धंधा फुटकर दूकानदारीका था। अुसे १४ वर्षकी सजा मिली थी, जिसमें से लगभग ९ वर्ष तो अुसने पूरे कर लिये थे। अुसकी अुम्र काफी बड़ी होगी। जेल-जीवनका अुस पर असर दिखाअी देता था। वह सदा विचार-मग्न रहता था और छूटनेकी आतुरतासे बाट देखता था। अिसलिअे वह अत्यंत जड़, नीरस और चिड़चिड़ा हो गया था। अुसे अपने पदका भान था। जो अुसका कहना मानते और अुसकी सेवा करते, अुन पर अुसकी पूरी मेहरबानी रहती थी। जो अुसके आड़े आते अुन्हें वह भयभीत रखता था। देखनेसे वह शायद ही किसीको हत्याका अपराधी मालूम होता था। वह अुर्दू सपाटेसे पढ़ सकता था। धार्मिक वृत्तिवाला भी था और अुर्दू भजन पढ़नेका अुसे शौक था। यरवडा जेलके पुस्तकालयमें कैदियोंके लिअे हिन्दी भाषामें लिखी हुअी बहुत पुस्तकें हैं। वहां अुर्दू, गुजराती, मराठी, सिन्धी, कानड़ी और तामिल भाषाकी पुस्तकें भी हैं। जेलके नियमोंको

ताकमें रखकर छोटी छोटी चीजें अपने पास छुपाकर रखनेमें वह संकोच नहीं करता था, क्योंकि अुसके मतके और बहुतसे कैदी थे। छोटी छोटी चीजें न चुराना तो वहां पागलपन और मूर्खता मानी जाती है। अिस अलिखित कानूनको न माननेवाले कैदीकी दूसरे कैदी बुरी हालत करते। कमसे कम सजा असहयोगकी मानी जाती। जेलके आंगनकी सारी जमीन अेक फुट तक खोद डाली जाय, तो अुसमें से चमचे, चाकू, बरतन, सिगरेट, साबुन और दूसरी अनेक छुपाअी हुअी चीजें निकलेंगी। हरकरण तो यरवडामें बूढ़ा हुआ था, अिसलिअे कैदियोंका मुख्य मोदी जैसा ही हो गया था। कैदीको कुछ भी चाहिये तो हरकरण ला देगा। अेक बार मुझे रोटी और नींबू काटनेके लिअे छुरी चाहिये थी। मैं हरकरणके द्वारा मंगवाता तो वह जरूर ला देता। सुपरिन्टेन्डेन्टसे मांग करनेकी झंझटमें मुझे पड़ना हो तो भले ही पड़ूं, पर वहांसे अिनकार सुननेकी भी मुझे तैयारी रखनी ही चाहिये। अन्तमें हम सब मित्र बने तब अुसने मुझे अपने सारे अद्‌भुत पराक्रमोंका वर्णन सुनाया — अफसरको धोखा देनेकी व अपने और दूसरोंके लिअे कअी मनचाही चीजें जुटानेकी बातें, कैदी अपनी जरूरतकी चीजें प्राप्त करनेको कैसी कैसी युक्तियां घड़ते हैं अिसकी बातें और अैसी युक्तिके बिना जेलमें जीना असंभव है यह अुनकी राय हरकरण बड़े विस्तारसे और खूब गर्वसे कहता था। अुसके पराक्रममें मुझे कोअी रस नहीं आता और न अुसके धंधेमें कोअी हिस्सा लेनेको मेरा मन होता है, यह देखकर अुसे दुःख होता था। मेरे सामने अिस तरहकी बातें करनेकी अुससे जो भूल हो गअी थी, अुसे कुछ सुधार लेनेका अुसने बादमें प्रयत्न किया था और मुझे विश्वास दिलाया था कि 'आप जो कहते हैं वह मैंने समझ लिया। अब मैं अिस तरह नियमोंका भंग नहीं करूंगा।' परन्तु मुझे शक है कि यह पश्चात्ताप अूपरी ही था। पाठक अिन सब बातोंसे यह न समझें कि जेलके अधिकारियोंको नियमके अिन भंगोंका पता नहीं होता। ये तो सर्वविदित हैं। अुन्हें अिन सब बातोंका पता ही नहीं होता, बल्कि सुख-चैनसे रहनेके लिअे अैसी युक्तियां करनेवाले कैदियोंके प्रति अुन्हें अक्सर सहानुभूति भी होती है। ये अधिकारी अिस सिद्धान्तको माननेवाले होते हैं कि 'तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते।' अूपरवालोंके सामने जो ठीक व्यवहार रखें, अुनके हुक्म मानें, अपने साथियोंसे न लड़ें और अधिकारियोंको तंग न करें, कहा जा सकता है कि अैसे कैदियोंको अधिक सुख प्राप्त करनेके लिअे कोअी भी नियम तोड़नेकी छूट है।

खैर, तो हरकरणके साथ मेरा प्रथम परिचय कोअी खास मीठा नहीं कहा जा सकता। वह जानता था कि हम अूंचे दर्जेके कैदी हैं। परन्तु अुसका दर्जा भी कम नहीं था। वह अेक अमलदार था और अुसके टिकट पर दर्ज था कि अुसने अिज्जतके साथ लम्बी नौकरी की है। अुसे किसीकी शर्म नहीं थी। हमारे जानेके दूसरे ही दिन बैंकरको मेरे पाससे हटा दिया गया, अतः हरकरण अपनी सत्ताका दौर मुझ पर पूरी तरह चलाने लगा। 'आप यह न करें, आप वह न करें। सफेद लकीर (हकीमजीके पत्रमें मेरी बताअी हुअी सफेद लकीर) के बाहर न जायं।' परन्तु अुससे बैर बांधने या अुसका विरोध करनेका मेरा जरा भी खयाल नहीं था। अपने काम और अध्ययनसे समय मिले तो ही मुझे हरकरणकी नादान और बालिश आज्ञाओंका विचार करनेकी फुरसत मिल सकती थी न? अतः अुसकी ये बातें मेरे लिअे तो थोड़ी देरका विनोद-मात्र थीं। हरकरणको बादमें अपनी भूल मालूम हुअी। जब अुसने देखा कि अुसकी गड़बड़से मैं न तो चिढ़ा हूं और न अुसकी कोअी परवाह करता हूं, तब वह निरुपाय हो गया। अैसे प्रसंगके लिअे वह तैयार न था। अिसलिअे अुसके लिअे जो अेकमात्र मार्ग रह गया था वही अुसने चुन लिया। अुसने मेरे और अपने बीचका भेद स्वीकार किया, और मैंने अुसके अनुकूल होनेसे अिनकार किया अिस-लिअे वह मेरे अनुकूल होने लगा। मेरे अहिंसात्मक असहयोगके परिणामस्वरूप अुसने मेरे साथ सहयोग किया। अेक व्यक्ति और दूसरे व्यक्तिके बीचमें, अेक समाज और दूसरे समाजके बीचमें अथवा सरकार और जनताके बीचमें चलनेवाले सभी अहिंसात्मक प्रयोगोंका परिणाम सदा हार्दिक सहयोगमें ही आता है। कुछ भी हो, हरकरण और मैं पक्के दोस्त बन गये। और बैंकरको मेरे पास आनेकी अनुमति मिली, तब अुसने जो कुछ कसर थी वह पूरी कर दी। जेलमें भाअी बैंकरका अेक काम मेरी डोंड़ी पीटना था। अुन्हें खयाल हुआ कि हरकरण और दूसरे लोगोंने मेरे बड़प्पनको पूरी तरह नहीं समझा। दो-तीन दिनमें ही अुन्होंने मुझे सबका लाड़ला बना डाला। कमरा झाड़ने और कम्बल सुखानेका मेरा काम मेरे जैसे 'बड़े' आदमीको कैसे करने दिया जा सकता था? पहलेसे ही हरकरण हर्षपूर्वक मेरी देखभाल तो करने ही लगा था, परन्तु अब तो अुसकी अत्यधिक सेवासे मैं घबराने लगा। कुछ भी अपने हाथसे करना, यहां तक कि अेक छोटासा रूमाल धोना भी मेरे लिअे असंभव हो गया। हरकरणको ज्यों ही धोनेकी आवाज आती कि वह तुरंत नहानेकी कोठरीमें दौड़ कर आता

और मुझसे रूमाल छीन लेता। अधिकारियोंको अैसी शंका हुअी कि हरकरण हमारे लाभके लिअे कुछ नाजायज काम कर रहा है असलिअे अथवा अैसे किसी अिरादेके बिना ही हरकरणको हमारे पाससे हटा दिया गया। हमें तो दुःख हुआ ही, परन्तु हरकरणको शायद हमसे अधिक दुःख हुआ होगा। हमारे साथ वह बादशाही भोगता था। अुसे जितना चाहिये अुतना खानेको मिलता था और वह भी हमारी खुराकमें से खुले तौर पर मिलता था। क्योंकि मित्र लोग बाहरसे फल भेजते थे, अिसलिअे हमारा खाना बच जाता था। और हमारी कीर्ति तो चारों दिशाओंमें सुनी जाती थी, अिसलिअे हमारे समागमके कारण दूसरे कैदियोंमें हरकरणका रुतबा बढ़ गया था।

जब मुझे कोठरीके बरामदेमें सोनेकी अनुमति मिली, तब अधिकारियोंने सोचा कि मुझे अेक ही वार्डरको सौंपनेमें जोखिम है। शायद नियम ही अैसा होगा कि जिसकी कोठरी खुली रखी जाय अुस पर देखरेख करनेके लिअे दो वार्डर रखने चाहिये। कदाचित् मेरी रक्षाके लिअे भी अेक वार्डर बढ़ाया गया हो। कारण कुछ भी हो, परन्तु रातको पहरा देनेके लिअे अेक नया वार्डर रखा गया। अुसका नाम शाबासखां था। मैंने कभी कारण नहीं पूछा, परन्तु मुझे अैसा लगा था कि हिन्दू हरकरणका बदला लेनेके लिअे मुसलमान वार्डरको रखा गया था। शाबासखां अेक तगड़ा बलूची था। अुसने हरकरणके साथ ही जेलमें प्रवेश किया था। दोनोंकी अेक-दूसरेके साथ अच्छी पहचान थी। शाबासखां भी हत्याका अपराध करके आया था। अुसकी टोलीमें झगड़ा हो गया था और अुसके कारण यह अपराध हुआ था। शाबासखां जितना लम्बा था अुतना ही चौड़ा था। अुसका कद देखकर मुझे हमेशा शौकतअली याद आते थे। पहले ही दिन शाबासखांने मुझे अभयदान दिया। अुसने कहा, 'मैं आप पर जरा भी पहरा नहीं रखूंगा। मुझे दोस्त समझिये और जैसी आपकी अिच्छा हो कीजिये। मैं कभी आपके आड़े नहीं आअूंगा। मेरे लायक कोअी कामकाज हो तो शौकसे करूंगा; फरमाअियेगा।' और शाबासखांने अपना वचन पूरी तरह पाला। वह हमेशा सभ्यतासे पेश आता। अनेक बार जेलकी बानगी मुझे चखानेकी कोशिश करता, परन्तु मैं न लेता। अिससे अुसके दिलको बड़ा दुःख होता। वह मुझे कहता, 'देखिये अैसी तुच्छ वस्तुअें हम न जुटा लिया करें, तो जिन्दगी रोज अेक ही चीज खाते-खाते असह्य बन जाय। आप लोगोंकी बात दूसरी है। आप तो धर्मके लिअे आये हैं। असलिअे आपको

कोअी परेशानी नहीं होती। परन्तु हम तो अपराध करके आये हैं; अिसलिअे यहांसे जितना हो सके अुतना जल्दी भागनेको ही जी करता है।' शाबासखां जेलरका प्रिय था। अेक दिन अुसके गुणगान करते हुअे जेलरने कहा, 'देखिये तो सही, कैसा सज्जन मालूम होता है। गुस्सेमें बेचारेने हत्या कर डाली, परंतु अब अुसे पछतावा होता है। निश्चित समझिये, जेलके बाहर शाबासखांसे अधिक अच्छे मनुष्य नहीं पाये जाते। यह मानना भूल है कि सभी कैदी अपराधी हैं। शाबासखां तो अत्यंत विश्वासपात्र और शरीफ है। यदि मेरा चले तो मैं अुसे आज ही छोड़ दूं।' और जेलरकी बात गलत नहीं थी। शाबासखां बढ़िया आदमी था। और जेलमें वही अकेला बढ़िया कैदी था अैसा नहीं, और भी थे। परंतु यहां मैं अितना कह देता हूं कि जेलने अुसे अच्छा नहीं बनाया, वह बाहरसे ही अच्छा आया था।

कैदी कर्मचारीको लम्बे समय तक अेक ही काम पर न रहने देनेका जेलमें रिवाज है। अिसलिअे बार बार फेर-बदल होते रहते हैं। यह सावधानी रखना जरूरी होता है। प्रचलित प्रथामें तो कैदियोंको अेक-दूसरेके साथ गाढ़ा सम्बंध रखने ही नहीं दिया जा सकता। अिसलिअे हमें नये नये कैदी कर्म-चारियोंके नये नये अनुभव हुअे। अेक-दो महीनेके बाद शाबासखांको बदलकर आदनको रखा गया। परंतु आदनकी बात अब अगले प्रकरणमें की जायगी।

१०

कुछ कैदी वार्डर – २

आदन सोमालीलैंडका निवासी और अेक जवान सिपाही था और महायुद्धके दिनोंमें ब्रिटिश सेनाको छोड़कर चले जानेके अपराधमें अुसे दस वर्षकी सजा हुअी थी। जेलके अधिकारियोंने अुसे अदनसे बदलकर यहां भेजा था। हम यरवडा गये तब वह अपनी सजाके चार साल काट चुका था। वह निरक्षर था, यही कहा जायगा। मुश्किलसे कुरान पढ़ सकता था, परन्तु अुसमें से देख-देखकर भी कुछ लिख नहीं सकता था। अुर्दू वह ठीक बोलता था और अुर्दू पढ़नेको अुत्सुक रहता था। सुपरिन्टेन्डेन्टकी अिजाजत लेकर मैं अुसे पढ़ाने लगा। परन्तु मूलाक्षर ही अुसे बहुत मुश्किल मालूम हुअे और अुसने पढ़ना छोड़ दिया।

अितने पर भी आदन बड़ा चौकन्ना और कुशाग्र बुद्धिका मनुष्य था। धार्मिक बातोंमें अुसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। कट्टर मुसलमान था, हर-अेक नमाज नियमपूर्वक पढ़ता और आधी रातकी नमाज भी चूकता नहीं था। रमजानके महीनेमें क्या मजाल कि अेक भी रोजा चूक जाय? तस्बीह आठों पहर अुसके साथ रहती, फ़ुरसत होती तब वह कुरानशरीफमें से आयतें पढ़ता। अक्सर मेरे साथ हिन्दुओंमें प्रचलित दिन-रातके पूरे अुपवास पर चर्चा करता। अहिंसाके बारेमें वाद-विवाद करता। शूरवीर आदमी था। पूरा विनयी होते हुअे भी किसीकी खुशामद या अनुनय-विनय कभी नहीं करता था। मिजाज अुसका जरा गरम था, अिसलिअे अक्सर अर्दलीके साथ या दूसरे वार्डरके साथ लड़ पड़ता। अिस प्रकार हमें कभी कभी अुनके झगड़े निपटाने पड़ते। स्वभावसे सिपाही और समझदार आदमी था, अिसलिअे अैसे समझौतेके अवसरों पर दिया गया फैसला बहसके बिना शिरोधार्य करता। परन्तु अपना पक्ष किसीसे दबे बिना मजबूत भाषामें पेश करता।

आदन ही सब वार्डरोंमें हमारे पास सबसे ज्यादा रहा। अुसका प्रेम मेरे अत्यन्त मूल्यवान संस्मरणोंमें रहेगा। मेरी देखभाल रखनेमें अुसने कोअी कसर नहीं रखी। मुझे मेरी खुराक ठीक समय पर नियमित रूपमें मिल जाय, अिस बारेमें वह खूब खबरदारी रखता था। यदि मैं कभी बीमार हो जाता तो वह अुदास हो जाता। मेरी जरूरतकी चीजोंका वह हमेशा खयाल रखता। मुझे खुद कुछ भी मेहनत करने नहीं देता था। छूट जाने अथवा अन्तमें अपने देश अर्थात् अदनकी जेलमें तबादला करानेको वह अत्यन्त अुत्सुक था। मैंने अुसकी मदद करनेकी खूब कोशिश की। मैंने अुसके लिअे कअी अर्जियां तैयार की थीं। सुपरिन्टेन्डेन्टने भी भरसक पूरा प्रयास किया, परन्तु बात अदनके जेल-अधिकारियोंके हाथमें थी। अुसे आशा दिलायी गअी थी कि वर्ष (१९२३) का अन्त होनेसे पहले अुसे छोड़ दिया जायगा। मैं अुम्मीद रखता हूं कि वह अिस समय जेलके बाहर होगा।

मैंने अुसकी अिस प्रकार कुछ सेवा की, अिससे तो वह और भी मेरा निजी मित्र बन गया और हमारे बीच पक्का प्रेम हो गया। जब आदनको हमारे विभागसे दूसरे भागमें बदला गया, तब बिदाका वह प्रसंग काफी कठिन सिद्ध हुआ था।

अेक और बातका अुल्लेख करना भी मुझे नहीं भूलना चाहिये। जब मैंने जेलमें कातने-पींजनेका काम शुरू किया, तब आदन अेक हाथसे लूला होते

हुअे भी बड़े अुद्यम और लगनके साथ पूनियां बनानेमें लगा रहता था। समय पाकर वह अिस कलामें पूरा प्रवीण हो गया और अिस काममें अुसे खूब रस भी आने लगा था।

जैसे शाबासखांकी जगह आदनने ली थी, वैसे ही हरकरणके स्थान पर भीवा आया। कुछ ही देरमें हमें आश्चर्यके साथ पता लगा कि भीवा दक्षिणी महार अर्थात् अछूत जातिका था। अिससे हमारे आनन्दका पार नहीं रहा। जितने भी वार्डरोंके संसर्गमें जेलमें मैं आया हूं, अुन सबमें मेरे खयालसे यह भीवा सबसे अधिक अुद्योगी था। पाठकोंको सुनकर आश्चर्य होगा कि जेल भी अिस अस्पृश्यताकी गंदगीसे मुक्त नहीं रह पाअी है। बेचारा भीवा हमारी कोठरियोंमें घुसनेमें कांपता था! हमारे पानीके घड़ेको छूता नहीं था। हमने अुसे तुरंत आश्वासन दिया कि अस्पृश्योंके लिअे हमारे मनमें किसी भी प्रकारकी घृणा नहीं है; अितना ही नहीं परन्तु हम अिस कलंकको धोनेके लिअे भरसक सब कुछ करनेवाले हैं। भाअी शंकरलालने तो अुसके साथ खास तौर पर दोस्ती कर ली और वह देखते देखते हमारे साथ पूरी तरह हिलमिल गया। अुन्होंने भीवाको अपने साथ अिस हद तक आजादीसे बरताव करनेवाला बना दिया कि कभी कभी शंकरलाल अुस पर बिगड़ते, तब भीवा भी नाराज हो जाता और अन्तमें शंकरलाल अुससे माफी मांगकर अुसे मना कर लाते! शंकरलालने अुसे पढ़नेको भी ललचाया और कातना तो वह सीख ही गया। परिणाम यह हुआ कि न मानने लायक थोड़े समयमें भीवा अेक बढ़िया कतवैया बन गया और अिस कामसे अुसे अितना प्रेम हो गया कि अुसने बुनाअी सीख लेने और जेलसे छूटनेके बाद अिस धंधेसे ही अपना गुजारा करनेका संकल्प किया!

जेलमें मैंने सुबह सवा चार बजे गरम पानीमें नीबू निचोड़कर पीनेकी आदत डाल ली थी। चार बजे अुठकर मेरे लिअे गरम पानी तैयार करनेका काम करनेके बारेमें जब मैं शंकरलालका विरोध करने लगा, तब शंकरलालने चुपकेसे भीवाको अिस रहस्यकी दीक्षा दे दी! कैदी जेलमें अुठते तो बहुत जल्दी हैं, परन्तु अितनी जल्दी अपना बिस्तर (नारियलकी रस्सीकी टाट) छोड़ना अुन्हें अच्छा नहीं लगता। परन्तु भीवाने तो शंकरलालके सुझावका तत्काल दिलोजानसे स्वागत किया।

लेकिन रोज चार बजे भीवाको जगानेका काम तो शंकरलालके ही जिम्मे रहा। जब भीवा चला गया (अुसे खास तौर पर लाभ देकर छोड़

दिया गया था) तब आदनने अिस कामका भार लिया। मैंने अितना काम स्वयं कर लेनेका निश्चय किया था, परन्तु वह मुझे क्यों करने देता? अिस प्रकार यह तड़के ही गरम पानी कर देनेकी परम्परा भाअी शंकरलालके छूट जानेके बाद भी चालू रही। वार्ड छोड़कर जानेवाला प्रत्येक पुराना वार्डर नये आये हुअे वार्डरको अिन सब रहस्योंकी दीक्षा देकर जाता! कहनेकी जरूरत नहीं कि कैदीके करनेके सारे दिनके अनिवार्य कामोंमें अिस प्रातःकालीन कामका समावेश नहीं होता था। और जेलके नियमके अनुसार कैदियोंको वार्डरोंकी जगह मिल जाती है, तो वे स्वयं काम करनेके कर्तव्यसे मुक्त हो जाते हैं। अुन्हें तो आज्ञायें ही देना होता है।

परन्तु जैसे प्राणप्रिय मित्रोंके जीवनमें भी किसी न किसी दिन वियोगका दिन आ पहुंचता है, वैसे ही अेक दिन भीवाने हमसे राम राम किया। शंकरलालकी दी हुअी खादीकी टोपियां, खादीके कुरते, खादीकी धोतियां और अेक खादीका खेस लेनेकी अुसे परवानगी मिल गअी थी। अुसने बाहर जाकर खादीके सिवा और कुछ भी न पहननेका वचन दिया था। मैं आशा रखता हूं कि भला भीवा जहां कहीं होगा वहां अपनी प्रतिज्ञाका पालन कर रहा होगा।

११

कुछ कैदी वार्डर – ३

भीवाके बाद ठमू आया। वह भी दक्षिणी था। ठमू सौम्य रंगढंगका वार्डर था। अुसमें बहुत शअूर नहीं था। वह बताया हुआ काम कर देता। परंतु अपने-आप प्रेरित होकर, खास तौर पर तकलीफ अुठा कर, काम करनेमें अुसकी प्रीति नहीं थी। अिसलिअे अुसकी और आदनकी ठीक पटती नहीं थी। परंतु ठमू डरपोक होनेके कारण अन्तमें हमेशा आदनसे दब जाता था। ठमूकी तो हमारे यहां अैसी मौज थी (जितने आते अुन सबकी होती थी) कि हमसे जुदा होनेकी अुसकी बिलकुल अिच्छा नहीं थी। अिसलिअे बदली होनेके बजाय वह आदनकी धौंस सहनेको तैयार था। ठमू आदनके आनेके बहुत समय बाद आया था। अिसलिअे हमारे यहां आदन बड़ा माना जाता था। 'बड़े और छोटे' के ये काल्पनिक विचार जेल जैसे स्थानोंमें किस प्रकार घर कर लेते हैं, यह देखने लायक होता है।

यरवडा तो हमारे खयालसे अेक दुनिया ही थी। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि वही हमारी अेकमात्र पूरी दुनिया थी। प्रत्येक छोटी-मोटी लड़ाअी अथवा जरा जरा-सी बोलचाल भी जेलके कैदियोंकी दुनियामें अेक बड़ी घटना मानी जाती है। अैसी घटनाकी बारीकसे बारीक बातोंकी भी कअी दिनों तक चर्चा होती है। और अुसके लम्बे लम्बे वर्णन अेक कैदी दूसरेके पास पचासों बार करनेमें भी कभी नहीं थकता। यदि जेल-अधिकारी जेलमें कैदियोंको केवल कैदियोंके ही पढ़नेके लिअे अेक 'जेल अखबार' चलानेकी अनुमति दें, तो यह निश्चित है कि वह कैदियोंमें सौ फीसदी फैल जाय। और फिर अुसमें खबरें भी कैसी मजेदार आयें? बढ़िया पकी हुअी दालकी खबरें, अच्छे संवारे हुअे सागकी खबरें, कैदियोंमें आपसमें चलनेवाले शब्दबाणोंकी बौछार और प्रसंगोपात्त बोलचाल परसे होनेवाली मारपीट और परिणाम-स्वरूप जेल सुपरिन्टेन्डेन्टके सामने होनेवाले 'मुकदमों'के हालचाल वगैरा सब समाचार कैदी अुतनी ही अुत्सुकता-पूर्वक पढ़ेंगे, जितनी अुत्सुकतासे बाहरके लोग बड़े बड़े भोजों अथवा लड़ाअियोंकी खबरें पढ़ते हैं। मैं हमारे विधान-सभाओंमें गये हुअे मित्रोंमें से साहसी सदस्योंके सामने अुपरोक्त सुझाव पेश करता हूं कि यदि वे चाहें तो अिस प्रकारका अेक बिल विधान-सभामें लायें, जिसके अनुसार प्रत्येक जेलके सुपरिन्टेन्डेन्टको कहा जाय कि वे अमलदारोंके कठोर नियंत्रणमें ही सही, कैदियोंको केवल अुनके अपने अुपयोगके लिअे अेक अेक अखबार चलाने और फैलानेकी अिजाजत और सुविधा दें।

खैर, हम फिर ठमूकी बात पर आयें। यद्यपि वह मनुष्यकी हैसियतसे पोचा था, फिर भी दूसरी तरह वह अुससे पहलेके किसी भी वार्डर जितना ही अच्छा था। चरखेको तो अुसने अिस तरह अपना लिया जैसे मछली पानीको अपनाती है। अेक सप्ताहमें तो वह मुझसे भी अधिक समान सूत कातने लगा। और अेक महीनेके भीतर शिष्यने गुरुको कहींका कहीं पीछे छोड़ दिया। यहां तक कि ठमूके बढ़िया सूतसे मुझे अीर्ष्या होने लगी। और ठमूकी प्रगति जिस तेजीसे हो रही थी अुस परसे मैंने देखा कि मेरी मन्दगति मेरी विशेष हार सूचित करनेवाली थी। मतलब यह है कि कोअी भी साधारण मनुष्य अेक महीनेमें आसानीसे सूतका आदर्श तार निकालनेवाला बन सकता है। मैंने जिन जिनको कातना सिखाया वे सब देखते देखते मुझसे आगे बढ़ गये। भीवाकी तरह ही ठमूका भी चरखा अेक महान सुखदायी साथी बन गया। अुसके

धीमे मीठे संगीतमें वे अपने प्यारोंके वियोग-दुःखको डुबा सकते थे। समय पाकर चरखा चलाना ठमूका सुबहका सबसे पहला काम बन गया और वह रोज चार घण्टे कातता था।

जब हमें यूरोपीयन वार्डमें हटाया गया तब कंअी परिवर्तन हुअे। सबसे पहला तबादला आदनका हुआ। अिस तबादलेसे यद्यपि हम प्रसन्न नहीं हुअे, परंतु हमने अुसे बहादुर बनकर स्वीकार किया। फिर ठमूकी बारी आअी। बेचारा तबादलेकी बात सुनते ही रो पड़ा। अुसने मुझे अपने पास ही रख लेनेका प्रयत्न करनेको कहा, परंतु मैं बीचमें कैसे पड़ सकता था। मुझे खयाल हुआ कि यह मामला मेरे क्षेत्रसे बाहरका है। जेल-अधिकारियोंको चाहे जिस कैदीको चाहे जहां ले जानेका हक है।

आदन और ठमूके स्थान पर कुन्ती नामक अेक गुरखा और गंगाप्पा नामक अेक कानड़ी कैदी आये। गुरखा सारी जेलमें 'गुरखा' नामसे ही मशहूर था। वह कम बोलनेवाला था, परंतु बादमें संकोच छोड़कर मनचीती गोष्ठी करने लगा था। शुरूमें तो वह अपनी स्थिति ही निश्चित रूपमें नहीं समझ सका था। शायद अुसे यह भी खयाल हुआ हो कि हम पग पग पर अुसके विरुद्ध अधिकारियोंको रिपोर्ट करेंगे। परन्तु जब अुसने देखा कि हमारा अुसका अैसा कोअी भी अनिष्ट करनेका बिलकुल अिरादा नहीं है, तब वह अधिक निकट आया। परन्तु थोड़े दिनोंमें ही अुसका तबादला हो गया।

गंगाप्पाका थोड़ासा वर्णन जेल पत्रव्यवहारके अुपोद्‌घातमें मैं कर चुका हूं। वह अधेड़ अुमरका था। जेल-नियमोंका बारीकसे बारीक पालन और अपने नियत कर्तव्यके प्रति अुसकी असाधारण निष्ठा, अिन दो चीजोंने मेरे मनमें अुसके प्रति गहरा भाव अुत्पन्न किया। अधिकारी अुसे जो भी काम करनेका हुक्म देते अुसे वह सम्पूर्ण निष्ठासे जी तोड़ कर करता था। जो काम करना अुसका फर्ज न हो अुन्हें भी वह स्वेच्छापूर्वक अपने सिर पर ले लेता था। निठल्ला तो आप अुसे देख ही नहीं सकते थे। अुसने मेरे साथियोंके लिअे रोटियां बनाना और सेंकना सीख लिया। मेरे प्रति अुसका प्रेम तो मैं कभी नहीं भूल सकता। गंगाप्पाने मेरी जितनी जी-तोड़ सेवा की है, अुससे अधिक किसी मनुष्यकी सेवा अुसकी स्त्री या बहन भी नहीं कर सकती। जब देखो तभी वह जागता होता था। मेरी जरूरतोंका पहलेसे खयाल रखनेमें ही अुसे सुख होता था। मेरी अेक अेक चीज कांचकी तरह

साफ रहे और किसी जगह धब्बा या मैलका नाम तक न रहने पाये, अिस बातकी अुसे दिन-रात चिन्ता रहती थी। मैं बीमार हो जाता तो गंगाप्पा ही मेरी सबसे होशियार नर्स होता था, क्योंकि मेरा जतन करना ही अुसका चौबीसों घण्टोंका लक्ष्य था।

जब मैं यूरोपीयन वार्डमें ले जाया गया, तब भाअी मंजरअली और अिन्दुलाल दोनों प्रार्थनाके समय मेरे पास आ बैठते थे। समय पाकर मंजरअलीके छूटनेका समय निकट आया और अुन्हें अलाहाबाद ले जाया गया। भाअी अिन्दुलालको मेरे भक्तिभावकी अपेक्षा कुछ अधिक प्रबल और तात्त्विक चिंतनकी जरूरत महसूस होती थी। अिसलिअे कुछ समयके बाद अुन्होंने मेरी प्रार्थनामें शरीक होना बन्द कर दिया। गंगाप्पाको खयाल हुआ कि अिन मित्रोंके बिना प्रार्थनामें मुझे अकेलापन महसूस होगा और कदाचित् मुझे अुनकी कमी खलेगी। अिसलिअे जिस दिन मुझे अुसने पहले-पहल प्रार्थनामें अकेला बैठे हुअे देखा, अुसी दिन वह चुपचाप आया और मेरे सामने बैठ गया। कहनेकी जरूरत नहीं कि अुसके अिस कार्यकी तहमें कोमल शिष्टताका भाव देखकर मैं खुश हो गया। अुसका कार्य बिलकुल आत्मप्रेरित, विनयपूर्ण और गंगाप्पाके लिअे बिलकुल स्वाभाविक था। रूढ़ अर्थमें मैं अिसे धार्मिक नहीं कहूंगा। यद्यपि मेरी अपनी कल्पनाके अनुसार तो वह सर्वथा धार्मिक था। मेरी अिन प्रार्थनाकी बैठकोंमें मैं किसीको भी निमंत्रण देनेसे हमेशा हिचकिचाता था, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि स्वयंस्फूर्तिके बिना मेरे खातिर कोअी प्रार्थनामें बैठे। अकेले प्रार्थना करनेमें मुझे कभी अकेलापन नहीं लगा। बल्कि अैसे समय मैं सबसे अधिक अीश्वर-सान्निध्य अनुभव करता था। अैसे समय कोअी आये तो मैं चाहता हूं कि वह मेरे साथके खातिर नहीं परन्तु सिर्फ अिसलिअे आये कि वह अिस अीश्वर-सान्निध्यके अनुभवमें भाग ले सके। अिसलिअे वार्डरोंको प्रार्थनामें शरीक होनेका निमंत्रण देनेमें मुझे खास तौर पर हिचकिचाहट होती थी। मुझे लगता था कि कहीं अैसा न हो कि वे मेरे बुलानेके कारण केवल बाहरी शिष्टाचारके खातिर ही प्रार्थनामें आवें। अिससे क्या लाभ? मैं तो अुन्हें अीश्वर-प्रार्थनामें शरीक होनेकी स्वाभाविक अुमंग होने पर ही प्रार्थनामें सम्मिलित होते देखना चाहूंगा। गंगाप्पाने जो मेरा साथ दिया अुसमें मैं मानता हूं कि कुछ तो मेरी अेकाकी स्थितिके प्रति दयाभाव और कुछ आधे घण्टेके पवित्र वातावरणमें भाग लेनेकी अुसकी अपनी अिच्छा — अिन दोनों

भावनाओंका मिश्रण था, यद्यपि प्रार्थनामें मैं जो कुछ गाता था अुस सबमें अेक 'रामनाम' के सिवा अेक शब्द भी वह नहीं समझता था। गंगाप्पाके शरीक होनेके बाद अण्णाप्पा नामक अेक और कानड़ी वार्डर भी अिस प्रार्थनाकी बैठकमें शामिल हुआ और बाद में भाअी अब्दुलगनी भी शरीक होनेको प्रेरित हुअे। मेरा खयाल है कि भाअी अब्दुलगनी, अनजाने ही क्यों न हो, गंगाप्पाके अुदाहरणसे प्रेरित हुअे थे।

अिस प्रकार पाठक देखेंगे कि कैदी वार्डरों सम्बंधी मेरा जेलका सारा ही अनुभव सुखद संस्मरणोंसे भरा हुआ है। मुझे जैसे साथी या अर्दली मिले अुनसे अधिक निष्ठावान साथी या अधिक वफादार अर्दली मैं चाह ही नहीं सकता। वैतनिक मनुष्योंकी सेवा तो अुस पर अेक पैबन्द जैसी ही मानी जायगी और मित्रोंकी सेवा अधिकसे अधिक अुसकी बराबरी ही कर सकती है।

फिर भी समाज अैसे मनुष्योंको दुर्दैववश अुन्हें जेल हो जानेके कारण ही अपराधी अथवा अस्पृश्य मानकर सदा दुतकारता रहे यह कैसी दया-जनक बात है? पिछले प्रकरणमें जेलरका जो वचन मैं अुद्धृत कर चुका हूं, अुससे मैं बिलकुल सहमत हूं। मैं मानता हूं कि हमारी जेलोंमें अैसे अनेक मनुष्य हैं, जो बाहर रहनेवालोंसे बढ़कर हैं। पाठक अब समझ सकेंगे कि जब मैंने सरकार द्वारा छोड़ दिये जानेके समाचार सुने, तब मुझे अेक प्रकारसे दुःख क्यों हुआ। मुझे लगा कि मुझे छोड़ दिया गया और मेरे जिन सब साथियोंने मुझे अितनी ममता-मायासे नहलाया और मेरी रायके अनुसार जिन्हें जेलोंमें बन्द करके रखनेका सरकारके पास बिलकुल कारण नहीं रह गया है, वे तो अभी तक, जैसेके तैसे, जेलोंमें ही रह गये हैं। यह कितना असह्य है?

अेक बात और कहकर गंगाप्पासे मैं दुःखपूर्ण अन्तःकरणसे विदा लूंगा। गंगाप्पा अपनी त्रुटियां हमेशा जानता था। वह कातता नहीं था। वह कहता था कि यह मुझसे नहीं होता, मेरी अंगुलियोंमें अितनी कुशलता नहीं। परन्तु हमारी चरखा-पेटीकी वह पूरी व्यवस्था रखता था। मेरे चरखेको वह कांचकी तरह साफ रखता और अपना बचा हुआ सारा समय रुअीको धूपमें डालने और साफ करके पींजनके लिअे तैयार करनेमें लगाता।

अपने जेल-जीवनके अनेक सुखद संस्मरणोंमें मैं जानता हूं कि कैदी वार्डरोंके सहवासके संस्मरण मेरे मन पर अधिकसे अधिक समय तक बने रहेंगे।

१२

मेरा पठन – १

जब मैं बच्चा था तब पाठशालाकी पुस्तकोंके अलावा और कुछ पढ़नेका मुझे बहुत शौक नहीं था। पाठ्यपुस्तकोंमें ही मुझे विचारकी काफी सामग्री मिल जाती थी, क्योंकि पाठशालामें जो पढ़ता अुस पर अमल करना मेरे लिअे स्वाभाविक था। घर पर पढ़नेकी मुझे अत्यंत अरुचि थी। घर पर जो पढ़ता वह तो जबरदस्ती ही पढ़ता था। विलायतमें विद्यार्थी-अवस्थामें भी परीक्षाकी पुस्तकोंके बाहर कुछ न पढ़नेकी मेरी आदत बनी रही। परन्तु जब मैंने संसारमें प्रवेश किया, तब मुझे खयाल हुआ कि साधारण ज्ञान प्राप्त करनेके लिअे मुझे पुस्तकें पढ़ना चाहिये। परन्तु शुरूसे ही मेरे जीवनमें तूफान और संकट दिखाअी दिये। मंगलाचरणमें काठियावाड़के तत्कालीन पोलिटिकल अेजेंटके साथ झगड़ा हो गया। अिसलिअे साहित्यमें दिलचस्पी लेनेका बहुत समय नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीकामें स्वातंत्र्य-युद्ध मेरे सम्मुख ही होनेके बावजूद अेक वर्ष मुझे काफी निवृत्ति मिली। १८९३ का वर्ष मैंने धार्मिक साधनामें बिताया। अिसलिअे पठन सारा धार्मिक ही हुआ। १८९४ के बाद साधारण पठनका मुझे समय मिला केवल दक्षिण अफ्रीकाकी जेलोंमें ही। मुझे पढ़नेका ही शौक अुत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि संस्कृतका अपना ज्ञान पूर्ण करने और तामिल, हिन्दी और अुर्दूका अभ्यास करनेकी भी अिच्छा हुअी। तामिल अिसलिअे कि दक्षिण अफ्रीकामें मुझे अनेक तामिलभाषियोंसे वास्ता पड़ा था और अुर्दू अिसलिअे कि मुझे बहुतसे मुसलमानोंसे कामकाज रहता था। दक्षिण अफ्रीकमें मेरी पढ़नेकी अभिरुचि तीव्र हो गअी थी, अिसलिअे दक्षिण अफ्रीकाके अपने अंतिम कारावासके दिनोंमें जब मैं जल्दी छोड़ दिया गया तब मुझे दुःख हुआ था।

अिसलिअे जब हिन्दुस्तानमें अैसा अवसर आया तब मैंने अुसका आनंद-पूर्वक स्वागत किया। मैंने यरवडामें अध्ययनका नियमित क्रम तैयार कर लिया था, जिसे पूरा करनेके लिअे छह वर्ष भी काफी नहीं थे। प्रथम तीन मास तक मुझे यह धुंधली-सी आशा थी कि भारत भलीभांति कर्तव्य-पालन करेगा, विदेशी कपड़ेका सम्पूर्ण बहिष्कार करेगा और जेलोंके दरवाजे खोल देगा। परन्तु मुझे तुरन्त ही मालूम हो गया कि अैसा नहीं होगा। मैंने फौरन देख लिया कि अैसा होनेके

लिअे जो शान्त और व्यवस्थित अुद्योग करना चाहिये, अुसे करनेमें जनताको पांच वर्षसे कम नहीं लगेंगे। साक्षात् स्वराज्यके कारण न सही, लेकिन अगर लोगोंके शांतिमय रचनात्मक कार्यके परिणामस्वरूप भी मैं जल्दी छूटूं तब तो ठीक था, अन्यथा जल्दी छूटनेकी मुझे लेशमात्र अिच्छा नहीं थी। जर्जरित शरीरवाला चौवन वर्षका बूढ़ा होने पर भी मैंने चौबीस वर्षके तरुणके अुत्साहके साथ अध्ययन शुरू किया। अपने समयके अेक अेक क्षणका मैं हिसाब रखता था और आशा करता था कि जब छूटूंगा तब अुर्दू और तामिलका खासा अभ्यासी बनकर और संस्कृतका अच्छा ज्ञान प्राप्त करके ही निकलूंगा। संस्कृतके मूल ग्रंथ पढ़नेकी मेरी कामना पूर्ण हुअी होती, परन्तु अैसा होना बदा नहीं था। दुर्भाग्यसे बीमारी आ गअी। अुसके परिणामस्वरूप मैं छूट गया और मेरे अध्ययनके रंगमें भंग हो गया। फिर भी अितनेसे समयमें भी मैं कितना पढ़ सका, अिसकी कल्पना पाठकोंको नीचे लिखी सूचीसे हो जायगी।

अंग्रेजी

१. कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैण्ड; २. दि मास्टर अेण्ड हिज टीचिंग; ३. आर्म ऑफ गॉड; ४. क्रिश्चियानिटी अिन प्रैक्टिस; ५. दि वे टु बिगिन लाअिफ; ६. ट्रिप्स टू दि मून (ल्यूशियन); ७. नैचरल हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स; ८. दि यंग क्रुसेडर; ९. बाअिबल व्ह्यू ऑफ दि वर्ल्ड मार्टर्स; १०. सीकर्स आफ्टर गॉड (डीन फेरर); ११. स्टोरीज़ फ्रॉम दि हिस्ट्री ऑफ रोम; १२. टॉम ब्राअुन्स स्कूल डेज़; १३. विज़डम ऑफ दि अेन्शंट्स; १४. हिस्ट्री ऑफ अिंडिया (शुरूके पन्ने फटे हुअे होनेके कारण लेखकका नाम मालूम नहीं हुआ); १५. फाअिव नेशन्स (किप्लिंग); १६. अिक्वालिटी (अेडवर्ड बेलामी); १७. सेंट पॉल अिन ग्रीस; १८. दि स्ट्रेंज केस ऑफ डॉ० जेकिल अेण्ड मि० हाअिड; १९. पिट. (लॉर्ड रोज़बरी); २०. जंगल बुक (किप्लिंग); २१. गेटेका फॉस्ट; २२. लाअिफ ऑफ जॉन हॉवर्ड; २३. ड्रॉप्ड फ्रॉम दि क्लाअुड्ज़ (जुले बर्न); २४. लाअिफ कॉफ कोलम्बस (अिरविंग); २५. फाअिव अेम्पायर्स (विलबरफोर्स); २६. लेज़ ऑफ अेन्शण्ट रोम; २७. दि क्रूसेड्ज़; २८. गिबनका रोम; २९. कबीर्स सौंग्स (टागोर); ३०. सुपरसेन्सुअल लाअिफ (जेकब बोहमेन); ३१. प्रो० क्रीस्टो अॅंट अेक्लिज़िया; ३२. गैलीलियन; ३३. फिलोक्रिस्टस; ३४. प्रेममित्र; ३५. दि गॉस्पेल अेण्ड दि प्लाअू; ३६. अवरसेल्व्ज़ अेण्ड दि युनिवर्स (जे ब्रीअर्ली); ३७. व्हॉट

क्रिश्चियनिटी मीन्स टु मी (अैबट); ३८. स्टेप्स टु क्रिश्चियनिटी; ३९. माअी फिलासॉफी अेण्ड रिलीजन (ट्राअिन); ४०. साधना (रवीन्द्रनाथ टागोर) ४१. अुपनिषद् (मैक्समूलर); ४२. आअुटलाअिन ऑफ हिस्ट्री (अेच० जी० वेल्स); ४३. दि बाअिबल; ४४. सायन्स ऑफ पीस (भगवानदास); ४५. बेरेकरूम बेलड्ज़ (किप्लिंग); ४६. अिवोल्यूशन ऑफ सिटीज़ (गेडीज़); ४७. सिख्स (गोकुलचंद); ४८. सिख्स (मैकॉलिफ); ४९. अेथिक्स ऑफ अिस्लाम; ५०. सोशियल अिवोल्यूशन (किड); ५१. अवर हेलेनीज़ हेरीटेज; ५२. गीता (अरविन्द घोष); ५३. अेलिमेण्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी; ५४. सोशियल अेफिशियन्सी (फेरवाणी); ५५. मेसेज ऑफ मुहम्मद (वाडिया); ५६. मेसेज ऑफ क्राअिस्ट (वाडिया); ५७. सेण्ट्स ऑफ अिस्लाम (हसन); ५८. अर्ली जोरोस्ट्रियनिज़म (मोल्टन); ५९. मैन अेण्ड सुपरमैन (शॉ); ६०. हिस्ट्री ऑफ सिविलिज़ेशन; ६१. ऑटोबायोग्राफी ऑफ काअुण्टेस टाल्स्टॉय; ६२. वेरायटीज़ ऑफ रिलीजियस अेक्स्पीरियन्सेज; ६३. ओरिजिन अेण्ड अिवो-ल्यूशन ऑफ रिलीजन (हॉप्किस); ६४. हिस्ट्री ऑफ यूरोपीयन मॉरल्स (लेकी); ६५. फ्रीडम अेण्ड ग्रोथ (होम्स); ६६. अिवोल्यूशन ऑफ मैन (हेकल); ६७. कुरान (मुहम्मदअलीका अंग्रेजी अनुवाद); ६८. राजयोग (विवेकानंद); ६९. कॉन्फ्लुअेन्स ऑफ रिलीजन्स; ७०. मिस्टिक्स ऑफ अिस्लाम (निकल्सन); ७१. गॉस्पेल ऑफ बुद्ध (पॉल केरस); ७२. लेक्चर्स ऑन बुद्धिज़म (रिज़ डेविड्ज़); ७३. स्पिरिट ऑफ अिस्लाम (अमीरअली); ७४. मॉडर्न प्रॉब्लेम्स (लॉज); ७५. मुहम्मद (वाशिंग्टन अर्विंग); ७६. हिस्ट्री ऑफ दि सेरेसन्स (अमीरअली); ७७. हिस्ट्री ऑफ दि सिविलिज़ेशन अिन यूरोप (गीज़ो); ७८. राअिज़ ऑफ दि डच रिपब्लिक (मोटली); ७९. म्यूज़िंग्ज़ ऑफ सेंट टेरिसा; ८०. वेदान्त (राजम आयर); ८१. रोशीक्रुशियन मिस्ट्रीज़; ८२ डायलॉग्ज़ ऑफ प्लेटो; ८३. शाक्त अेण्ड शक्ति (वुडरॉफ); ८४. कुरान (रुडका अनुवाद); ८५. लाअिफ ऑफ रामानुज; ८६ अवेस्ता (दादाचानजी); ८७. सिख्स (कनिंघम); ८८. अीशोपनिषद् (अरविन्द घोष); ८९ अिंडियन अेड-मिनिस्ट्रेशन (ठाकुर)।

गुजराती

१. मिसरकुमारी (बंगाली नाटकका अनुवाद); २. चंद्रकान्त; ३. पातंजल योगदर्शन (प्रो० कणिया); ४. वाल्मीकि रामायण (गु० अनुवाद);

५. महाभारत (अठारहों पर्व); ६. गिरधरकृत रामायण; ७. श्रीमद्भागवत (गुजराती अनुवाद); ८. बंकिमनुं कृष्ण-चरित्र (झवेरीका अनुवाद); ९. कृष्ण-चरित्र (चिंतामणराव वैद्यके मराठीका अनुवाद); १०. लोकमान्यका गीता-रहस्य (गुजराती अनुवाद); ११. सरस्वतीचंद्र; १२. मनुस्मृति (गुजराती अनुवाद); १३. ज्ञानेश्वरी (गुजराती); १४. गीता (श्री नाथुराम शर्मा); १५. षड्दर्शन; १६. शांकरभाष्य; १७. श्रीमद् राजचन्द्र; १८. हिमालयनो प्रवास; १९. सीताहरण; २०. बुद्ध अने महावीर; २१. राम अने कृष्ण; २२. मार्कण्डेय पुराण; २३. पूर्वरंग; २४. जया अने जयन्त; २५. प्राचीन साहित्य (रवीन्द्रनाथ); २६. कालापाणीनी कथा; २७. अर्थशास्त्र (गु० विद्यापीठ); २८. गीतगोविन्द (केशवलाल ध्रुव); २९ मुक्तधारा (रवीन्द्र-नाथ); ३०. डूबतुं वहाण (रवीन्द्रनाथ); ३१. भगवती-सूत्र (अधूरा)।

हिन्दी

१. सत्याग्रह और असहयोग; २. तुलसी रामायण; ३. कठवल्लि (भाषा टीका); ४. सत्यार्थप्रकाश; ५. स्याद्वाद मंजरी; ६. अुत्तराध्ययन सूत्र।

अुर्दू

१. अुर्दू वाचनमाला; २. अुस्व-अे-सहाबा; ३. पैगम्बर साहबका जीवन-चरित्र (शिबली); ४. अल फारूक (शिबली); ५. अल कलाम (शिबली)

मराठी

अुपनिषद् भाष्य २४ पुस्तकें (प्रो०' भानु); महाराष्ट्र धर्म (विनोबा)।

पाठक यह न मान लें कि ये सब पुस्तकें मैंने अिच्छापूर्वक पढ़ी थीं। अिनमें से कुछ तो निकम्मी थीं और जेलसे बाहर होता तो हरगिज न पढ़ता। कुछ परिचित और अपरिचित मित्रोंकी भेजी हुअी थीं। और कुछ नहीं तो अुनके खातिर भी अुन्हें पढ़ जानेका खयाल हुआ था। यरवडा जेलमें अंग्रेजी पुस्तकोंका संग्रह खराब नहीं कहा जा सकता। अुनमें कुछ तो बढ़िया पुस्तकें थीं। जैसे, फेररकी 'सीकर्स आफ्टर गॉड', ल्यूशियनकी 'ट्रिप्स टु दि मून'; अथवा जुले बर्नकी 'ड्रॉप्ड फ्रॉम दि क्लाअुड्ज़'— ये सब अपने अपने ढंगकी अुत्तम पुस्तकें थीं। फेररकी पुस्तकोंमें मार्क्स ओरेलियस, सेनेका और अेपिक्टेटसके जीवन-चरित्रके अुत्तम पक्ष देखनेको मिलते हैं। यह अुन्नतिकारक पुस्तक है। ल्यूशियनकी पुस्तक अेक बढ़िया बोधप्रद व्यंग है। जुले बर्न कहानीके रूपमें विज्ञान सिखाता है। अुसका ढंग अैसा है, जिसका अनुकरण नहीं हो सकता।

अनेक ओीसाओी मित्रोंने प्रेमपूर्वक अमरीका, अिंग्लैंड और भारतसे मुझे पुस्तकें भेजी थीं। मुझे स्वीकार करना चाहिये कि अिसमें अुनकी भलमनसाहत ही थी। परन्तु अुनकी भेजी हुअी बहुतसी पुस्तकोंकी मैं कद्र नहीं कर सका। मैं सोचता हूं कि काश मैं अुनकी भेजी हुअी पुस्तकोंके बारेमें अुन्हें प्रसन्न करनेवाली कोअी बात लिख सकता। परन्तु जीमें न होते हुअे भी लिखूं तो अनुचित और असत्य होगा। ओीसाओी धर्मके बारेमें सनातनी ओीसाअियोंकी लिखी हुअी पुस्तकोंसे मुझे संतोष नहीं हुआ। ओीसा मसीहके जीवन-चरित्रके लिअे मुझे अत्यंत आदर है। अुनका नीतिबोध, अुनका व्यवहारज्ञान, अुनका बलिदान — अिन सबके लिअे अुनके प्रति पूज्यभाव पैदा हुअे बिना नहीं रहता। परन्तु ओीसाओी धर्मपुस्तकोंमें जो यह अुपदेश दिया गया है कि ओीसा ओीश्वरके अवतार थे या हैं, अथवा वे ओीश्वरके अेकमात्र पुत्र थे अथवा हैं, अिसे मैं स्वीकार नहीं करता। दूसरेका पुण्य भोगनेका सिद्धान्त मैं स्वीकार नहीं करता। ओीसाका बलिदान अेक नमूना है और हम सबके लिअे आदर्श-स्वरूप है। हम सबको मोक्षके लिअे 'क्रॉस' पर चढ़ना है — अर्थात् तपस्या करनी है। बाअि-बलके शब्दों — 'पुत्र', 'पिता' और 'पवित्र आत्मा' — का केवल वाच्यार्थ करनेसे मैं अिनकार करता हूं। अिन सबमें रूपक हैं। अिसी प्रकार गिरिशिखरके अुपदेश पर जो मर्यादा लगानेका प्रयत्न होता है अुसे भी मैं स्वीकार नहीं करता। 'न्यू टेस्टामेंट' (नया करार)में युद्धके लिअे मुझे कहीं समर्थन नहीं मिलता। ओीसा मसीहको मैं संसारमें हो गये अत्यंत यशस्वी गुरुओं और पैगम्बरोंमें से अेक मानता हूं। परन्तु कहनेकी जरूरत नहीं कि बाअिबलको मैं ओीसाके जीवन और अुपदेशका अैसा बयान नहीं मानता जिसमें भूल न हो। अिसी प्रकार मैं यह भी नहीं मानता कि 'न्यू टेस्टामेंट' का अेक अेक शब्द ओीश्वरका अपना शब्द है। और नये तथा पुराने करारमें अेक महत्त्वपूर्ण अन्तर है। पुरानेमें कुछ गहन सत्य हैं, परन्तु मैं नये करारको जितना आदर देता हूं अुतना पुरानेको नहीं दे सकता। जैसे नयेको मैं पुरानेके अुपदेशका विस्तृत संस्करण और कुछ बातोंमें पुरानेका त्याग मानता हूं, वैसे नये करारको मैं ओीश्वरका अन्तिम शब्द भी नहीं मानता। विश्वमें वस्तुमात्रको जो विकासक्रम लागू होता है, अुसी विकासक्रमके पात्र धार्मिक विचार भी हैं। केवल ओीश्वर ही अव्यय है और अुसका सन्देश मनुष्यके माध्यमसे मिलता है। अिसलिअे माध्यम जितना शुद्ध या अशुद्ध होगा अुतनी ही मात्रामें संदेशके शुद्ध या अशुद्ध होनेकी संभा-

वना होगी। अिसलिअे मैं अपने ओसाओी मित्रों और शुभचिन्तकोंसे आदर-पूर्वक आग्रह करूंगा कि वे मुझे जैसा मैं हूं वैसा ही स्वीकार करें। अुनके विचारोंका और अुनकी अिस अिच्छाका मैं आदर करता हूं और कद्र करता हूं कि जैसे वे हैं वैसा मैं भी बन जाअूं — अिसी तरह मैं अपने मुसलमान मित्रोंकी भी अैसी ही अिच्छाकी कद्र करता हूं। मैं दोनों धर्मोंको अपने धर्मकी तरह ही सच्चा मानता हूं। परन्तु मुझे अपने धर्मसे पूरी तरह संतोष मिल जाता है। अपनी अुन्नतिके लिअे मुझे जो कुछ चाहिये वह सब मुझे अुसमें से मिल जाता है। मेरा धर्म मुझे अैसी प्रार्थना नहीं सिखाता कि दूसरे मेरे धर्मके हो जायं, परंतु यह सिखाता है कि सब अपने अपने धर्ममें रहकर पूर्णताको प्राप्त करें। अिस-लिअे मेरी प्रार्थना ओसाओीके लिअे सदा यह रही है कि वह अधिक अच्छा ओसाओी बने और मुसलमानके लिअे यह रही है कि वह अधिक अच्छा मुसल-मान बने। मुझे तो विश्वास है, बल्कि मुझे ज्ञान है कि ओश्वर हमसे यह पूछेगा — आज भी यही पूछता है — कि हम कैसे हैं, हमारे काम कैसे हैं, न कि हमारा नाम और पता क्या है? अुसे तो केवल आचरण ही चाहिये, आचरणरहित मान्यता नहीं चाहिये। वह आचरणको ही मान्यता मानता है। मैंने यह विषयान्तर किया, अिसके लिअे मैं पाठकोंसे क्षमा चाहता हूं। परन्तु जिस ओसाओी साहित्यसे ओसाओी मित्रोंने मुझे नहला दिया है, अुसके बारेमें अपने हृदयकी बात कहना आवश्यक था, और किसी कारणसे नहीं तो मेरे आध्यात्मिक कल्याणकी अुनकी चिन्ताके विषयमें अुन्हें धन्यवाद देनेके लिअे।

जिन पुस्तकोंके बिना मैं काम ही नहीं चला सकता था, वे थीं महाभारत, रामायण और भागवत। अुपनिषदोंको पढ़नेसे वेदोंको मूल रूपमें देख लेनेकी अिच्छा सतेज हुओी। अुनकी अुत्कट कल्पनाओंसे अपार आनंद हुआ और अुनकी आध्या-त्मिकतासे मेरी आत्माको शांति मिली। लेकिन मुझे यह भी कहना चाहिये कि अुनमें से कुछमें अैसी अनेक बातें थीं, जिन्हें मैं प्रो० भानुकी विस्तृत टीकाकी सहायताके बावजूद भी नहीं समझ सका और न अुनमें रस ले सका; यद्यपि प्रो० भानुने तो अपनी टीकामें सारा शांकरभाष्य और दूसरे कओी भाष्योंका सार दे दिया है। महाभारत तो पहले कभी पढ़ा ही नहीं था — थोड़ा थोड़ा कभी देखा हो तो दूसरी बात है। अुलटे, मैंने अुसके विरुद्ध राय बना ली थी। वह राय यह थी कि महाभारत तो केवल खूनकी नदियोंके वर्णनसे और नींद लानेवाली गप्पोंसे भरा हुआ ग्रंथ है। अब यह सिद्ध हो गया कि मेरा वह

मत गलत था। महाभारतके छह हजार पन्नोंके बड़े पोथेको देखकर मैं घबराया था। परन्तु कुछ भागोंके सिवा वह अितना अधिक मनमोहक साबित हुआ कि अेक बार शुरू कर देनेके बाद अुस ग्रंथको पूरा करनेको मैं अधीर हो गया था। चार महीनेमें अुसे पूरा करनेके बाद मुझे महसूस हुआ कि महाभारतको कोअी अुपमा देनी हो तो थोड़ेसे सुन्दर जवाहरातवाले किसी खजानेके साथ नहीं दी जा सकती, परन्तु किसी अैसी अखूट खानके साथ ही अुसकी तुलना की जा सकती है जिसे जितना गहरा खोदिये अुतने ही कीमती रत्न अुसमें से निकलते चले जाते हैं। मेरे मतानुसार महाभारत कोअी अितिहास नहीं, अितिहासके रूपमें तो मैं अुसे फेंक देने लायक ग्रंथ मानूंगा। परन्तु अुसमें तो रूपक द्वारा विश्वके सनातन सत्योंकी चर्चा की गअी है। कविका आशय पुण्य और पाप, सत् और असत्, खुदा और शैतानके सनातन द्वंद्वका वर्णन करना है। और अुस आशयके अनुकूल ढंगसे वह अैतिहासिक पात्रों और घटनाओंको ले लेकर अुन्हें दैवी और राक्षसी बनाता है। यह ग्रंथ किसी महानदके सामान है, जो अपने मुखकी ओर दौड़ता हुआ अनेक नदियोंको अपनेमें समेट लेता है, जिनमें से कअी मैली और गंदी भी हैं। यह ग्रंथ है अेक ही प्रतिभासे अुत्पन्न हुअी कल्पना, परंतु कालांतरमें अुस पर अनेक आक्रमण हुअे हैं और अुसमें अितनी अधिक वस्तुअें मिल गअी हैं कि आज हमें यह कह सकना मुश्किल हो गया है कि मूल भाग कौनसा है और क्षेपक कौनसा है।

ग्रंथकी समाप्ति तो भव्य ही है। अुसमें अैहिक सत्ताकी नश्वरता प्रगट की गअी है। यह साबित किया गया है कि गरीब भिखारीके अन्तिम कौरकी तुलनामें, अपना अल्प सर्वस्व दे डालनेवाले भिखारीके हार्दिक बलिदानके आगे पाण्डवोंका अन्तिम महायज्ञ थोड़ा भी पुण्यप्रद नहीं।

पुण्यशाली पांडवोंके भाग्यमें अत्यन्त शोक ही बताया गया है। कर्मवीर कृष्ण लाचार हालतमें मरते हैं। असंख्य और अेकसे अेक बलवान यादव अपनी ही गंदगीके कारण गृहयुद्ध करके कुत्तेकी मौत मरते हैं। अजेय गाण्डीवधारी अर्जुन डाकुओंकी टोलीसे पराजित होते हैं। पाण्डव युद्धके परिणामस्वरूप मिली हुअी गद्दी अेक बालकको सौंप कर वानप्रस्थ होते हैं। स्वर्गयात्रा करते हुअे अेकके सिवा सब यात्रामें ही मर जाते हैं। और धर्मराज युधिष्ठिरको आपद्धर्मके रूपमें जिस असत्यका अुन्होंने आश्रय लिया था अुसके लिअे नरककी भयंकर दुर्गंध सहना पड़ती है। कारण और कार्यके अटल नियमका अपवादके

बिना सनातन रूपमें अमल होता हुआ बताया गया है। अिस चमत्कारी काव्यके लिअे यह दावा किया जाता है कि अुसमें अैसी कोअी चीज नहीं छोड़ी गअी है, जो अुपयोगी और अच्छी हो और जो दूसरे ग्रंथोंमें मिल सके। यह महाकाव्य अिस दावेको सही सिद्ध करता है।

१३

मेरा पठन – २

मेरा अुर्दूका अध्ययन भी महाभारतकी तरह ही मन पर गहरा असर करनेवाला सिद्ध हुआ। मैं ज्यों ज्यों अुसमें आगे बढ़ता गया, त्यों त्यों अध्ययनका भार भी बढ़ता गया। दो तीन महीनेमें अुर्दू पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लूंगा, अैसा पागल खयाल रखकर मैं अुसके अध्ययनमें कुछ हलके मनसे प्रवृत्त हुआ था। परंतु थोड़े ही दिनमें मुझे अपनी भूल समझमें आ गअी। और मैंने देख लिया कि अिस भाषाको हिन्दीसे बिलकुल ही अलग कर दिया गया है और अुसे अैसा बनानेकी तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है। परन्तु अिस खोजसे अुर्दू साहित्यको समझने और पढ़नेका मेरा निश्चय अधिक दृढ़ हुआ। मैं अुर्दू पढ़नेके लिअे रोज तीन घंटे देने लगा। अुर्दू लेखकोंने हिन्दू-मुसलमानोंमें प्रचलित शब्दोंका त्याग करके फारसी और अरबी शब्दोंका अुपयोग जान-बूझकर बढ़ा दिया है। सादे व्याकरणका अुपयोग करना छोड़कर अुन्होंने अरबी और फारसी व्याकरण प्रचलित किया है। अिसके परिणामस्वरूप मुसलमानी विचार-परम्परासे परिचित रहनेके अिच्छुक बेचारे देशप्रेमियोंको अुर्दूका अध्ययन अेक बिलकुल भिन्न और नअी भाषाके रूपमें ही करना पड़ेगा। हिन्दीके लेखक भी अिस मामलेमें कुछ कम नहीं रहे। मेरा खयाल था कि यह बुराअी अभी तक बहुत गहरी नहीं गअी है और हिन्दी-अुर्दू भाषाओंको अलग कर डालनेकी वृत्ति केवल थोड़े समयकी ही है। परंतु मैंने देख लिया कि यदि हमें हिन्दुस्तानके लिअे हिन्दी और अुर्दूकी मिलीजुली अेक सर्वसामान्य राष्ट्रीय भाषा बनानी हो, तो अेक-दूसरेसे अलग बहनेवाले अिन दो प्रवाहोंको अेक करनेकी दिशामें लंबे समय तक विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। अिसके बावजूद मैं मानता हूं कि हिन्दूको अपनी शिक्षा पूरी करनेके लिअे शिष्ट अुर्दू जान लेनेकी जितनी जरूरत है, अुतनी ही मुसलमानको

शिष्ट हिन्दी जान लेनेकी है। तुरन्त ही आरंभ कर दिया जाय तो यह काम बिलकुल आसान है। अैसे अध्ययनकी जरूरत भले ही स्पष्ट न दिखाअी दे, और पश्चिमके ज्ञान-भंडार भी भले ही अिससे न खुलें; परंतु राष्ट्रीय दृष्टिसे अिसकी अुपयोगिता अमूल्य है। मेरे अुर्दू अध्ययनसे मेरी पूंजी बढ़ी है। मैं चाहता हूं कि अब भी मैं यह अध्ययन पूरा कर सकूं।

फिर, दो वर्ष पहले मैं जितना जानता था अुसकी अपेक्षा आज अिस अध्ययनके कारण मैं मुसलमान हृदयको अधिक अच्छी तरह पहचान सकता हूं। मुझे अुर्दू साहित्यके धार्मिक पहलूमें ज्यादा दिलचस्पी थी। अिसलिअे ज्यों ही संभव हुआ मैं अुर्दूकी धार्मिक पुस्तकोंकी तरफ झुका। नसीबने तो हमेशा मदद दी ही है। मौलाना हसरत मोहानीने भाअी मंजरअलीको 'अुस्व-अे-सहाबा' नामक ग्रंथमाला भेजी थी। वे जैसे जैसे मुझे अुर्दू सिखाते गये, वैसे वैसे ये पुस्तकें मेरे हाथमें रखते गये और मैंने पूरी लगनसे अुन्हें पढ़ डाला। यद्यपि अिन पुस्तकोंमें पुनरुक्ति दोष बहुत है और कअी जगह लेखन संक्षिप्त होता तो बहुत सुन्दर लगता; फिर भी अुनसे पैगम्बर साहबके अनेक साथियोंके किये हुअे कामकी अधिक जानकारी मिलती थी, अिसलिअे अुनमें मुझे बहुत ही आनन्द आने लगा। अुनके जीवन जादूकी तरह कैसे बदल गये, पैगम्बरके प्रति अुनकी कैसी अगाध भक्ति थी, दुनियाके धन-मानकी ओर वे कितने अुदासीन थे, अपने जीवनकी सादगी साबित करनेमें ही अुन्होंने राज्यशक्तिका भी कैसा अुपयोग किया, धनकी लालसासे वे कितने मुक्त रहे, अपने पवित्र माने हुअे कार्यके लिअे जीवन समर्पित करनेके बारेमें वे सदा सर्वदा कैसे तत्पर रहते थे — अिन सब बातोंका सविस्तार और मनमें अच्छी तरह जम जानेवाला विवेचन अिन पुस्तकोंमें है। अुनके जीवनके साथ आजकलके अिस्लामके प्रतिनिधियोंके जीवनकी कोअी तुलना करे, तो अुसकी आखोंमें शोकके आंसू आये बिना न रहें।

'सहाबा' पढ़नेके बाद मैं पैगम्बर साहबके चरित्र पर आया। मौलाना शिबलीके लिखे हुअे ये दो बड़े ग्रंथ बेशक सुन्दर ढंगसे लिखे गये हैं। सहाबाओंकी पुस्तकोंके बारेमें मेरी जो शिकायत है, वही अिन किताबोंके बारेमें भी है — अिनमें लंबाअी खूब है। परन्तु पश्चिममें जिस पुरुषकी बदनामी की गअी है और जिसे गालियां दी गअी हैं, अुसीके जीवनकी घटनाओंका मुसलमानोंने किस तरह अुपयोग किया है, यह सब जाननेमें मुझे यह लंबाअी जरा भी नहीं खटकी। दूसरी पुस्तक पूरी हो जानेके बाद अुस महान जीवनके बारेमें पढ़नेको

और कुछ बाकी न रहनेके कारण मुझे अफसोस हुआ। अुसमें कुछ घटनायें अैसी अवश्य हैं जिन्हें मैं समझ नहीं सका या जिन्हें मैं समझा नहीं सकता। परंतु मैंने यह अध्ययन कोअी मनोरंजन अथवा आलोचनाके लिअे नहीं किया था। मुझे तो अुस महान पुरुषके जीवनकी अुत्कृष्टता जाननी थी, जिसका आज लाखों मनुष्योंके हृदय पर साम्राज्य है। और यह मुझे अिन पुस्तकोंमें पूरी मात्रामें देखनेको मिला। मुझे विश्वास हो गया कि मानव-जीवनमें अिस्लामने जो स्थान प्राप्त किया है वह तलवारसे नहीं किया। परंतु अुसके असली कारण अिस्लामकी कठोर सादगी, अुसके पैगम्बरका आत्म-विस्मरण, अुनकी टेक, मित्रों और अनुयायियोंके प्रति अुनका अनुपम प्रेमभाव, अुनकी निडरता और अपने कार्यके प्रति और खुदाके प्रति संपूर्ण विश्वास आदि थे। तलवारसे नहीं परन्तु अिन चीजोंसे ही अुन्होंने सबको अपनी तरफ खींच लिया था और अुनके रास्तेके तमाम संकट दूर हो गये थे। पैगम्बर हो या अवतार, मैं किसीकी भी पूर्णताको नहीं मानता। अिसलिअे पैगम्बरके जीवनकी अेक अेक घटना और किस्सेका स्पष्टीकरण चाहनेवाले आलोचकका मैं संतोष नहीं करा सकता। मेरे लिअे तो अितना ही जान लेना काफी है कि हमेशा खुदासे डरते रहकर जीवन बितानेवाले लाखों मनुष्योंमें वे भी अेक थे। अुनकी मौत गरीबीमें हुअी। अपने मृतदेह पर अुन्होंने किसी बड़े मीनारकी अभिलाषा नहीं रखी और अंतकालमें भी अपने अृणदाताओंको नहीं भुलाया। आजकलके मुसलमानोंमें जो परधर्मावलंबियोंका धर्म-परिवर्तन करनेकी वृत्ति और हलके दर्जेकी असहिष्णुता पाअी जाती है, अुसके लिअे पैगम्बरको जिम्मेदार माननेवालोंको आजके हिन्दुओंके अधःपतन और असहिष्णुताके लिअे भी हिन्दू धर्मको जिम्मेदार माननेके लिअे तैयार रहना चाहिये।

पैगम्बरके जीवन-चरित्रके बाद मैं अपने-आप ही हजरत अुमरकी जिन्दगी पर लिखी गअी दो पुस्तकों पर पहुंचा। जेरूसेलममें अपने अनुयायियोंको अुनके पड़ोसियोंके ठाटबाटका अनुकरण करने पर अुलाहना देनेवाले, भावी सन्तानें कहीं अीसाअी गिरजेके स्थान पर मस्जिद खड़ी करनेका दावा न कर बैठें अिसलिअे अुसमें नमाजके लिअे जानेकी मनाही करनेवाले और अपने हाथों पराजय पाये हुअे अीसाअियोंके सामने समझौतेकी बहुत ही अुदार शर्तें रखनेवाले अुमरका चित्र जब मैं अपने मनमें चित्रित करता हूं और जब अुनके ये अुद्‌गार याद करता हूं कि अिस्लामके किसी बिना सत्तावाले बन्देके वचनकी भी महान खलीफाके लिखित

फरमानके बराबर ही कीमत है, तब भक्तिभावसे मेरा मस्तक अुनके सामने झुक जाता है। वह वज्रके समान निश्चयी वृत्तिवाला आदमी था। बिलकुल अनजान मनुष्यको जो न्याय प्रदान करता वही न्याय वह अपनी लड़कीको भी प्रदान करता था। आज हमारे यहां मूर्तियां तोड़ने, मंदिर नष्ट करने और हिन्दुओंके भजन-कीर्तनके प्रति अंधी असहिष्णुताका जो जोर दिखाअी दे रहा है, मेरा खयाल है वह महान खलीफाके जीवनको अिस सबसे बिलकुल अुलटे अर्थमें समझनेसे ही हो सकता है। मुझे डर है कि अिस पवित्र और न्यायपरायण मनुष्यके कामोंको लोगोंके सामने गलत रूपमें रखा जाता है। मुझे महसूस होता है कि अगर हजरत अुमर खुद आज अपनी कब्रसे अुठकर हमारे बीच आयें, तो अिस्लामके कथित अनुयायियोंके बहुतसे कामोंकी, जो अुनके अनुकरणके रूपमें किये जाते हैं, वे निन्दा करेंगे।

अिस चित्तवेधक अध्ययनके बाद मैं अल कलामके तत्त्वज्ञानसे संबंधित ग्रंथोंकी तरफ मुड़ा। ये पुस्तकें समझनेमें मुश्किल साबित हो सकती हैं। अुनकी भाषा बहुत पारिभाषिक है। परन्तु भाअी अब्दुल गनीने मेरे अध्ययनमें बड़ी सहायता देकर मुझे आसानी कर दी। दुर्भाग्यसे मैं जब अिन पुस्तकोंमें आधे पर पहुंचा तब मेरी बीमारी आ पहुंची और यह अध्ययन अधूरा रह गया।

अंग्रेजी पुस्तकोंमें गिबनकृत रोमका अितिहास पहले नंबर पर आता है। बरसों पहले मेरे अनेक अंग्रेज मित्रोंने अुसे पढ़नेकी मुझसे सिफारिश की थी। अिस बार जेलमें गिबन पढ़नेका मैंने निश्चय किया था। मैं अिस अवसरसे प्रसन्न हुआ। मेरे विचारमें तो अितिहासमें भी धार्मिक अर्थ रहता है। सारे संसारमें साम्राज्य स्थापित करनेवाले रोम जैसे अेक ही शहरके नागरिकोंकी कार्योंकी अेकके बाद अेक घटनाओंका वर्णन ग्रंथकार जैसे जैसे करता जाता है, वैसे वैसे हमें आत्माका अितिहास मिलता है, क्योंकि गिबन तुच्छ घटनाओंका केवल संग्रह कर देनेवाला नहीं है; वह तो घटना-सामग्रियोंका अनेक प्रकारसे मंथन करनेवाला सिद्धहस्त विवेचक है और अिस मंथनको अपनी अनुपम शैलीमें हमारे सामने पेश करता है। वह औसाअी और अिस्लामी दोनों संस्कृतियोंका विस्तारसे विवेचन करके हमें अपनी राय बनानेका मौका देता है। अुसका अपना मत हमारा ध्यान खींचता है, परन्तु अेक अितिहासकारके नाते अुसे अपने धंधेकी पवित्रताका बड़ा खयाल है। अपने पासके तमाम ब्यौरे पाठकके सामने सच्चाअीके साथ रखकर वह पाठकको अपना विचार बनानेका अवसर देता है।

मोट्‌ले दूसरी ही तरहका अितिहासकार है। गिबन अेक बड़े बलवान साम्राज्यके पतन और नाशके कारणोंकी खोज करता है, तो मोट्‌ले अेक छोटेसे प्रजातंत्रकी परेशानियोंकी कहानी कहते कहते अुसीमें अपने प्रिय नायककी जीवन-कथा पिरोता है। गिबनके पात्र सभी अेक अतुल शक्तिशाली साम्राज्यकी कथाके सामने गौण बन जाते हैं। मोट्‌ले हॉलैण्ड देशकी राष्ट्रीय गाथाको ही अेक विभूतिकी आनुषंगिक कथा बना देता है। सारा डच अितिहास विलियम नबोलामें समा जाता है।

अिन दो अितिहास-ग्रंथोंके साथ लार्ड रोज़बरी द्वारा लिखित पिटका चरित्र जोड़ दीजिये, तो फिर आप भी मेरी ही तरह कहेंगे कि अितिहास और कल्पनाके बीचका भेद वास्तवमें बहुत ही थोड़ा है और सच्ची घटनाओंके भी कमसे कम दो पहलू तो होते ही हैं; अथवा जैसा कानूनके पंडित कहते हैं, सही ब्यौरा भी आखिर तो अेक खास मत ही पेश करता है। परन्तु अितिहास हमारी जनताके विकासमें किस तरह सहायक हो सकता है, अिस दृष्टिसे अितिहासके मूल्यके बारेमें अपने विचारों पर पाठकोंका ध्यान मैं रोके रखना नहीं चाहता। मैं स्वयं तो अिस कहावतको मानता हूं कि जिस जातिका अितिहास नहीं वह सुखी है। मेरी प्रिय कल्पना तो यह है कि हमारे हिन्दू पूर्वजोंने अितिहासका जो अर्थ आजकल समझा जाता है अुस अर्थमें अितिहास लिखनेकी ओर ध्यान न देकर और छोटी छोटी बातों पर अपने तात्त्विक विवेचन रचकर अिस सवालको हल कर दिया है। महाभारत अैसा ही ग्रंथ है; और मैं तो गिबन और मोट्‌लेको महाभारतके घटिया संस्करण ही मानूंगा। महाभारतका अमर किन्तु अज्ञात कर्ता अपनी गाथामें अलौकिक घटनाओंको अिस ढंगसे बुन देता है कि अुसके अक्षरोंसे चिपटे रहनेके विरुद्ध आपको पर्याप्त चेतावनी मिल जाती है। गिबन और मोट्‌ले आपके दिल पर यह बात जमानेके लिअे कि वे हमें सच्ची घटनाअें और केवल सच्ची घटनाअें ही बता रहे हैं, व्यर्थ ही जानमारी करते हैं। लार्ड रोज़बरी अिससे आपको बचा लेते हैं और कहते हैं कि जो अंतिम शब्द पिटने कहे बताये जाते हैं अुनके बारेमें खुद अुनका बावरची ही दूसरी बात कहता है। सारांश अितना ही है कि नामरूप गौण वस्तु है। अुत्पत्ति और लयका चक्र चलता ही रहता है। जो शाश्वत और अिसलिअे महत्त्वपूर्ण है, अुसके सामने घटनाओंको दर्ज करनेवाले अितिहासकारकी बिसात बहुत ही कम है। सत्य अितिहाससे परे है।

१४

मेरा पठन – ३

अेक प्रिय मित्रकी भेजी हुअी अेक छोटीसी परन्तु अमूल्य पुस्तकका अुल्लेख करना मुझे भूलना नहीं चाहिये। यह पुस्तक है जेकब बोहमेन कृत 'सुपरसे-न्सुअल लाअिफ' (अतीन्द्रिय जीवन)। अुसके कुछ आकर्षक अुद्धरण पाठकोंके सम्मुख रख रहा हूं :

"तेरी अपनी श्रवणेन्द्रियादि और तेरी अिच्छा ही तुझे प्रभुके श्रवण और दर्शनमें बाधक होती हैं।"

"यदि तू प्राणियों पर अपने आंतरिक स्वभावकी गहराअीसे नहीं, परंतु केवल बाहरसे ही राज्य करता है, तो तेरा शासन और तेरी शक्ति पाशव-वृत्तिकी है।"

"तू वस्तुमात्र जैसा है और अैसी अेक भी वस्तु नहीं जो तेरे जैसी न हो।"

"यदि तुझे वस्तुमात्र जैसा बनना हो, तो तुझे तमाम वस्तुओंका त्याग करना चाहिये।"

"तेरे हाथ और तेरी बुद्धि भले ही काममें लगे रहें, परन्तु तेरा हृदय तो अीश्वरमें ही तल्लीन रहना चाहिये।"

"स्वर्गका अर्थ है हमारी अिच्छाशक्तिको भगवानके प्रेमकी प्राप्तिमें नियोजित करना।"

"नरकका अर्थ है भगवानका कोप मोल लेना।"

अपनी अस्तव्यस्त नोटबुकके पन्ने पलटने पर दूसरी पुस्तकोंके पठनके दौरानमें संगृहीत कुछ अन्य अुद्धरण यहां देता हूं।

अुनमें से निम्नलिखित अंश सत्याग्रहियोंके कामका है :

"जो द्वेष, अुपहास और गालियोंको पसन्द न करनेके कारण सत्यसे पीछे हट जाते हैं वे गुलाम हैं। दो या तीन आदमियोंके साथमें भी जो सत्यकी हिमायत करनेका साहस न करें वही गुलाम हैं।" — लॉवेल ('टॉम ब्राअुन्स स्कूल डेज़' से)।

अिसी विषयसे संबंध रखनेवाला अेक और अुद्धरण क्लॉड फील्डके 'मिस्टिक्स अेण्ड सेण्ट्स ऑफ अिस्लाम' से देता हूं :

"किसीने सूफी शाह मुल्लाशाहसे शाहजहांकी नाराजीके डरसे भाग जानेको कहा। अुसका अुन्होंने अुत्तर दिया कि 'मैं कोअी ढोंगी नहीं जो

भागकर जान बचाअूं। मैं सत्यवादी हूं। जीवन और मरण मेरे लिअे समान हैं। भले ही दूसरे जन्ममें भी सूली मेरे खूनसे रंगी जाय। मैं तो सदा अमर हूं। मृत्यु मुझसे भागती फिरती है, क्योंकि मैंने ज्ञानसे मृत्युको जीत लिया है। जहां भिन्न भिन्न रंग मिटकर अेक रंग हो गया है वहां मैं रहता हूं।' मंसूरी हल्लाजने कहा था, 'बांधे हुअे हाथोंको काटना आसान है। परन्तु ओश्वरके और मेरे बीचमें जो गांठ है अुसे तोड़ना बहुत कठिन है।'"

अेक और अुद्धरण लॉवेलसे देता हूं। वह दाताओंको मलबारके दुःखी लोगोंके लिअे अुदात्त भावनासे अपनी अच्छीसे अच्छी वस्तु देनेकी प्रेरणा करेगा।

"ओसाके पवित्र भोजनकी क्रिया करनेका अर्थ यह नहीं कि जो तंगीमें हो अुसे केवल कुछ दे दिया जाय; अुसका अर्थ यह है कि हमारे पास जो हो अुसमें से अुसे हिस्सा दिया जाय। दाताकी भावनाके बिना दान व्यर्थ है। दानके साथ जो अपना तन-मन भी देता है वह तीन आदमियोंका पोषण करता है — अपना, भूखे पड़ोसीका और मेरा।"

अहिंसाधर्मको माननेवालोंके लिअे यह अंश शिक्षाप्रद है:

"किसीका बुरा चाहना, बुरा करना, बुरा कहना या बुरा सोचना — अिन सबका समान और निरपवाद रूपमें निषेध है।" — टर्टुलियन (जे० ब्रीअर्ली कृत 'अवरसेल्व्ज़ अेण्ड दि युनिवर्स' से)

अंतिम पुस्तकें, जिनका मैं अुल्लेख करना चाहता हूं, कनिंघम-कृत, मेकॉलिफ-कृत और गोकुलचंद नारंग-कृत सिक्खोंके अितिहास हैं। ये सब पुस्तकें अलग अलग दृष्टियोंसे अच्छी ही हैं। सिक्खोंके गुरुओंके जीवन और अुनका पूर्व अितिहास समझे बिना सिक्खोंकी मौजूदा लड़ाओका रहस्य समझना असंभव है। कनिंघमकी पुस्तक सिक्ख-युद्धोंके मूल कारणोंका सहानुभूतिपूर्वक लिखा गया अितिहास है। मेकॉलिफके अितिहासमें सिक्ख-गुरुओंके जीवन-चरित्र हैं। अिसमें अुनकी रचनाओंसे विस्तृत अुद्धरण दिये गये हैं। यह पुस्तक बड़े सुन्दर ढंगसे छपी हुओ है। परन्तु अंग्रेजी राज्यकी बेहद तारीफ और सिक्ख धर्मको आग्रह-पूर्वक हिन्दू धर्मसे अलग बतानेके कारण अिस पुस्तकका मूल्य घट जाता है। गोकुलचंद नारंगकी पुस्तकमें अैसी बहुतसी जानकारी है, जो अूपरकी दोनों पुस्तकोंमें नहीं मिलती।

जेलके अपने अध्ययनकी यह समालोचना पूरी करनेसे पहले मैं विद्यार्थी पाठकोंको नियमित कार्य करनेकी अुपयोगिता तथा शुष्क वस्तुओंको रुचिकर बनानेके ढंगके बारेमें दो शब्द कहना चाहूंगा। मेरे अपने अध्ययन और चालू अुपयोगके लिअे मुझे गीताकी अेक शब्दानुक्रमणिका तैयार करनी थी। शब्द और अुनके संदर्भ लिखने और अुनके दो दो बार अनुक्रम तैयार करनेका काम बहुत रुचिकर नहीं होता। अपने कारावासके दौरानमें यह काम करनेकी मेरी धारणा थी। फिर भी अिस कामके लिअे बहुत समय देना मुझे पसन्द नहीं हो सकता था। मेरा समय-पत्रक भरा हुआ था। अिसलिअे रोज केवल २० मिनट अिस कामके लिअे देनेका मैंने निश्चय किया। अिस कामके करनेके लिअे अितना थोड़ा समय होनेके कारण मुझे वह बेगार मालूम होना बन्द हो गया। अुलटे रोज मैं प्रतीक्षा करता रहता था कि अुसका समय कब होता है। जब अुसकी दुबारा अनुक्रमणिका बनानेका समय आया तब तो मैं अुसमें तल्लीन ही होने लगा। जिज्ञासु अिस बातका स्वयं अनुभव करके देख लें। जिन शब्दोंका अनुक्रम मुझे तैयार करना था अुन्हें पहले तो मैंने अुनके आद्य-अक्षरोंके अनुसार अिकट्ठा किया। परन्तु प्रत्येक अक्षरके अन्तर्गत शब्दोंको अुनके अक्षरानुक्रमके अनुसार कहां बिठाया जाय, यह प्रश्न बड़ा पेचीदा हो गया। मैंने कभी शब्दकोष तैयार नहीं किया था। अिसलिअे मुझे काम करनेका ढंग स्वतंत्र रूपमें ढूंढ़ निकालना पड़ा। और जब मैंने यह खोज कर ली तब मेरे आनंदका पार नहीं रहा। मेरी रीति अितनी सुन्दर थी कि वह काम बड़ा आकर्षक बन गया। यह रीति सुघड़, जल्दी काम करनेवाली और अचूक थी। यह सारा काम पूरा करनेमें मुझे अठारह मास लगे। आज अिस शब्दानुक्रमकी मददसे मैं तुरंत जान सकता हूं कि गीताजीमें कोअी शब्द कहां और कितनी बार काममें लिया गया है। शब्दोंके साथ अुनके अर्थ भी दिये गये हैं। यदि किसी समय मैं गीता पर अपने विचार लिखनेमें समर्थ हुआ, तो मैं यह शब्दानुक्रम और विचार दोनों जनताके सामने रखना चाहता हूं।*

---

* यह कोष नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबादकी ओरसे 'गीतापदार्थ-कोष' के नामसे गुजरातीमें प्रकाशित हुआ है। अुसमें गीताके प्रत्येक पदका अुसके अर्थसहित स्थाननिर्देश किया गया है।

परिशिष्ट

प्रास्ताविक

मेरे कारावासके दिनोंमें सरकारके साथ मेरा जो महत्त्वपूर्ण पत्रव्यवहार हुआ था, अुसे अपने जेलके अनुभवोंके भागके रूपमें प्रकाशित करनेका मेरा अिरादा था। यदि स्वास्थ्य और समयकी अनुकूलता मिली तो ये अनुभव लिख डालनेकी मेरी धारणा है। परन्तु अभी कुछ समय तक यह नहीं हो सकेगा। अिस बीच मित्रोंने मुझसे कहा है कि मुझे यह पत्रव्यवहार अविलम्ब प्रकाशित कर देना चाहिये। अुनकी दलील मुझे ठीक लगती है और अिसलिअे 'यंग अिंडिया' के पाठकोंको अुस पत्रव्यवहारका अेक भाग भेंट करता हूं। हकीमजीको लिखे गये पत्रमें जो आलोचना की गअी है, अुसका मुख्य भाग तो बादके अनुभवसे भी कायम रहता है। परन्तु जेलके अधिकारियोंके साथ न्याय करनेके लिअे मुझे यह भी कहना ही चाहिये कि मेरे शारीरिक सुखके मामलेमें मुझे धीरे धीरे अधिक सुविधायें दी गअी थीं।

हकीमजीके नाम लिखे गये पहले पत्रमें जिस चूनेकी लकीरकी बात कही गअी है वह मिटा दी गअी थी। और हम दोनों सारे अहातेमें आजादीसे घूम-फिर सकते थे। भाअी बैंकरके छूट जानेके बाद मेरी मांगके बिना ही अुस समयके सुपरिन्टेन्डेन्ट मि० जोन्सने भाअी मंजरअली सोख्ताको मेरे पास भेजनेकी सरकारसे अनुमति ले ली। यह काम मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि भाअी मंजरअली सोख्ता अेक कीमती साथी ही नहीं थे, परन्तु मेरे लिअे तो अेक आदर्श अुर्दू-शिक्षक भी थे। थोड़े ही समयमें भाअी अिन्दुलाल याज्ञिकने आकर हमारे आनंदमें वृद्धि की। अुसके बाद मेजर जोन्सने हम तीनोंको यूरोपियन वार्डमें भेज दिया। वहां हमें अधिक अच्छी सुविधाअें मिलीं। हमारी कोठरियोंके सामने अेक छोटासा बगीचा था। भाअी मंजरअलीके छूटनेके बाद मेजर जोन्सके बाद आये सुपरिन्टेन्डेन्ट कर्नल मरेने भाअी अब्दुल गनीको मेरे साथीके तौर पर रखनेकी अिजाजत ले ली। भाअी गनीने अिन्दुलाल याज्ञिकको और मुझे आनंद तो दिया ही, साथ ही भाअी मंजरअली सोख्ताका मेरे अुर्दू-शिक्षकका स्थान भी ले लिया और मेरे अुर्दू अक्षर सुधारनेके लिअे खूब परिश्रम किया। यहां तक कि यदि मेरी बीमारी बाधक न हुअी होती, तो मैं अुर्दूका अेक खासा आलिम बन जाता।

मेरे शारीरिक सुखके मामलेमें तो सरकार और जेलके अधिकारी दोनोंने मुझे सुखी करनेके लिअे अुनसे जितनी आशा रखी जा सकती है वह सब कुछ किया था और मेरी दृढ़ मान्यता है कि मैं समय समय पर जो बीमारी भुगतता था, अुसमें सरकार और जेलके अधिकारी दोनोंको किसी भी तरहसे दोष नहीं दिया जा सकता। मुझे अपनी खुराक पसन्द करनेकी छूट थी और मेजर जोन्स और कर्नल मरे और अिस मामलेमें तो मेजर जोन्ससे पहलेके कर्नल डेलज़िल भी खुराक संबंधी मेरे तमाम विधि-निषेधोंका पूरी तरह आदर करते थे। यूरोपियन जेलर भी अत्यंत ध्यान देते थे और सम्पूर्ण विवेकसे व्यवहार करते थे। मुझे अैसा अेक भी प्रसंग याद नहीं आता जिसमें यह कहा जा सके कि वे अनुचित रूपमें मुझे बाधक हुअे। और जेलके साधारण नियमके अनुसार मेरी तलाशी ली जाती (और यह तलाशी मैं राजीखुशीसे लेने देता था), तब भी वे केवल सावधानीपूर्वक ही नहीं, परंतु अिस ढंगसे तलाशी लेते थे मानो वे क्षमा-याचना कर रहे हों। मनुष्यकी हैसियतसे मेजर जोन्स और कर्नल मरे दोनोंके लिअे मुझे बड़ा आदर है। अुन्होंने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं कैदी हूं।

जेलके अधिकारी वर्गके प्रेमके बारेमें मैंने जो कुछ कहा है अुसे छोड़ दें, तो सरकारकी राजनीतिक कैदियोंके प्रति हृदयशून्य नीतिके बारेमें मैंने जो मत हकीमजीके पत्रमें प्रगट किया है अुसमें मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। अुस पत्रमें मैंने जो कुछ कहा है वह सब बादके अनुभवने साबित कर दिया है। अिस कथनका प्रमाण यदि कभी अपने जेलके अनुभव मैं पूरे लिख सका तो अुनसे पाठकको मिल जायगा। यहां तो केवल अिस पत्रव्यवहारसे यदि जरा भी यह अर्थ निकल सकता हो कि मेरे शारीरिक सुखके मामलेमें जेलके अधिकारियों अथवा सरकारकी भी किसी प्रकारकी आलोचना करनेका मेरा आशय है, तो अुस अर्थको मैं मिटा देना चाहता हूं।

जिन कैदी चौकीदारोंके सुपुर्द हमें किया गया था, अुनके प्रति गहरी कृतज्ञताकी भावना प्रगट किये बिना मुझे यह टिप्पणी समाप्त नहीं करनी चाहिये। हमारे रखवालेके तौर पर बरताव करनेके वजाय वे मुझे और मेरे साथियोंको भी हर तरहकी मदद देते थे। कोठरियां साफ करनेका अथवा अैसा कोअी भी शारीरिक मेहनतका काम वे हमें नहीं करते देते थे। अपने अनुभवोंमें मुझे अुनके बारेमें अधिक कहना पड़ेगा, फिर भी गंगाप्पाका नाम दिये बिना तो मुझसे

रहा ही नहीं जा सकता। मेरे लिअे तो वह अुत्तमसे अुत्तम नर्स बन गया था। मेरी अेक अेक वस्तुकी अुसे चिन्ता रहती थी। मेरी अेक अेक जरूरत हमेशा पहलेसे जान लेनेकी अुसकी शक्ति थी। रातको किसी भी समय मेरी सेवा करनेकी अुसमें तत्परता थी। अपने प्रेमपूर्ण स्वभाव, शुद्ध प्रामाणिकता और जेलके नियमोंका पालन अित्यादि गुणोंसे वह मेरी प्रशंसाका पात्र बन गया था। जिस मनुष्यमें अैसा अुच्च चरित्र प्रगट करनेकी शक्ति है अुसे समाज दण्ड दे सकता है और सरकार अैसे आदमीको कैदमें रख सकती है, अिसीका मुझे अचम्भा होता है। गंगाप्पा निरक्षर है। वह राजनीतिक कैदी नहीं है। अुसे हत्याके अथवा अैसे ही किसी अपराधके लिअे सजा हुअी है। परंतु अिस विषयको अधिक लंबाना मेरे लिअे अुचित नहीं है। अिसका विचार मुझे भविष्यके लिअे स्थगित रखना चाहिये। मैंने गंगाप्पाका जो नाम दिया है वह केवल अुसके जैसे मेरे कैदी साथियोंके प्रति मेरी भावना प्रगट करनेके लिअे ही दिया है।

पूना,
२६ फरवरी, १९२४ **मोहनदास करमचंद गांधी**

१

हकीमजीको पत्र

यरवडा जेल,
१४ अप्रैल, १९२२

प्रिय हकीमजी,

कैदियोंको हर महीने अेक मुलाकातकी और अेक पत्र लिखने तथा प्राप्त करनेकी इजाजत होती है। मुलाकात देवदास और राजगोपालाचार्य कर गये, अिसलिअे अब जो पत्र लिखनेकी छूट है वह लिख रहा हूं।

आपको याद होगा कि भाओी बैंकरको और मुझे शनिवार तारीख १८ मार्चको अपराधी ठहराया गया था। सोमवारकी रातको लगभग १० बजे हमें खबर दी गओी कि हमें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जायगा। ११-३० बजे पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट हमें साबरमती स्टेशन पर हमारे लिअे जो स्पेशल खड़ी थी वहां ले गये। हमें सफरके लिअे फलोंकी अेक टोकरी दी गयी थी और सारे सफरमें हमारी अच्छी खातिर हुओी। साबरमती जेलके डॉक्टरने मुझे अपनी तन्दुरुस्ती और धर्मके कारण जो खुराक लेनेकी मेरी आदत है वह लेनेकी और भाओी बैंकरको स्वास्थ्यके कारण रोटी, दूध और फल लेनेकी मंजूरी दी थी। अिसलिअे भाओी बैंकरके लिअे गायका दूध और मेरे लिअे बकरीका दूध जो डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट हमारे रक्षक बने अुन्होंने रास्तेमें मंगवा दिया था।

खड़कीके आगे हमें अुतार लिया गया। वहां अेक कैदियोंकी गाड़ी, जिस जेलसे मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूं, वहां हमें लानेके लिअे खड़ी थी।

यहां पहले मेहमान रहे हुअे कैदियोंसे मैंने अिस जेलके वर्णन सुन रखे थे, अिसलिअे मुझे जो मुश्किलें आओीं अुनका सामना करनेकी मेरी तैयारी तो थी ही। मैंने भाओी बैंकरसे कह रखा था कि यदि मुझे चरखेकी मनाही होगी तो मुझे अुपवास करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सालके आरंभमें व्रत लिया था कि बीमार अथवा सफरमें न होने पर मैं रोज कमसे कम आध घंटे कातूंगा। अिसलिअे मैंने अुनसे कहा था कि मुझे अुपवास करना पड़े तो आप घबरा न

जायें, और न किसी भी कारणसे मुझ पर दया करके अुपवास करने लगें। मेरा कहना अुन्होंने समझ लिया।

असलिअे जब ५–३० बजे जेल पर पहुंचते ही सुपरिन्टेन्डेन्टने हमसे कहा कि, 'आपको अपना चरखा और फल नहीं रखने दिये जायंगे' तब हमें आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने अुसे बताया कि कातनेका मेरा व्रत है और सच पूछिये तो साबरमती जेलमें तो हम दोनोंको कातने देते थे। अुत्तरमें हमसे कहा गया, 'यरवडा साबरमती नहीं है।'

मैंने सुपरिन्टेन्डेन्टको यह भी बताया कि हम दोनोंको साबरमती जेलमें स्वास्थ्यके कारण बाहर सोने दिया जाता था। परंतु अिस जेलमें यह आशा कैसे रखी जा सकती थी?

अिस प्रकार पहला अनुभव कुछ अप्रिय हुआ। परंतु अिससे मेरी शान्ति जरा भी भंग नहीं हुअी। सोमवारके अुपवासके बाद मंगलवारको भी जो आधा अुपवास हुआ अुससे मुझे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि भाअी बैंकरसे तो यह बरदाश्त नहीं हुआ। रातको अुन्हें दुःस्वप्न सताते हैं और पासमें किसी सोनेवालेकी जरूरत रहती है। अिसके सिवा अुनका शायद जिन्दगीमें यह पहला ही कटु अनुभव होगा, जब कि मैं तो सधा हुआ जेलवासी ठहरा।

दूसरे दिन सबेरे सुपरिन्टेन्डेन्ट हमसे पूछने आये। मैंने देखा कि मैंने अपनी पहली छापमें सुपरिन्टेन्डेन्टके साथ अन्याय किया था। पहले दिन शामको वह जल्दीमें थे, अिसमें शक नहीं। हमें जेलके नियमित समयके बाद भीतर दाखिल किया गया था। और अुन्हें सचमुच विचित्र लगनेवाली (चरखेकी मांग जैसी) मांगके लिअे वह बिलकुल तैयार नहीं थे। परंतु वह समझ गये कि मैंने जो चरखा मांगा था वह शरारतके लिअे नहीं, परंतु सही या गलत अेक सच्ची धार्मिक जरूरतके लिअे मांगा था। अुन्होंने यह भी समझ लिया कि अिसमें अुपवासका सवाल भी नहीं था। अिसलिअे अुन्होंने हुक्म दिया कि हम दोनोंको चरखे दे दिये जायं। अुन्होंने यह भी समझ लिया कि हमारी बताअी हुअी खुराककी भी हमें जरूरत है। और मेरी जानकारीके अनुसार अिस जेलमें जीवधारीको जो देना चाहिये वह बराबर दिया जाता है। सुपरिन्टे-न्डेन्ट और जेलर दोनों पक्के मालूम होते हैं। दोनोंका रंगढंग मजेदार है। पहले दिनका अनुभव तो समझमें आ सकता है। सुपरिन्टेन्डेन्ट और जेलरके

साथ मेरा सम्बंध अेक कैदी और रक्षकके बीच जितना मीठा हो सकता है अुतना मीठा तो है ही।

परन्तु अितना तो मुझे स्पष्ट दिखाअी देता है कि जेलके प्रबंधमें मनुष्यताका बिलकुल नहीं तो बहुत-कुछ अभाव है। सुपरिन्टेन्डेन्ट मुझे बताते हैं कि सब कैदियोंके प्रति मेरे जैसा ही बरताव होता है। यदि यह बात सही हो तो मुझे कहना चाहिये कि जीवधारीके नाते तो कैदियोंकी शायद ही अिससे अधिक देखभाल रखी जा सकती है। परन्तु जेलके नियमोंमें अिन्सानियतकी गुंजाअिश ही नहीं है।

दूसरे दिन सबेरे कलेक्टर, अेक पादरी और कुछ अन्य लोगोंकी बनी हुअी कमेटी आकर क्या कर गअी सो देखिये। हमें भरती करनेके दूसरे ही दिन अिस कमेटीकी बैठक होना तो केवल आकस्मिक ही था। कमेटीके सदस्य हमें हमारी जरूरतोंके बारेमें पूछने आये। मैंने अुन्हें बताया कि भाअी बैंकर अधीर स्वभावके हैं। अुन्हें मेरे साथ रहने दीजिये और अुनकी कोठरी खुली रखिये। मेरी प्रार्थनाको जिस निंद्य और निष्ठुर लापरवाहीसे अस्वीकार कर दिया गया, अुसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे सामनेसे लौटते समय अुनमें से अेकने आलोचना करते हुअे कहा, 'नॉन-सेंसिकल' (बेहूदा)! अुन्हें न भाअी बैंकरके पिछले जीवनका पता था, न अुनके सामाजिक दर्जे या अुनके सुकुमार पालन-पोषणका। यह सब खोज निकालनेकी और मेरे खयालके अनुसार जो प्रार्थना स्वाभाविक प्रतीत होती थी अुसका कारण ढूंढ़नेकी अुन्हें कोअी परवाह नहीं थी। वैसे, भाअी बैंकरके लिअे तो खुराककी अपेक्षा रातको शान्त अखंड निद्रा ही अधिक महत्त्वकी थी। अिस मुलाकातको घंटाभर नहीं हुआ होगा कि अेक वार्डर आया और अुसने भाअी बैंकरको दूसरी जगह ले जानेका हुक्म सुनाया।

किसी मांसे अुसका अिकलौता बच्चा छीन लिया जाय और अुसकी जो दशा हो, वही मेरी हुअी। भाअी बैंकरको और मुझे साथ साथ पकड़ा गया और हम पर साथ साथ मुकदमा चला, यह तो अेक अकल्पित सौभाग्य था। साबरमती जेलमें मैंने जिला मजिस्ट्रेटको लिखा था कि यदि अधिकारी मुझे और बैंकरको अलग न करें तो यह अेक मेहरबानी होगी। अिसी तरह मैंने यह भी बताया था कि भाअी बैंकरको मेरे साथ रखा जाय, तो हम दोनों अेक-दूसरेके लिअे अुपयोगी होंगे। मैं अुनके साथ गीता पढ़ता और वे मेरी देखभाल करते

थे। भाअी बैंकरकी माताजी कुछ ही मास पूर्व गुजर गअी थीं। जब अुनकी मृत्युसे कुछ दिन पहले ही मैं अुनसे मिला था, तब अुन्होंने मुझसे कहा था, 'मैं आपको अपना लड़का सौंपकर निश्चित होती हूं।' अुस साध्वीको कहां पता था कि अुसके लड़केकी संकटके समय रक्षा करनेमें मैं बिलकुल अक्षम सिद्ध हो जाअूंगा? भाअी बैंकर मुझसे अलग हुअे तो मैंने अुन्हें अीश्वरको सौंप दिया। और अुन्हें विश्वास दिलाया कि 'अीश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा'।

परन्तु अब वे मेरे पास आ सकते हैं। अुन्हें पींजना आता है और वह मुझे सिखानेके लिअे आध घण्टे मेरे पास आनेकी अुन्हें छूट है। हमारे अिस पिंजाअीके काम पर देखरेख रखनेको अेक वार्डर तो है ही — यह देखनेके लिअे कि जिस कारणसे भाअी बैंकर यहां आते हैं अुस विषयके अलावा और कोअी बातें तो हम नहीं करते?

अिन्स्पेक्टर जनरल और सुपरिन्टेन्डेन्टको मैं समझा तो रहा हूं कि घड़ी-दो घड़ी मेरे पास आनेकी भाअी बैंकरको जो अनुमति दी गयी है, अुतने समय तक मुझे अुनके साथ गीता पढ़ने दें। अिस प्रार्थना पर विचार हो रहा है।

अधिकारियोंके प्रति न्यायकी दृष्टिसे मुझे कह देना चाहिये कि भाअी बैंकरकी शारीरिक आवश्यकतायें अच्छी तरह पूरी की जाती हैं और वे अच्छे भी दिखाअी देते हैं। अुनकी विह्वलता भी कम होती जा रही है। मेरे पास सात पुस्तकें हैं — पांच शुद्ध धार्मिक, अेक मेरा बहुत माना हुआ पुराना शब्दकोश और अेक मौलाना अबुल कलाम आजादकी दी हुअी अुर्दू-शिक्षिका। ये सात किताबें अपने पास रखनेमें मुझे अपनी सारी कलाका अुपयोग करना पड़ा है। बेचारे सुपरिन्टेन्डेन्टको सख्त हुक्म मिला था कि कैदियोंको जेलके पुस्तकालयकी पुस्तकोंके अतिरिक्त अन्य कोअी भी पुस्तक न दी जाय। अिसलिअे अुन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी सात पुस्तकें जेलके पुस्तकालयको दे दीजिये और बादमें वहांसे निकलवाकर काममें लीजिये। दूसरी पुस्तकें तो मैं अिस प्रकार देनेको तैयार था, परंतु अिन पुस्तकोंके बारेमें मैंने धीरेसे सुपरिन्टेन्डेन्टको समझाया कि, 'भाअी, मेरे रोजके अुपयोगकी धार्मिक पुस्तकें और जिनके पीछे कुछ न कुछ अितिहास रहा हो अैसी भेंटमें मिली हुअी पुस्तकें दे देना तो मेरा दाहिना हाथ काट देनेके बराबर है।' अिसके बाद

सुपरिन्टेन्डेन्टको कितनी कला काममें लेनी पड़ी होगी यह तो भगवान जाने; परंतु अुन्होंने अपने अफसरसे वे पुस्तकें मेरे पास रखनेकी मेरे लिअे अनुमति प्राप्त कर ली।

अब मुझे कहा गया है कि यदि मुझे सामयिक पत्र (मासिक आदि) पढ़ने हों तो मैं अपने खर्चसे मंगा सकता हूं। मैंने कहा कि समाचारपत्र भी अेक सामयिक पत्र है। अुन्हें भी अैसा ही लगा, परन्तु अिस बारेमें अुन्हें शंका थी कि समाचारपत्रकी अिजाजत दी जा सकती है या नहीं। साप्ताहिक 'क्रानिकल' का तो मैं नाम देता ही कैसे? परंतु मैंने साप्ताहिक 'टाअिम्स ऑफ अिंडिया' का नाम जरूर लिया। लेकिन यह पत्र सुपरिन्टेन्डेन्टको बहुत राजनीतिक लगा। 'पुलिस न्यूज़', 'टिट बिट्स' अथवा 'ब्लेक वुड्ज़' जैसे कोअी पत्र चाहिये तो ठीक है, परंतु दूसरे पत्रोंका नाम नहीं लिया जा सकता। हकीकत यह है कि यह बात ही सुपरिन्टेन्डेन्टके प्रदेशसे बाहर की है। 'सामयिक पत्र' किसे माना जाय, अिस बारेमें शायद अन्तिम निर्णय श्रीमान गवर्नर-अिन-कौन्सिल करेंगे।

फिर प्रश्न पैदा हुआ चाकू काममें लेने देनेका। रोटी तो मैं टोस्ट बनाकर ही पचा सकता हूं और अिसके लिअे अुसे काटना चाहिये। नीबू निचोड़नेके लिअे भी अुसे काटना चाहिये। परंतु चाकू तो 'प्राणघातक शस्त्र' कहलाता है। अैसा भयंकर शस्त्र कैदीके हाथमें कैसे सौंपा जा सकता है? तब मैंने सुपरिन्टेन्डेन्टसे कहा कि या तो मेरी रोटी और नीबू बंद कीजिये, नहीं तो मुझे चाकू अिस्तेमाल करने दीजिये। अन्तमें अब मेरा अपना पेन्सिल बनानेका चाकू मुझे काममें लाने दिया जाता है—यद्यपि वह भी रहता तो है मेरे 'कैदी वार्डर' के कब्जेमें ही। मुझे जब चाहिये तब अुससे मांग लेता हूं। रोज शामको वह जेलरके पास चला जाता है और सबेरे 'कैदी वार्डर' के पास लौट आता है।

अिस 'कैदी वार्डर' की जातिको आप नहीं जानते होंगे। 'कैदी वार्डर' की पदवी अैसे लम्बी मियादवाले कैदीको मिलती है, जिसे अच्छे चाल-चलनके कारण वार्डरकी पोशाक दी जाय और अूपरवालोंकी देखरेखमें छोटे छोटे काम सौंपे जायं। अेक हत्याका अपराधी ठहराया गया 'कैदी वार्डर' दिनमें मेरी रखवाली करता है और रातको अेक दूसरी मूर्ति आती है, जिसे देखकर मुझे शौकतअलीकी आकृति याद आती है। मेरी कोठरी खुली रखनेका

अिन्स्पेक्टर जनरलने जब निश्चय किया, तबसे अिस भाअीको और रख दिया गया है। अिन दोनोंसे मुझे कोअी अड़चन नहीं होती। दिनके वार्डरसे मुझे किसी चीजकी जरूरत होती है तब बोलना पड़ता है। अिसके सिवा मेरा अुनके साथ कुछ भी सम्बंध नहीं रहता।

मैं अेक त्रिकोणाकार खंडमें हूं। अिस त्रिकोणकी सबसे लम्बी भुजा पश्चिममें है। और अिस भुजामें ११ कोठरियां हैं। अिस दालानमें मेरा अेक साथी मेरी धारणाके अनुसार अेक अरब राजनीतिक कैदी है। अुसे हिन्दुस्तानी नहीं आती और दुर्भाग्यसे मुझे अरबी नहीं आती। अिसलिअे हमारा सम्बंध केवल प्रातःकालमें अेक-दूसरेसे सलाम करने तक ही सीमित है। अिस त्रिकोणका आधार अेक मजबूत दीवार है और त्रिकोणकी सबसे छोटी भुजा अेक कंटीले तारकी बाड़ है। अिस बाड़में अेक दरवाजा है और अुसमें होकर अेक विशाल मैदानमें जाते हैं। अिस त्रिकोणके आगे अेक चूनेकी सफेद लकीर खींच दी गअी है, जिसे लांघकर जानेकी मुझे मनाही थी। अिस प्रकार कसरतके लिअे मुझे ७० फुट जगह मिलती थी। मनुष्यताके अभावके नमूनेके तौर पर मैंने मिस्टर खम्भाता, छावनी मजिस्ट्रेटसे अिस मनाहीकी चर्चा की। वे जेल देखने आनेवाले मजिस्ट्रेटोंमें से अेक हैं। अुन्हें यह मनाही पसन्द नहीं आअी और अुन्होंने अैसी रिपोर्ट भी की। अिसलिअे अब सारा त्रिकोण मेरे व्यायामके लिअे खुला है और मुझे शायद १४० फुट जगह मिल जाती है। मैं अिस दरवाजेमें से दिखाअी देनेवाली खुली जगहकी बात कह गया। मेरी आंख अब अुस पर लगी रहती है। परन्तु मुझे वहां जानेकी अिजाजात दी जाय, तब तो जरूरतसे ज्यादा मनुष्यता बरती गअी कहलाये। 'सफेद लकीर चली गअी तो अब कंटीले तारकी बाड़से भी क्यों चिपटे रहते हैं? मुझे व्यायामके लिअे बाड़के अुस पार भी जाने दें तो क्या हानि है?' बेचारे सुपरिन्टेन्डेन्टके लिअे यह अेक कठिन पेंच हो गया है। और अुसे हल करनेमें वह अिस समय लगे हुअे हैं।

बात यह है कि मैं ठहरा अेकान्तके लायक कैदी। मुझसे किसीकी बातचीत हो, अिसे वे अुचित नहीं मानते। अिस जेलमें कुछ धारवाड़के कैदी हैं और बेलगामवाले सुप्रसिद्ध गंगाधरराव भी यहीं हैं। सक्करके सुधारक वीरूमल बेगराज और बम्बअीके अेक मराठी अखबारके मालिक ललित भी यहीं हैं। परन्तु मैं अुनसे नहीं मिल सकता। मैं अुनके साथ रहूं तो अुनका क्या नुकसान कर दूंगा यह तो राम जाने, परंतु वे मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते।

अिसी तरह यह बात भी नहीं कि हम कोअी षड्यंत्र रचकर भाग जायेंगे। हम अैसा करें तो भी यह तो अधिकारियोंको खूब पसंद आनेवाली बात होगी। यदि यह बात हो कि मैं औरोंको छूत लगा दूंगा, तो अुन्हें छूत लगाना अब बाकी ही कहां रहा है? जेलमें अधिकसे अधिक मैं अुन्हें चरखेका ज्यादा रसिया बना सकता हूं।

परंतु मैंने अपने अेकान्तवासकी जो बात आपसे कही है वह शिकायतके तौर पर नहीं कही है। मुझे तो अेकान्त पसंद ही आता है। मुझे मौन अच्छा लगता है और अुसमें जेलके बाहर मुझे अपना जो कीमती अध्ययन ताकमें रख देना पड़ा था वह मैं निश्चिन्त होकर कर सकता हूं।

परंतु सब कैदियोंको अेकान्तवास अच्छा नहीं लगता। अुसकी जरूरत भी नहीं है। अुसमें मनुष्यता नहीं है। अिसमें दोष है कैदियोंके गलत विभाजनका। सब कैदियोंको अेक ही वर्गमें डाल दिया जाता है और कोअी सुपरिन्टेन्डेन्ट कितना ही दयालु हो तो भी जब तक अुसे चाहे सो करनेकी सत्ता न हो तब तक अुसके सुपुर्द जो तरह तरहके स्त्री-पुरुष होते हैं अुनके साथ वह न्याय तो कर ही नहीं सकता। अिसलिअे वह अुनके शरीरकी तरफ देखकर अपना काम लेता है, शरीरके पीछे रहनेवाली आत्माकी तरफ तो देखता ही नहीं।

अिसके सिवा आजकल जेलोंका तो राजनीतिक हेतुसे दुरुपयोग हो रहा है। अिसलिअे राजनीतिक कैदियोंका सताया जाना जेलमें भी जारी ही रहता है।

मेरे जेल-जीवनका चित्र मेरी दिनचर्या बताये बिना अधूरा ही रह जायगा। मेरी कोठरी तो बढ़िया है -- साफ और हवादार। मुझे बाहर सोनेकी अनुमति मिल गअी, यह अेक लाभ ही है। क्योंकि मुझे बाहर सोनेकी आदत है। मैं ४ बजे प्रार्थनाके लिअे अुठता हूं। आश्रमवासी ये समाचार जानकर खुश होंगे कि मैं रोज सुबह प्रार्थना करनेमें चूकता नहीं। और कुछ कंठस्थ किये हुअे भजन गाता हूं। ६-३० बजे मेरा अध्ययन शुरू होता है। बत्ती तो दी नहीं जाती। अिसलिअे जरा अुजेला होने पर काम शुरू करता हूं। शामको ७ बजेके बाद अध्ययन बन्द कर देना पड़ता है, क्योंकि ७ बजे बाद रोशनीके बिना पढ़ना-लिखना असंभव हो जाता है। शामको आश्रमकी प्रार्थना करके ८ बजे सो जाता हूं। कुरान, तुलसी रामायण, मिस्टर स्टेंडिंगकी दी हुअी अीसाअी धर्म-संबंधी पुस्तकें और अुर्दू -- यह है मेरा अध्ययन। यह अध्ययन ६ घंटे

चलता है। ४ घंटे कातना और पींजना रहता है। पहले तो मैं केवल आध घंटे कातता था, क्योंकि तब मेरा पूनियोंका भंडार काफी नहीं था। अब अधिकारियोंने मुझे थोड़ीसी रुअी दे दी है। अिसमें बेहद कचरा है। शायद पींजना सीखनेवालेके लिअे अैसी रुअी पींजना बढ़िया तालीम हो जाती है। अेक घंटे पींजना और ३ घंटे कातना — यह नियम है। अनसूयाबहनने और फिर मगनलाल गांधीने मुझे पूनियां भेजी थीं। अब वे पूनियां न भेजें, परन्तु अुनमें से कोअी अेक बढ़िया साफ रुअी भेजें — अेक बारमें २-२ सेर भेजता रहे। प्रत्येक कातनेवालेको पींजना तो सीखना ही चाहिये। मैंने अेक दिनमें सीख लिया और पींजना शुरू कर दिया। कातनेसे पींजना सीखना आसान है, परन्तु कातनेसे पींजना कठिन है। अिस कातनेकी तो अब मुझे धुन लग गअी है। मुझे अैसा लग रहा है मानो मैं प्रतिदिन गरीबसे गरीबके अधिकाधिक नजदीक पहुंचता जा रहा हूं। और अुतना ही अीश्वरके निकट पहुंच रहा हूं। मैं मानता हूं कि दिनके ये ४ घंटे अुत्तम बीतते हैं। अपने श्रमका फल मैं आंखों देख रहा हूं। अिन ४ घंटोंके दरमियान अेक भी अशुद्ध विचार मेरे मनमें प्रवेश नहीं करता। गीता, कुरान और रामायण पढ़ता हूं तब मन भटकता है, परन्तु चरखा चलाता हूं अथवा पींजन चलाता हूं तब मन अेकाग्र रहता है। मैं जानता हूं कि हरअेकका चित्त कातते समय अेकाग्र नहीं रहता, परन्तु मैंने तो चरखेको दरिद्र भारतकी गरीबी मिटानेवालेके रूपमें अितना अधिक मान लिया है कि अुसकी मुझ पर अद्‌भुत मोहिनी छा गअी है। कातना-पींजना अधिक करूं या अध्ययन अधिक करूं, अिसकी बड़ी अुथल-पुथल मेरे मनमें मची हुअी है और यदि अगले पत्रमें मैं यह बताअूं कि मेरा कातने-पींजनेका समय बढ़ गया है तो आश्चर्य नहीं।

कृपा करके मौलाना अब्दुल बारी साहबसे कहिये कि अुन्होंने अभी अभी कातना शुरू करनेके जो समाचार मुझे दिये थे, अुस विषयमें मैं आशा रखता हूं कि वे मुझसे स्पर्धा करेंगे। अुनके अुदाहरणसे बहुत लोग यह महान कार्य कर्तव्य समझकर अपना लेंगे।

आश्रमके लोगोंको खबर दीजिये कि मैंने जो बालपोथी लिखनेका वचन दिया था वह पूरी कर ली है। मैं मान लेता हूं कि अुसे अुन लोगोंको भेजनेकी अिजाजत मिल जायगी। मैंने अेक धर्मकी बालपोथी और दक्षिण अफ्रीकाका अितिहास लिखनेका जो वचन दिया है अुसे भी पूरा करनेकी आशा रखता हूं।

तीन बारके बजाय मैंने यहां अनुकूलताके लिअे दो ही बार खानेका नियम रखा है। परन्तु मैं खुराक पूरी लेता हूं। सुपरिन्टेन्डेन्ट भोजनके विषयमें तो कोअी अड़चन नहीं होने देते। पिछले तीन दिनसे अुन्होंने मुझे बकरीके दूधका मक्खन मंगवाकर देना शुरू किया है और अेक-दो दिनमें अपनी रोटी मैं आप बनाने लगूंगा।

मुझे बिलकुल नये गरम कम्बल, नारियलकी चटाअी और दो चादरें दी गअी हैं। कुछ समयसे अेक तकिया भी दिया गया है। अुसकी कोअी जरूरत नहीं थी। मैं अपनी पुस्तकों और अपने फालतू कपड़ोंका तकिया बना लेता था। यह तकिया तो राजगोपालाचारीके साथ हुअी बातके परिणामस्वरूप ही दिया गया है। नहानेके लिअे अलहदा अिन्तजाम है और नित्य नहानेको मिलता है। अेक और कोठरी, जब अुसकी और कोअी जरूरत न हो तब, हमें काम करनेके लिअे दी गअी है। स्वच्छताकी भी अब कमी नहीं रही।

अिसलिअे मित्र लोग मेरे लिअे किसी बातकी चिन्ता न करें। मैं तो पक्षीकी भांति खुश हूं। और यह नहीं मानता कि जितनी सेवा मैं बाहर रहकर करता था अुससे यहां रहकर कम कर रहा हूं। यहां रहना मेरे लिअे बढ़िया तालीम है। और यदि मुझे अपने साथियोंसे अलग न कर दिया जाता, तो मुझे कैसे पता लगता कि हम छिन्न-भिन्न नहीं परन्तु अेक अखंड बल हैं, हम मिलकर काम कर सकते हैं या हमारी लड़ाअी केवल अेक ही आदमीका खड़ा किया हुआ तमाशा है — चार दिनकी चांदनी है। मुझे कोअी अविश्वास तो है ही नहीं। अिसलिअे बाहर क्या होता है, यह जाननेकी मुझे जरा भी जिज्ञासा नहीं होती। और मेरी प्रार्थना सच्ची होगी और नम्र हृदयसे होती होगी, तो मैं जानता हूं कि कितने ही आन्दोलनोंकी अपेक्षा अुसका असर कहीं अधिक होगा।

दासके स्वास्थ्यके बारेमें चिन्ता रहती है। अुनकी सुशील पत्नी (श्री वासंतीदेवी) मुझे अुनकी तबीयतके समाचार नहीं दिया करतीं, यह शिकायत तो मुझे सदा ही रहेगी। आशा है मोतीलालजीकी दमेकी व्याधि अब मिट गअी होगी।

मेरी स्त्रीको कृपा करके समझाअिये कि मुझसे मिलनेके लिअे आनेका विचार छोड़ दे। देवदास मुझसे मिलने आया तब अुसने तो नाटक कर डाला था। अुसे सुपरिन्टेन्डेन्टके दफ्तरमें लाया गया तब मुझे खड़ा रखा गया था। यह देखकर अुससे रहा नहीं गया। वह स्वाभिमानी और भावनाशील लड़का जोर जोरसे

रो पड़ा और मैंने अुसे जैसे तैसे शान्त किया। अुसे समझना चाहिये था कि मैं कैदी हूं और कैदीके नाते मुझे सुपरिन्टेन्डेन्टके सामने बैठनेका अधिकार नहीं था। राजगोपालाचारी और देवदासको कुरसी दी जा सकती थी — और देनी चाहिये थी। परन्तु मुझे विश्वास है कि अैसा नहीं हुआ तो अुसमें कोअी अपमान करनेका अिरादा नहीं था। मैं नहीं समझता कि अैसी मुलाकातके समय सुपरिन्टेन्डेन्ट सदा अुपस्थित रहते होंगे। परन्तु अिसमें शक नहीं कि मेरे मामलेमें वह कोअी जोखिम अुठाना नहीं चाहते थे। अब मैं नहीं चाहता कि देवदासका अुपस्थित किया हुआ दृश्य मेरी स्त्री भी यहां आकर खड़ा करे और मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझ पर खास मेहरबानी करके मुझे कुरसी दी जाय। मुझे विश्वास है कि मेरे खड़े रहनेमें ही मेरी शोभा है। और अंग्रेज लोग हम जहां जायं वहां स्वाभाविक रूपमें और सच्चे दिलसे हमारा आदर करें और हमारा सत्कार करें, अिसके लिअे तो अभी थोड़ा समय चाहिये। मेरी बिलकुल अिच्छा नहीं है कि मुलाकात करनेवाले आयें, बल्कि मैं यह जरूर चाहूंगा कि मित्र और सगे-संबन्धी दोनों ही अपनी अिच्छाको दबायें। अलबत्ता, संयोग अनुकूल हों या प्रतिकूल तो भी कामकाजके लिअे जरूर मिलें।

पंचमहाल, पूर्व खानदेश और आगरेमें गरीब मुसलमान स्त्रियोंको चरखे देनेकी छोटानी मियांने जो घोषणा की थी अुसके अनुसार वे बांट दिये गये होंगे। आगरेसे जिस मिशनरी स्त्रीने मुझे लिखा था अुसका नाम तो मैं भूल गया। कृष्णदासको शायद याद हो।

अुर्दू-शिक्षिका तो जल्दी ही पूरी कर लूंगा। अच्छी अुर्दू लुगात (शब्दकोश) और आपको या डॉ० अन्सारीको जो पुस्तक ठीक लगे वह आप भेज देंगे तो मैं बहुत खुश होअूंगा।

श्वेबको बताअिये कि मैं अुसके बारेमें निश्चिन्त हूं।

मुझे आशा है कि आप सकुशल होंगे। आप बूतेसे अधिक काम नहीं करते होंगे, यह आशा रखना तो अनहोनी बातकी आशा रखने जैसा होगा। अिसलिअे मैं तो केवल प्रार्थना करूंगा कि आप पर कामका बोझा बहुत होने पर भी खुदा आपको तन्दुरुस्त रखे।

सब साथियोंको मेरा सस्नेह स्मरण।

स्नेहाधीन

मो० क० गांधी

२

गांधीजीकी आपत्ति

कैदी नं० ८६७७ की तरफसे

बम्बअी सरकारके नाम —

कैदीके मित्र हकीम अजमलखां साहबके नाम कैदीके लिखे पत्र पर सरकारने जो हुक्म दिया है अुसके संबंधमें और अुस हुक्ममें की गअी कुछ टिप्पणियोंके साथ —— जिन्हें कि यरवडा जेलके सुपरिन्टेन्डेन्टने कैदीको पढ़कर सुनाया था —— कैदीको वह पत्र लौटा दिया गया अुसके संबंधमें कैदी नं० ८६७७ यह बताना चाहता है कि अुपरोक्त आज्ञाकी नकलके लिअे कैदीने सुपरिन्टेन्डेन्टको दरखास्त दी, परन्तु सुपरिन्टेन्डेन्टने बताया कि कैदीको अुस हुक्मकी नकल देनेका अुन्हें अधिकार नहीं।

अुस आज्ञाकी नकल लेने और मित्रोंको अेक प्रतिलिपि भेजनेकी कैदीकी अिच्छा है, ताकि अुन्हें पता चल जाय कि किन परिस्थितियोंमें कैदीको अपने मित्रोंको कुशल-पत्र लिखना भी छोड़ देना पड़ा है। कैदी निवेदन करता है कि सरकार अुपरोक्त आज्ञाकी प्रतिलिपि देनेका सुपरिन्टेन्डेन्टको आदेश दे।

जहां तक कैदीने समझा है और अुसे याद है, अुपरोक्त आज्ञामें सरकारने नीचे लिखे कारणोंसे अुपरोक्त पत्र भेजनेसे अिनकार किया है:

(१) पत्रमें कैदीके सिवा दूसरे कैदियोंकी बात कही गअी है; (२) पत्रसे राजनीतिक चर्चा अुत्पन्न होनेकी संभावना है।

पहले कारणके संबंधमें निवेदन है कि अुपरोक्त पत्रमें कैदीकी स्थिति और कुशलकी चर्चाके लिअे जितना कहना आवश्यक है अुससे अधिक और कुछ भी नहीं है।

दूसरे कारणके संबंधमें कैदी आदरपूर्वक निवेदन करता है कि सार्वजनिक चर्चा खड़ी होनेकी संभावनाको कैदीसे तीन महीनेमें अपने मित्रों और सगे-संबंधियोंको कुशल-पत्र लिखनेका हक छीन लेनेके लिअे अुचित कारण नहीं बनाया जा सकता। और कैदी मानता है कि अैसा करनेमें भयंकर भावार्थ निकलता है; वह यह कि भारतीय जेल अेक गुप्त विभाग है। कैदी मानता है कि भारतीय जेल सार्वजनिक विभाग है। और दूसरे विभागोंकी तरह वह भी लोगोंकी आलोचनाका पात्र है।

कैदीका निवेदन है कि अुसके अुपरोक्त पत्रमें केवल अुसके अपने कुशल-समाचार ही दिये गये हैं। दूसरे कैदियोंकी बात कहनी पड़ी है, वह अुपरोक्त समाचार पूरी तरह देनेके लिअे जरूरी थी। अुसमें कोअी गलत अथवा बढ़ा-चढ़ा कर लिखी गअी खबर यदि कैदीको बता दी जायगी तो अुसे सुधारनेको कैदी राजी है। परन्तु सरकार जैसा कहती है अुस ढंगसे अुपरोक्त पत्रको काट-कूटकर भेजनेका अर्थ तो कैदीके मित्रोंको अुसकी स्थितिके बारेमें गलत खयाल देना होगा। अिसलिअे अूपर कहे अनुसार जो सुधार करनेकी जरूरत मालूम हो अुनके सिवा दूसरे परिवर्तन किये बिना यदि सरकार कैदीका पत्र भेजनेके लिअे राजी न हो, तो मित्रोंको कुशल-पत्र भेजनेका हक काममें लेनेकी कैदीकी बिलकुल अिच्छा नहीं। क्योंकि अुपरोक्त आज्ञाके अनुसार सरकारने जो मनाही की है, अुससे अिस हककी शायद ही कोअी कीमत रह जाती है।

यरवडा जेल,
१२–५–'२२

मो० क० गांधी
कैदी नं० ८६७७

३

'मेरा पहला और आखिरी'

यरवडा जेल,
१२ मअी, १९२२

प्रिय हकीमजी,

१४ अप्रैलको मैंने आपको अपनी स्थितिकी पूरी जानकारी देते हुअे अेक लंबा पत्र लिखा था। अुसमें आपके मारफत मैंने कुछ सन्देश भेजे थे, जिनमें मेरी स्त्री और देवदासके लिअे भी सन्देश थे। सरकारने अभी अभी आज्ञा दी है कि यदि अुसमें से कुछ महत्त्वपूर्ण भाग मैं न निकाल दूं तो वह पत्र भेजा नहीं जायगा। सरकारने अपने निर्णयके कारण भी दिये हैं, परन्तु अपने हुक्मकी नकल मुझे देनेसे अिनकार कर दिया गया है। अिसलिअे वह हुक्म मैं आपको नहीं भेज सकता। और अपनी यादके अनुसार सरकार द्वारा जो कारण बताये गये हैं वे भी नहीं भेज सकता।

मैंने सरकारको अेक पत्र लिखकर अिन कारणोंके ठीक होने पर अेतराज किया है, और मेरे पत्रमें कोअी बात गलत या बढ़ा-चढ़ाकर लिखी गअी है, अैसा मुझे बताया जाय तो अुसे सुधारनेकी तैयारी दिखाअी है। मैंने अुसे यह भी बता दिया है कि मेरा पत्र यदि काट-छांट किये बिना न भेजा जा सके, तो नियमानुसार जो पत्र मित्रोंको लिखे जा सकते हैं वे भी भेजनेकी मेरी अिच्छा नहीं है। क्योंकि फिर तो अुनकी शायद ही कोअी कीमत रह जाती है। अिसलिअे सरकार जब तक अपना निश्चय न बदले, तब तक आपको तथा दूसरे मित्रोंको यही मेरा पहला और अंतिम पत्र होगा।

आशा है आप सकुशल होंगे।

आपका स्नेहाधीन
मो० क० गांधी
कैदी नं० ८६७७

४

दूसरे पत्रकी मांग

यरवडा सेन्ट्रल जेलके सुपरिन्टेन्डेन्टकी सेवामें,

महाशय,

काफी समयसे मेरे बारेमें तीन बातोंका निर्णय होना बाकी है।

(१) पिछले मअी मासमें मैंने अपने मित्र दिल्लीवाले हकीमजी अजमलखांको नियमानुसार तिमाही पत्र लिखा था। अुस पत्रके कुछ भागोंके विरुद्ध सरकारने आपत्ति की और मुझे यह बताया गया कि यदि वे भाग मैं निकाल न दूं तो पत्र नहीं भेजा जायगा। क्योंकि मैं यह मानता था कि अुपरोक्त भाग जेलकी मेरी स्थितिसे संबंध रखनेवाले हैं, अिसलिअे मैं अुन्हें निकाल नहीं सका और मैंने सरकारको आदरपूर्वक बता दिया कि यदि मुझे अपनी स्थितिका संपूर्ण वर्णन अपने मित्रोंको न भेजने दिया जाय, तो अुन्हें साधारण पत्र लिखनेका हक अथवा विशेष अधिकार काममें लेनेकी मेरी अिच्छा नहीं है। अुसी समय मैंने अपने मित्रको अेक छोटासा पत्र लिख कर बताया कि मैंने अुन्हें जो पत्र लिखा था वह मंजूर नहीं हुआ है और जब तक सरकार मेरे पत्र पर लगायी हुअी

पाबंदी न हटायेगी तब तक अपने कुशलके बारेमें अेक भी पत्र लिखनेकी मेरी अिच्छा नहीं है। यह दूसरा पत्र भी भेजनेसे सरकारने अिनकार कर दिया है। मेरी मांग है कि जैसे मुझे अपना पहला पत्र दे दिया गया, वैसे ही यह दूसरा पत्र भी मुझे वापिस दे दिया जाय।

(२) गुजराती बालपोथी लिखनेकी कर्नल डेलज़ीलसे अनुमति लेकर और अुनसे यह आश्वासन पाकर कि अुसे अपने मित्रोंको प्रकाशित करनेके लिअे भेजनेमें कोअी आपत्ति नहीं की जायगी मैंने वह बालपोथी लिखी। और अुस बालपोथीके साथ भेजे गये पत्रमें बताये हुअे पते पर अुसे भेज देनेके लिअे कर्नल डेलज़ीलको दी। अुपरोक्त पते पर बालपोथी भेजनेसे सरकारने यह कारण बताकर अिनकार कर दिया है कि जेलमें सजा भुगतनेवाले कैदियोंको पुस्तकें प्रकाशित करनेकी अनुमति नहीं दी जा सकती। मेरी जरा भी अिच्छा नहीं है कि अुस बालपोथी पर मेरा नाम प्रकाशक अथवा लेखकके रूपमें दिया जाय। यदि मेरे नामका कोअी स्पर्श किये बिना भी वह बालपोथी प्रकाशित न हो सकती हो, तो मैं चाहता हूं कि वह मुझे वापस भेज दी जाय।

(३) सरकारने मुझे बताया था कि मुझे सामयिक पत्र मंगवानेकी अिजाजत मिल सकेगी। अिसलिअे मैंने साप्ताहिक 'टाअिम्स ऑफ अिंडिया', 'मॉडर्न रिव्यू'— कलकत्तेका अेक अूंचे दरजेका मासिक — और 'सरस्वती' हिन्दी मासिक मंगानेकी अनुमति मांगी। अिनमें से अन्तिमके लिअे मंजूरी मिली है। दूसरे दोके लिअे अभी कोअी निर्णय नहीं हुआ है। सरकारके निर्णयकी मैं चिन्तापूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूं।

यरवडा जेल,
१२ अगस्त, २२

मैं हूं
आपका आज्ञाकारी सेवक
मो० क० गांधी

५

यरवडा जेल,
१४ नवम्बर, १९२२

सुपरिन्टेन्डेन्ट,
यरवडा सेन्ट्रल जेल

महाशय,

'मॉडर्न रिव्यू' पत्र देनेसे सरकारने अिनकार कर दिया है, तो अिस संबंधमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली तिमाही मुलाकातके समय मेरी स्त्रीके साथ आये हुअे मित्रोंने मुझे कहा था कि सरकारने तो अैसी घोषणा की है कि कैदियोंको सामयिक पत्र दिये जाते हैं। यदि यह समाचार सही हो तो मैं अपनी मांग दुहराता हूं और मद्रासके मिस्टर नटेसनके सम्पादकत्वमें निकलनेवाले 'अिंडियन रिव्यू' मासिककी मांग करता हूं।

आपका आज्ञाकारी
मो० क० गांधी

[कहा गया कि 'अिंडियन रिव्यू' नहीं मिलेगा। —मो० क० गांधी]

६

यरवडा जेल,
२० दिसम्बर, १९२२

सुपरिन्टेन्डेन्ट, यरवडा जेल

महाशय,

आपने कृपा करके मुझे बताया था कि कुछ समय हुआ मुझसे मिलनेके लिअे अर्जी करनेवालोंमें से पंडित मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमलखां और भाअी मगनलाल गांधीको अनुमति नहीं दी गअी।

भाअी मगनलाल गांधी मेरे बहुत निकटके संबंधी हैं, अितना ही नहीं, अुन्हें मेरा मुख्तियारनामा भी प्राप्त है। वह मेरे खेती तथा हाथ-बुनाअी और हाथ-कताअीके प्रयोगोंका संचालन भी करते हैं। अिसी प्रकार अछूतों-संबंधी मेरे कार्यके साथ अुनका गहरा संबंध है।

पंडितजी और हकीमजी राजनीतिक कार्योंमें मेरे साथी हैं और अिसके अलावा मेरा कुशल चाहनेवाले मेरे निजी मित्र भी हैं।

पंडित मोतीलाल नेहरू, हकीमजी अजमलखां और भाअी मगनलाल गांधीको मिलनेकी अनुमति क्यों नहीं दी गअी, अिसके कारण आप सरकारसे मंगा लेंगे तो मैं आभारी रहूंगा।

मैं देखता हूं कि कैदियोंकी मुलाकातसे संबंधित जेलके नियमोंके अनुसार तो अिन तीन सज्जनोंको अपने कैदी मित्रोंसे मिलनेका अधिकार होना चाहिये।

मेरे साथकी मुलाकातोंके बारेमें सरकार क्या चाहती है, यह मुझे बता दिया जाय तो अच्छा है — मैं किससे मिल सकता हूं और किससे नहीं मिल सकता और जिन मुलाकातियोंको अिजाजत मिल जाय अुनसे जिन अराजनीतिक विषयों अथवा कामोंके साथ मेरा संबंध हो अुनके बारेमें मैं समाचार प्राप्त कर सकता हूं या नहीं?

आपका आज्ञाकारी
मो० क० गांधी
नं० ८६७७

७

यरवडा जेल,
२० दिसम्बर, १९२२

सुपरिन्टेन्डेन्ट,
यरवडा सेन्ट्रल जेल

महाशय,

आपने मुझे सूचित किया है कि अिन्स्पेक्टर जनरलने कोअी कारण दिये बिना 'वसन्त' और 'समालोचक' नामके दो गुजराती मासिक मुझे दिये जानेसे अिनकार कर दिया है।

कैदियोंको सामयिक पत्र देनेके संबंधमें सरकार द्वारा जारी की गअी आज्ञाओंको देखते हुअे अुपरोक्त निर्णय मुझे आश्चर्यजनक मालूम होता है। मेरी समझके अनुसार सरकारी आदेश तो ये हैं कि कैदियोंको अैसे सामयिक पत्र लेनेका अधिकार है, जिनमें वर्तमान राजनीतिक समाचार न हों। 'समालोचक'

के विषयमें तो मैं अधिक नहीं जानता, पर 'वसन्त' पत्रकी मैं काफी जानकारी रखता हूं। यह रावबहादुर रमणभाअीके सम्पादनमें निकलनेवाली गुजरातकी अेक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका है। रावबहादुर समाज-सुधारककी तरह प्रसिद्ध हैं और अिस मासिकके लेखक भी किसी-न-किसी तरह सरकारसे संबंध रखनेवाले लोग हैं। अुसमें जहां तक मैं जानता हूं शुद्ध राजनीतिक विषयोंकी चर्चा नहीं होती। अिसी प्रकार अुसमें राजनीतिक समाचार भी नहीं आते। लेकिन सम्भव है कि अिन मासिकोंकी मनाही करनेमें अिन्स्पेक्टर जनरल दूसरे कारणोंसे प्रेरित हुअे हों, अथवा 'वसन्त' और 'समालोचक' अब राजनीतिक मासिक बन गये हों। अिसलिअे क्या आप अिन्स्पेक्टर जनरलसे यह जान लेनेकी मेहरबानी करेंगे कि अुनके अुक्त निर्णयका कारण क्या है? अगर यह निर्णय बदला नहीं गया तो अुसका परिणाम यह होगा कि मैं गुजराती साहित्यके साथ सम्पर्क कायम रखनेके साधनसे वंचित हो जाअूंगा।

आपका आज्ञाकारी
मो० क० गांधी

८

यरवडा सेंट्रल जेल,
४ फरवरी, १९२३

सुपरिन्टेन्डेन्ट,
यरवडा सेंट्रल जेल

महाशय,

आपने कल मुझे बताया था कि अिन्स्पेक्टर जनरलने मेरे गत २० दिसंबरके पत्र (छठे पत्र) का अुत्तर यह दिया है कि जेलकी मुलकातोंसे संबंधित नियमोंकी मर्यादामें रहकर सगे-संबंधियों और मित्रोंकी मुलाकातके बारेमें आज्ञा देनेका संपूर्ण अधिकार आपको ही है।

अिस अुत्तरसे मैं चकित हो जाता हूं। और गत २७ तारीखको बहन वसुमती धीमतरामके साथ मेरी स्त्री मिलने आअी थी तब अुसके द्वारा दी गअी खबर तो अिससे अुलटी ही है।

मेरी स्त्रीने मुझे बताया कि मुलाकातके लिअे दी गअी अुसकी अरजीके जवाबके लिअे अुसे बीससे अधिक दिन ठहरना पड़ा। मेरी बीमारीकी अफवाह सुनकर वह पूना आअी — अिस आशासे कि अुसे अिजाजत मिल जायगी। अिस प्रकार पिछले सप्ताहके शुरूमें ही मेरी स्त्रीने, बहन वसुमती धीमतराम, भाअी मगनलाल गांधी, अुनकी लगभग चौदह वर्षकी लड़की राधा और भाअी छगनलाल गांधीका लड़का प्रभुदास — जिसकी अुम्र अठारह वर्षकी है और जो अपने पिताके बीमार हो जानेके कारण अनुमति मिलने पर भी न आ सकनेसे अुनके बजाय आया था — अिन सबको साथ लेकर, जेलके दरवाजे पर आकर भीतर प्रवेश करनेकी अनुमति मांगी। आपने अिस मंडलीसे कहा कि अनुमति देनेका आपको कोअी अधिकार नहीं और यह कि मूल प्रार्थनापत्र आपने सरकारको भेज दिया था, लेकिन अुसका अुत्तर अभी तक नहीं आया है। परन्तु भाअी मगनलाल गांधीने आग्रह किया तो आपने अिन्स्पेक्टर जनरलको टेलीफोन करके पूछ लेनेका वचन दिया और अन्तमें अुन्होंने भी यही सूचित किया कि अुन्हें अिस मुलाकातकी अनुमति देनेका अधिकार नहीं है। परिणामस्वरूप मेरी स्त्रीको और अुसके साथ आये हुअे सभीको निराश होकर लौटना पड़ा।

पिछली सत्ताअीस तारीखको मेरी स्त्रीने मुझे कहा कि आपने अुसे टेलीफोन करके बताया था कि 'सरकारकी तरफसे जवाब मिल गया है कि मूल प्रार्थनापत्रमें लिखे हुअे तीन आदमियोंके साथ आप मि० गांधीसे मिल सकती हैं।' अिसलिअे राधा और प्रभुदास अिन दोनों बालकोंको अिजाजत नहीं मिली।

यदि आपको अधिकार था तब तो अुपरोक्त वर्णनमें कुछ न कुछ भूल होनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि मेरी स्त्रीकी कही हुअी बात समझनेमें मेरी भूल नहीं हुअी है।

फिर यदि आपको अधिकार होता तो राधा और प्रभुदासको वापस न जाना पड़ता।

अिसलिअे सरकारकी ओरसे आपको मिला हुआ अुत्तर मेरी स्त्रीकी बतायी हुअी बातसे अुलटा क्यों है यह और नीचे लिखे प्रश्नोंके संबंधमें जानकारी देकर अनुगृहीत कीजिये :

(१) पंडित मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमलखां और भाअी मगनलाल गांधीको पिछले साल किस कारणसे अिजाजत नहीं मिली?

(२) भविष्यमें मुझसे मिलनेकी अनुमति किसे मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी?

(३) अुपरोक्त मुलाकातके समय अराजनीतिक मामलोंके बारेमें और मेरे द्वारा शुरू की गअी अराजनीतिक प्रवृत्तियोंके बारेमें, जिन्हें अभी मेरे अनेक प्रतिनिधि चला रहे हैं, मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूं या नहीं?

अुपरोक्त सबका आप अपमान करना नहीं चाहते होंगे, परन्तु जिस ढंगका बरताव अुनके साथ किया गया अुसमें तो अपमान था ही। मैं चाहता हूं कि अैसी दुःखद घटना दुबारा न हो।

आपका आज्ञाकारी
मो० क० गांधी

९

यरवडा जेल,
१२ फरवरी, १९२३

प्रिय मेजर जोन्स,

आपको यह खानगी पत्र अिसलिअे लिखना पड़ रहा है कि अिसमें जिस बातकी चर्चा की गअी है वह कैदीकी हैसियतसे मेरे विषयके भीतर भी है और बाहर भी है। फिर भी आपके पदके कारण आपको अैसा लगता हो कि अिस पत्रको सरकारी रूपमें आया हुआ समझे बिना काम नहीं चलेगा तो आपको वैसा समझनेकी भी छूट है।

कल सुबह मैंने चीत्कारका स्वर सुना और पास खड़े हुअे कुछ लोग चिल्लाये कि कैदियोंके कोड़े लगाये जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ। अुसके बाद थोड़ी ही देरमें टाटके कपड़े पहने हुअे चार पांच नौजवानोंको ले जाते हुअे मैंने देखा। अेककी पीठ नंगी थी। वे सब बहुत ही धीरे और झुककर चल रहे थे। मैंने देखा कि अुन्हें तकलीफ हो रही है। अुन्होंने मुझे नमस्कार किया। मैंने भी अुन्हें नमस्कार किया। मेरा खयाल हुआ कि अुन्हें जरूर कोड़े लगाये गये हैं। दोपहरको मैंने अेक सम्मान्य सज्जनको बेड़ी पहनाकर ले जाते हुअे देखा। अपने सामान्य नियमके विरुद्ध मैंने अुनसे पूछा कि आप कौन हैं। अुन्होंने कहा कि वे मूलशीपेटाके कैदियोंमें से अेक हैं। मैंने अुनसे पूछा कि जिन्हें कोड़े लगाये गये अुन लोगोंको आप जानते हैं या नहीं। अुन्होंने कहा कि वे अिन सबको जानते हैं, क्योंकि वे लोग भी मूलशीपेटाके ही हैं।

यह पत्र लिखनेका हेतु अितना ही है कि जो लोग काम करनेसे अिनकार करते हैं, अुनसे मिलनेकी मुझे अनुमति दी जाय। यदि मुझे यह लगेगा कि वे नादानी या विचारहीनतासे काम ले रहे हैं, तो शायद मैं अुन्हें अुनकी स्थिति पर पुनर्विचार करनेको समझा सकूंगा। सत्याग्रहमें कैदीका यह धर्म है कि वह जेलके तमाम अुचित नियमोंका पालन करे और मिला हुआ काम तो जरूर करे। असलमें सत्याग्रहीके जेल जानेके बाद अुसका नियम-भंग करनेका काम समाप्त हो जाता है। कोअी असामान्य कारण होने पर ही वह फिर शुरू किया जा सकता है — जैसे कि जान-बूझकर अुसका अपमान किया जानेके अवसर पर। यदि वे लोग सत्याग्रही होनेका दावा करते हों, तो यह सब मैं अुन्हें समझाना चाहता हूं।

मैं यह बात जानता हूं कि आम तौर पर किसी भी कैदीको जेलके प्रबंधमें सहायता देने अथवा दखल देनेकी छूट नहीं दी जाती। परन्तु सामान्य मनुष्यत्वकी दृष्टिसे मेरा सुझाव मान लिया जायगा, अैसी अपेक्षा मैं रखता हूं। मुझे विश्वास है कि किसी भी तरह कोड़े लगाना रोका जा सकता हो, तो अुसे रोकनेके अुपाय करनेमें आप कोअी भी कोशिश बाकी नहीं रखेंगे। मैंने नम्रतापूर्वक अेक अुपाय सुझाया है। आशा है मेरी सेवासे आप लाभ अुठाना चाहेंगे और मुझे अनुमति दी जायगी।

आपका आज्ञाकारी
मो० क० गांधी

१०

यरवडा जेल,
१२ फरवरी, १९२३

सुपरिन्टेन्डेन्ट,
यरवडा सेन्ट्रल जेल

महाशय,

मुझे अभी अभी यह खबर मिली कि मूलशीपेटाके कुछ आदमियोंसे बात-चीत करनेके कारण भाअी जयरामदासको सजा दी गयी है। मैं यह पत्र अुस सजाके विरुद्ध शिकायत करनेके लिअे नहीं, परन्तु अिसलिअे लिख रहा हूं कि

अुतनी ही अथवा अुससे भी अधिक सजा मुझे दी जाय। यह मांग मैं लड़ाकू वृत्तिसे नहीं परन्तु अैसा कहा जा सकता है कि धार्मिक वृत्तिसे कर रहा हूं, क्योंकि नियमका भंग जयरामदासकी अपेक्षा मैंने अधिक किया है। मैंने ही अुनसे कहा था कि तुम्हें मूलशीपेटावाला कोअी कैदी मिले तो अुससे कहना कि यदि वे सत्याग्रही होनेका दावा रखते हों तो काम करनेसे अिनकार न करें। भाअी जयरामदास मेरे अिस अनुरोधको अमान्य नहीं कर सके। मैंने अुनसे यह भी कहा था कि आप यदि आज अुनके पास जायं तो वे आपको सारा हाल बता दें ; और मैं हम दोनोंके बीच जो कुछ हुआ वह आपको कल बतानेवाला था — कल अिसीलिअे कि सोमवार मेरा मौनवार होनेके कारण आप अुस दिन मुझसे मिलने नहीं आते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे सजा होगी तो मैं अुसका अुलटा अर्थ नहीं लगाअूंगा। परंतु यदि मैं छूट जाअूं और मुझसे कम अपराध — यदि वह अपराध ही हो तो — करनेवालेको सजा हो तो मुझे दुःख होगा।

आपका आज्ञाकारी

मो० क० गांधी

[अुपरोक्त पत्रके अुत्तरमें सुपरिन्टेन्डेन्ट मेरी कोठरीमें आये और अुन्होंने मुझसे कहा कि अुनके मनमें जयरामदासके प्रति जरा भी रोष नहीं है। अुन्होंने — भाअी जयरामदासने — जो कुछ किया वह तो खुले तौर पर ही किया, परन्तु नियमका जो भंग हुआ अुसकी अुपेक्षा नहीं की जा सकती थी। अुन्होंने कहा कि दूसरे कैदियोंको अुकसानेके अपराधके लिअे वे मुझे सजा नहीं दे सकते। सत्याग्रहियोंके साथ बातचीत करनेके लिअे मैंने अपने आंगनकी हद पार नहीं की थी। अिसलिअे मुझे सजा कैसे हो सकती है? खूबी यह है कि अिस मामलेमें जो विषम स्थिति पैदा होती, वह तो भाअी जयरामदासकी बातचीतके कारण ही रुक सकी। — मो० क० गांधी]

११

१२ फरवरी, १९२३

सुपरिन्टेन्डेन्ट,

यरवडा सेन्ट्रल जेल

महाशय,

मुझे मालूम हुआ है कि मूलशीपेटाके कुछ कैदियोंको कोड़े मारे गये हैं; क्योंकि कहा जाता है कि अुन्होंने काम करनेसे अिनकार किया और जान-बूझकर कम काम किया है।

यदि ये कैदी सत्याग्रही होनेका दावा करते हों तो जब तक जेलके नियम अपमानजनक और अनुचित न हों, तब तक वे सब नियमोंका पालन करनेको बंधे हुअे हैं, और अुन्हें जो काम सौंपा गया हो अुसे अुन्हें यथाशक्ति अवश्य करना चाहिये। अिसलिअे यदि अुन्होंने काम करनेसे अिनकार किया हो अथवा वे अपनी अपनी शारीरिक शक्तिके अनुसार काम न करते हों, तो वे जेलके नियमोंका भंग करनेके सिवा अपने सद्व्यवहारके नियमको भी तोड़ रहे हैं।

मुझे अितना विश्वास है कि यदि अुन्हें किसी भी तरह काम करनेको समझाया जा सकता हो, तो जेलके अधिकारी अुन्हें कोड़े लगानेके लिअे हरगिज अुत्सुक न होंगे। और वे यह भी जरूर चाहेंगे कि कैदी सजाके डरके बजाय विवेकके सामने झुकें। मेरा खयाल है कि वे लोग मेरा कहना मान लेंगे। अिसलिअे मैं प्रार्थना करता हूं कि मूलशीपेटाके जितने लोग जान-बूझकर जेलके कानूनका भंग करते हों, अुनसे आपके सामने मुलाकात करनेकी मुझे अनुमति दी जाय, ताकि यदि वे सत्याग्रही होनेका दावा करते हों तो मैं अुन्हें सत्याग्रहीका धर्म समझा सकूं।

मैं अिस बातसे परिचित हूं कि आम तौर पर कैदियोंको जेलके प्रबंधमें मदद या दखल नहीं देने दी जाती, परन्तु मुझे आशा है कि अुपरोक्त मामलेमें जेलके प्रबंधकी अपेक्षा मनुष्यताके विचारको प्रधानता दी जायगी।

आपका आज्ञाकारी

मो० क० गांधी

[अिसके जवाबमें सुपरिन्टेन्डेन्टने मुझसे कहा कि मेरी अिस सेवाकी मांगके लिअे सरकार मुझे धन्यवाद देती है, परन्तु वह अुससे लाभ नहीं अुठा सकती — मो० क० गांधी]

१२

यरवडा जेल,
२३–२–'२३

सुपरिन्टेन्डेन्ट,
यरवडा सेंट्रल जेल

महाशय,

आपने कृपा करके आज मुझे बताया कि सरकारने मेरे पिछली ४ तारीखके पत्रका अुत्तर दिया है और मेरी स्त्रीको जो असुविधा हुअी अुसके लिअे सरकार खेद प्रगट करती है; और मेरे पत्रके दूसरे भागके जवाबमें सरकारने बताया है कि सरकार अेक कैदीके साथ जेलके नियमोंकी सामान्य चर्चा करना नहीं चाहती। मैं अिस बातसे प्रसन्न हुआ हूं कि मेरी स्त्रीको हुअी असुविधाके लिअे सरकार अफसोस जाहिर करती है।

परन्तु सरकारके अुत्तरके दूसरे भागके बारेमें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अिस बातसे पूरी तरह परिचित हूं कि अेक कैदीके नाते मैं जेलके नियमोंकी सामान्य चर्चा नहीं कर सकता। यदि सरकार मेरा ४ तारीखका पत्र दुबारा पढ़ेगी, तो अुसे मालूम हो जायगा कि मैंने अुक्त नियमोंकी सामान्य चर्चाकी मांग की ही नहीं है। अिसके बिपरीत, जो नियम मेरे भावी आचरण और कुशलसे जिस हद तक संबंध रखते हैं अुन्हीं विशेष नियमोंके बारेमें अुसी हद तक जानकारी प्राप्त करनेकी मैंने मांग की है। मेरा यह खयाल है कि अेक कैदी अैसी जानकारी मांगने और प्राप्त करनेका हकदार है। यदि मुझे भविष्यमें अपनी स्त्री या मित्रोंसे मुलाकात करनी हो, तो मुझे यह बात जाननी चाहिये कि मैं किससे भेंट कर सकता हूं और किससे नहीं कर सकता, ताकि निराश अथवा अपमानित होनेका अवसर टाला जा सके।

मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करनेका साहस कर रहा हूं। सौभाग्यसे मेरे अैसे बहुतसे मित्र हैं, जो मुझे अपने संबंधियोंके बराबर ही प्रिय हैं। और मेरी देखरेखमें पलनेवाले कुछ अैसे बालक हैं, जो मेरे अपने बच्चोंके समान हैं। मेरे अैसे साथी हैं जो मेरे साथ अेक ही घरमें रहते हैं और मेरी अनेक अराजनीतिक प्रवृत्तियोंमें मदद दे रहे हैं। अिसलिअे यदि मैं समय समय पर मेरे अिन मित्रों,

साथियों और बच्चोंसे भी मुलाकात नहीं कर सकता, तो अपनी स्त्रीसे भी मुलाकात करते हुअे मेरे अन्तरकी भावनाको ठेस लगती है। मैं अपनी स्त्रीकी मुलाकात लेता हूं तो महज अिसलिअे नहीं कि वह मेरी स्त्री है, परन्तु खास तौर पर अिसलिअे कि वह मेरी प्रवृत्तियोंमें साथी है।

और जिन लोगोंसे मैं मिलना चाहता हूं अुनसे मैं अपनी अराजनीतिक प्रवृत्तियोंके बारेमें बातचीत न कर सकूं, तो अुनसे मिलनेमें मुझे कोअी दिलचस्पी ही नहीं होगी।

और, पंडित मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमलखां तथा भाअी मगनलाल गांधीको किसलिअे अिनकार किया गया, यह जाननेकी भी मुझे स्वाभाविक अिच्छा है। हां, यदि अुन्होंने कोअी असभ्य व्यवहार किया होता अथवा वे कोअी राजनीतिक चर्चा करनेके लिअे मुझसे मुलाकात करना चाहते और अिसलिअे अुन्हें अिनकार किया गया होता तो मैं जरूर समझ सकता था। परन्तु यदि अुन्हें किसी गुप्त राजनीतिक कारणसे अिनकार किया गया हो, तो मैं कमसे कम अितना कर सकता हूं कि अपनी स्त्रीसे मिलनेका लाभ छोड़ दूं। स्वाभिमानके विषयमें मैं जो विचार रखता हूं अुन्हें मैं चाहता हूं कि संभव हो तो सरकार समझ ले और अुनकी कद्र करे।

मुझे किसीसे राजनीतिक चर्चा करनेकी अिच्छा नहीं है, बाहरके लिअे राजनीतिक संदेश भेजनेकी बात तो दूर रही। अिन मुलाकातोंके समय देखरेखके लिअे सरकार जिस मनुष्यको चाहे अुसे रख सकती है; और सरकारको जरूरी मालूम हो तो सरकारका अेक लघु-लेखक प्रतिनिधि रिपोर्ट भी भले ही ले; परन्तु जेलके नियमोंसे बाहरके और किसी कारणसे मेरे मित्रों और संबंधियोंको मुलाकात करनेकी मनाही हो और अुसके संबंधमें यदि मैं सचेत रहना चाहूं तो सरकार मुझे क्षमा करे। मैंने अपनी स्थितिका निःसंकोच और पूरी तरह वर्णन कर दिया है। अिस पत्रव्यवहारका आरंभ पिछले दिसम्बर मासकी २० तारीखको हुआ था। अिसलिअे मेरा आग्रह है कि सरकार अिस पत्रका जल्दी, सीधा और कूटनीति-रहित अुत्तर दे।

आपका आज्ञाकारी
मो० क० गांधी
नं० ८२७

१३

यरवडा सेंट्रल जेल,
२३–२–'२३

सुपरिन्टेन्डेन्ट,
यरवडा सेंट्रल जेल

महाशय,

आपने कृपा करके मुझे बताया है कि पिछले मासकी ४ तारीखके मेरे पत्रके अुत्तरमें अिन्स्पेक्टर जनरल कहते हैं कि 'वसन्त' और 'समालोचक' अिन दो मासिकोंकी मंजूरी नहीं दी जा सकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पत्र लिखनेसे पहले मैं यह निर्णय जानता था। यदि अिन्स्पेक्टर जनरल कृपा करके पत्रको फिरसे पढ़ाकर देखेंगे, तो अुन्हें अिस बातका पता लग जायगा कि मैं यह निर्णय जानता था। अुन्हें यह भी मालूम हो जायगा कि मैंने अपने पत्रमें अिन पत्रोंके अिनकारका कारण पूछा है। मैंने अपने पत्रमें यह पूछनेका साहस किया है कि अिन मासिकोंके अुपयोगकी मनाही अुनमें वर्तमान राजनीतिक समाचार आनेके कारण की गअी है अथवा अन्य किसी कारणसे। मैं फिरसे यह मांग करनेका साहस करता हूं और आशा रखता हूं कि आप तुरन्त अुत्तर देकर मुझे आभारी बनायेंगे।

आपका आज्ञाकारी
मो० क० गांधी

१४

यरवडा सेंट्रल जेल,
२५–३–'२३

सुपरिन्टेन्डेन्ट,
यरवडा सेंट्रल जेल

महाशय,

या है कि मेरे २३ तारीखके पत्रके अुत्तरमें
आपने कृपा करके मुझे बता 'वसन्त' और 'समालोचक' का निर्णय
अिन्स्पेक्टर जनरलने सूचित किया है कि ा है और मेरी मुलाकातसे संबंधित
योग्य अधिकारियोंकी तरफसे प्राप्त हुआ

प्रार्थनाओंके बारेमें मैंने जो कुछ पूछा था, असके अुत्तरमें अुन्होंने मुझे सरकारके पत्रका अंतिम अंश पढ़ लेनेको कहा है। अिन्स्पेक्टर जनरलने जिस त्वरासे अुत्तर दिया, असके लिअे मैं अुन्हें बधाअी देता हूं। परन्तु अुनके अपनाये हुअे रुख पर मुझे अफसोस होता है। मासिकोंके बारेमें निर्णय देनेकी सरकारकी सत्ताके बारेमें मैंने कभी शंका अुठायी ही नहीं थी। अुन्होंने सरकारके पत्रका जो अंश पढ़नेको मुझसे कहा है, असे मुझे तनिक भी सहायता नहीं मिल सकती। असमें कहा गया है कि आप कैदियोंसे जेलके नियमोंकी सामान्य चर्चा नहीं कर सकते। मैंने अिन्स्पेक्टर जनरलसे अपने साथ अैसी चर्चा करनेकी बात लिखी ही नहीं। मैंने तो केवल अुनके किये हुअे निर्णयके कारण मांगे हैं। मैं अुन्हें याद दिलाता हूं कि जब वे स्वयं सुपरिन्टेन्डेन्ट थे और मेरी तरफसे अुन्होंने सरकारसे 'मॉडर्न रिव्यू' की मांग की थी, तब सरकारने असे अस्वीकृत करनेके कारण दिये थे। मेरी यह धारणा है कि अिस मामलेमें और अुस समयके मामलेमें जरा भी फर्क नहीं है।

अिसके सिवा अिन्स्पेक्टर जनरलकी मेरे साथ जो बातें हुअी हैं, अुनसे वे जानते हैं कि सामयिक पत्रोंकी मनाहीको मैं अुस सजाके अतिरिक्त होनेवाली सजा मानता हूं जो न्यायाधीशने मुझे दी थी। मेरी दृढ़ मान्यता है कि प्रत्येक मामलेमें मनुष्य अुसे योग्य अधिकारियोंकी तरफसे मिलनेवाली सजाओंके कारण जाननेका हकदार है।

मैं अिन्स्पेक्टर जनरलको विनयपूर्वक बताना चाहता हूं कि सरकार कैदियोंके साथ अहंकारपूर्ण अुपेक्षाका व्यवहार करे, तो अैसा करनेका असे अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। जब वे सुपरिन्टेन्डेन्ट थे तब अुन्होंने अपने बारेमें मुझ पर यह असर डाला था कि जेलके सुपरिन्टेन्डेन्टकी हैसियतसे जेलके नियमोंका पूरी तरह पालन कराना जैसे वे अपना फर्ज समझते थे, वैसे कैदियोंके जो थोड़े-बहुत अधिकार हैं अुनकी रक्षा करना भी वे अपना अुतना ही बड़ा कर्तव्य मानते थे। अुनके कहने परसे मैंने अुनके बारेमें अैसी राय बनायी थी कि वे अपनेको सुपरिन्टेन्डेन्टके नाते अुनकी देखभालमें रखे गये कैदियोंका वास्तवमें अभिभावक समझते थे। यदि यह बात सही हो तो मैं मान लेता हूं कि अिन्स्पेक्टर जनरल कैदियोंके बड़े अभिभावक हैं और अिसलिअे कैदी अुनसे यह आशा रखते हैं कि जब सरकार अुनके अुचित अधिकारोंकी अवहेलना करे, तब वे अुनकी तरफसे सरकारसे आग्रह करके अुन्हें वे अधिकार दिलवायेंगे। और कैदी अुनसे यह भी अपेक्षा रखते हैं

कि वे अुनकी अुचित पूछताछको टालनेके बजाय भरसक प्रयत्न करके अुसका अुचित स्पष्टीकरण करेंगे।

यह पत्रव्यवहार जारी रखनेमें मुझे कोअी अुत्साह नहीं हो सकता। परंतु अुचित हो या अनुचित, मेरी यह मान्यता है कि कैदीके नाते भी मेरे कुछ अधिकार हैं — अुदाहरणार्थ, शुद्ध जल, वायु, आहार और वस्त्र प्राप्त करनेका अधिकार। अिसी प्रकार मैं जिस मानसिक भोजनका आदी हूं अुसे पानेका भी मेरा हक है। मैं कोअी मेहरबानी नहीं चाहता और मैं यह भी चाहता हूं कि अगर अिन्स्पेक्टर जनरलका यह खयाल हो कि कोअी भी चीज या सुविधा मेहरबानीके तौर पर मुझे दी गअी है तो अुसे वापस ले लिया जाय। परन्तु सामयिक पत्र मुझे मिलना चाहिये, अिस बातको मैं स्वच्छ भोजनके बराबर ही महत्त्वका मानता हूं। अिसलिअे मैं अुनसे नम्रतापूर्वक कहता हूं कि अुनके निर्णयके कारण जाननेके लिअे मैंने जो प्रार्थनापत्र दिया है अुसकी वे अवहेलना न करें — जो अवहेलना दुर्भाग्यवश अब तकके अुनके पत्रोंसे प्रगट होती रही है।

आपका आज्ञाकारी

मो० क० गांधी

[अिन्स्पेक्टर जनरल कर्नल डेलज़ीलने अंतमें अुत्तर देनेकी कृपा की कि निर्णय अूपरके अधिकारियोंकी तरफसे दिया गया था।

— मो० क० गांधी]

१५

यरवडा सेंट्रल जेल,
१६–४–'२३

सुपरिन्टेन्डेन्ट,
यरवडा सेंट्रल जेल

महाशय,

मेरा सबसे छोटा लड़का मुझसे मुलाकात करने आज आया हुआ है। अिसलिअे मेरी मुलाकातसे संबंधित नियमोंके बारेमें २३ फरवरीको मैंने जो पत्र सरकारको लिखा था अुसका क्या जवाब आया है, वह यदि हो सके तो मैं जानना चाहता हूं। अुस जवाबसे मुझे पता लगेगा कि अपने अुस पत्रके अनुसार

मैं अपने पुत्रसे भेंट कर सकता हूं या नहीं। कारण, आप जानते हैं कि आज मेरा मौनवार है। मेरा मौन दोपहरको २ बजे छूटता है।

आपका आज्ञाकारी
मो० क० गांधी

[पत्रव्यवहारका परिणाम यह आया कि अंतमें सरकारने अुपरोक्त मुलाकातें रोकनेके कारण बताये — यानी यह कि मुलाकातें लोकहितके लिअे रोकी गअी थीं। परन्तु भविष्यमें यदि मुझे किसी खास आदमीसे मिलना हो, तो सुपरिन्टेन्डेन्ट अुस आदमी या अुन आदमियोंके नाम सरकारको भेज दें। मैं यह भी बता दूं कि मुझसे मिलना चाहनेवाले अेक अेक आदमीका नाम आखिरी वक्त तक सरकारको भेजना पड़ता था। सरकारकी घोषणाके बावजूद मेरे और मेरे वार्डमें रहनेवाले कैदियोंके मामलेमें मुलाकात करनेवालोंको अनुमति देनेका सुपरिन्टेन्डेन्टको कोअी अधिकार न था; जब कि और सब कैदियोंके मामलेमें अुसे यह अधिकार था।

— मो० क० गांधी]

१६

यरवडा सेंट्रल जेल,
१–५–'२३

सुपरिन्टेन्डेन्ट,
यरवडा सेन्ट्रल जेल

महाशय,

आपने मुझे कुछ सादी कैदवाले कैदियोंको विशेष वर्गमें रखनेका कानून बतानेकी कृपा की है और यह सूचना दी है कि मुझे भी अुस विभागमें रखा गया है। मेरी दृष्टिसे कुछ सख्त कैदवाले कैदी भी — अुदाहरणके लिअे, श्री कौजलगी, जयरामदास और भंसाली, अैसे हैं जो मुझसे जरा भी अधिक अप-राधी नहीं, जो कदाचित् बाहर मुझसे अधिक अूंचा दरजा रखते थे और जो वर्षोंसे मेरी अपेक्षा अधिक आरामसे जीवन बिताते रहे हैं। अैसे कैदियोंको विशेष वर्गके बाहर रखा गया है, अिसलिअे मैं कुछ नियमोंसे लाभ अुठानेकी

अिच्छा रखते हुअे भी अुनसे लाभ नहीं अुठा सकता; और विशेष वर्गसे मेरा नाम निकाल दिया जायगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

आपका आज्ञाकारी
मो० क० गांधी
नं० ८२७

१७

यरवडा सेंट्रल जेल,
२८ जून, १९२३

सुपरिन्टेन्डेन्ट,
यरवडा सेंट्रल जेल

महाशय,

आज सुबह मैंने सुना कि मूलशीपेटाके छह कैदियोंको कम काम करने पर कोड़े लगाये गये हैं। कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि अुन्हींमें से अेक कैदीको अिसी 'अपराध' पर कोड़े लगाये गये थे। आजके समाचारसे मुझे अत्यन्त क्षोभ हुआ है; और मैं महसूस करता हूं कि अिस संबंधमें मुझे कुछ करना ही चाहिये। परन्तु मैं कोअी जल्दबाजीका कदम नहीं अुठाना चाहता। और कुछ भी करनेसे पहले अुन लोगोंको जो सजा हुअी है अुसके बारेमें सच्ची बातें मालूम कर लेना आपके प्रति मेरा कर्तव्य है। अिसलिअे अिस पत्र द्वारा मैं सच्चा हाल जान लेनेकी मांग कर रहा हूं।

मैं जानता हूं कि यह हकीकत जाननेका कैदीके नाते मुझे जरा भी अधिकार नहीं है, परन्तु मनुष्यके नाते और अेक जनसेवकके नाते मैं यह मांग करनेका साहस कर रहा हूं।

आपका आज्ञाकारी
मो० क० गांधी
नं० ८२७

१८

यरवडा सेंट्रल जेल,
२९ जून, १९२३

सुपरिन्टेन्डेन्ट,
यरवडा सेंट्रल जेल

महाशय,

मूलशीपेटावाले कुछ कैदियोंको कोड़े लगाये गये, अिस बारेमें लिखे गये कलके मेरे पत्रके संबंधमें आपने और अिन्स्पेक्टर जनरलने मुझे सजाके कारणका पूरा-पूरा हाल बताया है, अिसके लिअे मैं आप दोनोंका आभारी हूं।

आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब अिसी प्रकारकी सजा मूलशीपेटावाले कुछ कैदियोंको दी गअी थी, तब अुन सब कैदियोंको जेलका नियम पालन करनेके लिअे समझानेको मुझे अुनसे मिलने दिया जाय, अैसी प्रार्थना मैंने सरकारसे की थी। सरकारने मेरी मांगके लिअे धन्यवाद दिया था, परन्तु अुसे स्वीकार करनेसे अिनकार कर दिया था। मैंने अपनी मांगके बारेमें बहुत आग्रह नहीं रखा था, और किसी कारणसे नहीं तो सिर्फ अिसलिअे कि मैंने आशा रखी थी कि अैसे कैदियोंको दुबारा कोड़े लगानेका प्रसंग पैदा नहीं होगा। परन्तु मेरी आशा व्यर्थ सिद्ध हुअी है और अुसके बाद तो अुन्हें कअी बार कोड़े लगानेकी सजा दी गअी है।

मैं मानता हूं कि अुपरोक्त कैदियोंसे मुझे मिलने दिया जाय, तो मैं अुन्हें अुनकी कैदकी सही कल्पना करा सकता हूं और अुनके विषयमें जो यह कहा जाता है कि वे काम कम करते हैं अथवा आज्ञाओंकी अवहेलना करते हैं, सो न करनेको मैं अुन्हें समझा सकता हूं। अिस प्रकार समय समय पर मैं अुन्हें सलाह दे सकूं, अिसके लिअे मेरी प्रार्थना है कि मुझे अुनके साथ रखा जाय। यदि अैसा न हो सके तो मैं चाहता हूं कि अुन कैदियोंसे जितनी बार मिलनेकी जरूरत हो, अुतनी बार मिलनेकी मुझे अिजाजत दी जाय।

मैं जानता हूं कि कैदीकी हैसियतसे न मैं अैसी अिजाजत मांग सकता हूं और न मुझे दी जायगी। परन्तु मैं यह अिजाजत मनुष्यके नाते और दया-धर्मसे प्रेरित होकर मांग रहा हूं।

मुझे विश्वास है कि किसी भी कैदीको कोड़ेकी सजा दिये बिना काम चल सकता हो, तो अुसे सजा देनेकी अिच्छा सरकार हरगिज नहीं रख

सकती; खास तौर पर जो लोग, सही या गलत, अपनेको अपनी अन्तरात्माके आदेशके खातिर कैद हुआ समझते हैं, अुनको तो अैसी सजा देना सरकार कभी नहीं चाहेगी। अिस कोड़ेकी सजासे मुझे अत्यन्त दुःख होता है, विशेषकर अिसलिअे कि मैं यह मानता हूं कि यदि मुझे अुन कैदियोंके साथ रहने दिया जाय तो सजा देनेकी नौबत ही न आये। आशा है कि सरकार मेरे अिस कथनको समझेगी और अुसकी कद्र करेगी।

मेरा यह पत्र जिस वृत्तिसे लिखा गया है, वही वृत्ति सरकार भी दिखायेगी और मेरी सेवा करनेकी मांगको अस्वीकार करके मुझे कोअी कदम अुठानेका — जो कि संभव है मेरी अिच्छा न होते हुअे भी सरकारको परेशान करनेवाला साबित हो जाय — अप्रिय कर्तव्य करनेको मजबूर न करेगी, यह विश्वास रखनेका मैं साहस करता हूं। कारावास भोगते हुअे जिस कदमके अुठाये बिना काम चल सकता हो, अैसा कोअी भी कदम अुठाकर सरकारको परेशान करनेका मेरा हेतु है ही नहीं।

अिस मामलेमें यह बात ध्यानमें रखकर कि कुछ कैदी अुपवास कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अिसका जवाब जहां तक हो सके मुझे जल्दी मिल जाय।

आपका आज्ञाकारी
मो० क० गांधी
कैदी नं० ८२७

[अिस मामलेमें हुआ अधिक पत्रव्यवहार मैं कुछ कारणोंसे प्रकाशित नहीं कर सकता और वे कारण भी अभी यहां बताना नहीं चाहता। परन्तु अितना कह दूं कि जेलके सुपरिन्टेन्डेन्ट और जेलोंके अिन्स्पेक्टर जनरलकी अुपस्थितिमें दो मुख्य अुपवास करनेवालोंको मुझसे मिलने दिया गया था। परिणाम यह आया कि वे दोनों भाअी — भाअी दास्ताने और देव — अुपवासके खिलाफ मेरी नैतिक दलीलको समझ गये और अुन्होंने तुरन्त ही अपना लंबा अुपवास तोड़ दिया। कोड़े लगानेके कारणकी जांच करके सरकारने यह आज्ञा जारी कर दी कि जेल-कर्मचारियों पर कैदी हमला करें अथवा अैसा ही कोअी आचरण करें, अुसके सिवा किसी भी अवसर पर जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट सरकारसे पहले अनुमति लिये बिना कभी कोड़ेकी सजा न दे।

मुझे बताया गया है कि अुस समयके सुपरिन्टेन्डेन्ट मेजर व्हिटवर्थ जोन्सके बरतावके संबंधमें बहुत ही अत्युक्तिपूर्ण बातें फैलाअी गअी थीं; अुन्हें

निर्दयी सुपरिन्टेन्डेन्ट बताया गया था और अुनका व्यवहार अमानुषिक कहा गया था। मेरे मतानुसार कोड़ेकी जो सजा दी गअी वह अुनके निर्णयकी गंभीर भूल थी, परन्तु भूलसे अधिक तो थी ही नहीं। मेजर जोन्स अक्सर जल्दबाजी करते थे, परन्तु मेरी जानकारीके अनुसार वह हृदयहीन कदापि नहीं थे। अुलटे, जहां तक मुझे अनुभव हुआ है, और दूसरे जिन कैदियोंसे मेरा संबंध आया है अुनसे मैंने जो कुछ सुना है, अुसके अनुसार तो वे बड़े सहृदय सुपरिन्टेन्डेन्ट थे। वे कैदियोंकी बात सुननेके लिअे हमेशा तैयार रहते थे। अुनके अधीन जो मनुष्य कैदियोंको किसी भी तरह सताते थे, अुनकी वे पूरी तरह खबर लेनेको तत्पर रहते थे। वे हमेशा अपनी भूल स्वीकार करनेको तैयार रहते थ। यह गुण तो अधिकारियोंमें बहुत ही कम होता है। अिन गुणोंके बावजूद वे नियमाग्रही थे; और जल्दबाज नियमाग्रही अक्सर भूलें करेगा ही। सत्याग्रहियोंको दो बार कोड़ेकी सजा देना अैसी ही भूलें थीं। ये भूलें बुद्धिकी थीं, हृदयकी नहीं। सही बात तो यह है कि विवेकके बिना कोड़े मारनेकी सत्ता जेलोंके सुपरिन्टेन्डेन्टोंको कभी दी ही नहीं जानी चाहिये। यह अच्छा हुआ कि वह समय पर ही छीन ली गअी। जेलके प्रबंध और कोड़ेकी सजाकी ब्यौरेवार समीक्षा तो मैं फिर किसी अवसर पर करूंगा। —मो० क० गांधी]

१९

यरवडा सेंट्रल जेल,
१५ जुलाअी, १९२३

माननीय गवर्नर यहोदय, बम्बअी

महाशय,

पिछले सोमवारको हुअी बातके बारेमें मैं फिर चर्चा करना चाहता हूं। आशा है अिसके लिअे आप मुझे क्षमा करेंगे। नियम बनाने और सजा घटानेकी सरकारकी सत्ताके विषयमें आपने मुझसे जो कहा था, अुस संबंधमें मैं ज्यों ज्यों अधिक विचार करता हूं त्यों त्यों मुझे महसूस होता है कि अिसमें आपकी भूल हो रही है। मुझे स्वीकार करना चाहिये कि विशेष वर्गके नियमोंकी तहमें अैसे कैदियोंके लिअे विशेष व्यवस्थाकी जरूरतकी शुद्ध स्वीकृति नहीं है, परन्तु लोकमतके दबावके आगे अनिच्छापूर्वक, अर्थात् केवल कागज पर, झुक जानेकी बात ही मालूम होती है। परन्तु यदि आपकी यह बात सही हो कि कानून कठोर कारावासवालोंको विशेष वर्गमें रखने अथवा किसी कैदीकी सजा घटानेकी आपको

कुछ भी सत्ता नहीं देता, तो मुझे सरकारके अिस कामके संबंधमें अपना विचार बदल लेना चाहिये और अुसके हेतुओंके संबंधमें अपनी शंकाओंको दूर कर देना चाहिये। और चूंकि आप कहते हैं कि ये नियम तो स्वयं आपने ही तैयार किये हैं, अिसलिअे मुझे अिस मामलेमें अपना विचार खास तौर पर बदल डालना चाहिये। मैंने हमेशा यह माना है कि आप अैसे आदमी नहीं हैं कि कोअी भी काम कमजोरीसे करें अथवा अपनी अिच्छाके विरुद्ध लोकमतको संतुष्ट करनेका दिखावा करें। अिसलिअे यदि मुझे यह पता लगे कि आपने सख्त कैदवालोंको विशेष वर्गके नियमोंसे केवल अिसलिअे अलग रखा है कि कानूनसे आपके हाथ बंधे हुअे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

परन्तु यदि कानूनी अधिकारी आपको सलाह दें कि आपका खयाल सही नहीं है और कानून अिस बातमें आपको रोकता नहीं है, तो मुझे आशा है कि आप नीचे लिखी दोमें से अेक बात करेंगे :

(१) मुझे और मेरे अुन साथियोंको, जिनके नाम मैंने आपको दिये हैं, विशेष वर्गसे अलग कर दीजिये ; या

(२) न्यायके अनुसार जो हमारे जैसे ही जीवनके आदी हैं अुन सख्त कैदकी सजावाले कैदियोंको भी विशेष वर्गमें रखिये।

मेरी प्रार्थना है कि आप अिस पत्रके साथ सुपरिन्टेन्डेन्टको लिखा गया मेरा १ मअीका पत्र भी मंगवा कर पढ़ें।

आपका विश्वस्त सेवक

मो० क० गांधी

[गवर्नर महोदय अेक बार जेलमें आये और अुन्होंने आग्रह किया कि मुझे कुछ कहना हो तो कहूं, तब अुनसे विशेष वर्गके बाबत मेरी चर्चा हुअी थी। यह पत्र अुसके परिणामस्वरूप लिखा गया था। मैंने अुन्हें अिस आशयकी बात कही थी कि मेरे विचारके अनुसार विशेष वर्गके नियम केवल शोभाके लिअे हैं और लोगोंके मनमें यह भ्रम पैदा करनेके लिअे ही बनाये गये हैं कि राजनीतिक कैदियोंके लिअे अुनकी रहन-सहनके कारण आवश्यक मालूम होनेवाली कोअी खास व्यवस्था की गअी है। परन्तु गवर्नरने मुझे खूब विश्वास दिलाकर कहा कि कानूनके अनुसार कठोर कारावासकी सजावाले कैदियोंको विशेष वर्गमें रखनेकी अुन्हें जरा भी सत्ता नहीं है। और जब अुनके कानूनी ज्ञानके सही होनेके बारेमें मैंने शंका प्रगट की, तब अुन्होंने मुझे कहा कि 'मैंने

ही मे नियम तैयार किय हैं, मुझे पता नहीं होगा ?' अैसे नियम बनानेका काम आम तौर पर कानून तैयार करनेवाले अधिकारियोंको सौंपा जाता है, अिसलिअे मुझे अिस बातसे आश्चर्य हुआ कि यह काम भी स्वयं कर लेनेका भार अुठानेवाले गवर्नर मौजूद हैं। अुपयोगके अभावमें मेरे कानूनी ज्ञानको जंग लग गया है और गवर्नर अपनी बात बहुत अधिकारपूर्वक कह रहे थे, तो भी मुझे यह बात जंची नहीं कि कानूनके अनुसार सरकारको केवल सादी कैदकी सजावालोंको ही विशेष वर्गमें रखनेका अधिकार है और सख्त कैदवालोंके लिअे वैसा करनेका और सजा घटानेका अधिकार नहीं है। अिसलिअे अुपरोक्त पत्र लिखना पड़ा था। अिसका अुत्तर यह आया था कि कानूनके संबंधमें गवर्नर महोदयकी भूल हुअी थी और सरकारको अुपरोक्त सत्ता है। परन्तु अिस प्रकार भूल मालूम हो जाने पर भी वे नियमोंमें सुधार करके सादी कैदवाले और सख्त कैदवाले सभी राजनीतिक कैदियोंको विशेष वर्गमें रखनेका काम नहीं कर सकते। अिसलिअे मुझे खेद है कि मेरी यह शंका सही निकली कि विशेष वर्गकी व्यवस्था केवल शोभाके लिअे है। —मो० क० गांधी]

२०

यरवडा सेंट्रल जेल,
६ सितम्बर, १९२३

सुपरिन्टेन्डेन्ट,
यरवडा सेंट्रल जेल

महाशय,

मुझसे मिलनेकी अिच्छा रखनेवाले कुछ सज्जनोंके नाम सरकारके पास भेजे गये थे, अुनके बारेमें आपने मुझे खबर दी है कि सरकारने अब मुझे दो ही आदमियोंसे मिलनेकी अनुमति देनेका निश्चय किया है, और जो नाम भेजे गये हैं अुनमें से केवल नारणदास और देवदास गांधी — ये दो आदमी ही अिस बार मुझसे मिल सकते हैं।

सरकारने अब तक मुझे पांच मुलाकातियोंसे मिलनेकी अिजाजत दी है, अिसलिअे अिस आज्ञासे मुझे आश्चर्य तो हुआ। परन्तु मैं अिस निश्चयका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरे ही वार्डमें रहनेवाले भाअी याज्ञिकके हक पर अैसी ही मर्यादा लगायी गअी है। मुझे अकेलेको जो विशेष सुविधा दी गअी थी अुसे मैं अिससे पहले छोड़ देता, परन्तु अैसा करना मुझे सुरुचिके विरुद्ध मालूम हुआ।

परन्तु नारणदास और देवदास गांधी अिन दो ही आदमियोंको अनुमति देनेकी बात दूसरी है। यदि अिसका यह अर्थ होता हो कि अैसे निकट संबंधियोंके सिवा और किसीसे मैं मिल ही नहीं सकता, तो हर तीसरे महीने दो मुलाकातें करनेका अपना हमेशाका हक मुझे छोड़ देना होगा। मैंने मान लिया था कि अिस बातका फैसला हमेशाके लिअे हो गया है कि मैं किन लोगोंसे मिल सकता हूं। अिसी विषयमें पहले जो पत्रव्यवहार किया गया है, अुसमें दी गअी दलीलको दुबारा देकर सरकारको कष्ट देनेकी मेरी जरा भी अिच्छा नहीं। मैं अितना ही कह सकता हूं कि सरकारको जिन तीन मित्रोंके नाम दिये गये हैं, वे मित्र तो अुस वर्गमें आते हैं जिन्हें मुझसे मिलनेकी स्वीकृति दी गअी थी। और यदि अिन मित्रोंसे जिन्हें मैं अपने कौटुम्बिकोंके समान ही मानता हूं मैं न मिल सकूं, तो मुझे किसी भी मनुष्यसे मिलना बंद कर देना चाहिये।

आपने मुझे जो निश्चय बताया है, मैं देखता हूं कि अुस पर पहुंचनेमें सरकारने अेक पखवाड़ा लगा दिया है। अब अिस पत्रके संबंधमें क्या मैं जल्दी निश्चय होनेकी मांग कर सकता हूं — ताकि जो लोग मुझसे मिलनेको अुत्सुक हों, अुन्हें और मुझे व्यर्थ असमंजसमें रहनेका कारण न मिले?

आपका विश्वस्त
मो० क० गांधी
नं० ८२७

२१

यरवडा सेंट्रल जेल,
१२ नवम्बर, १९२३

सुपरिन्टेन्डेन्ट,
यरवडा सेंट्रल जेल

महाशय,

भाअी अब्दुलगनीको जब आपने बताया था कि जितने खर्चकी स्वीकृति है अुससे अधिक मूल्यकी खुराक जेलके नियमोंके अनुसार अुन्हें नहीं मिल सकती, तब मैंने आपको बताया था कि आपसे पहलेके सुपरिन्टेन्डेन्टने मेरे सब साथियोंको और मुझे अपनी खुराककी व्यवस्था कर लेनेकी अनुमति दे दी थी। मैंने आपको यह भी बताया था कि भाअी अब्दुलगनीको जो सुविधा नहीं मिल सकती, अुसका अुपभोग करना मुझे ठीक नहीं लगता। अिसलिअे मेरी खुराक

भी कम करके जिस हिसाबसे भाअी अब्दुलगनीको दी जाती हो अुसी हिसाबसे मुझे भी दी जाय। आपने शराफतसे सुझाव दिया था कि अभी तो मैं वर्तमान भोजन लेता रहूं। थोड़े समयमें जेलके अिन्स्पेक्टर जनरल आनेवाले हैं तब अुनसे अिस बारेमें बात कर लूं। अिस बातचीतको हुअे १० दिन हो गये। यदि मुझे अपने मनकी शान्ति बनाये रखनी हो, तो मेरा खयाल है कि अब अधिक राह देखे बिना मुझे अपने निश्चय पर अमल करना चाहिये; और, अिन्स्पेक्टर जनरलसे चर्चा करनेके लिअे मेरे पास कुछ है भी नहीं। भाअी अब्दुलगनीके संबंधमें किये गये आपके निश्चयके विरुद्ध मुझे अुनसे कोअी शिकायत तो करनी नहीं है। मेरे साथीकी सहायता करनेकी आपकी अिच्छा हो तो भी आपको अैसा करनेका अधिकार नहीं है, यह बात मैं समझता हूं। अिसी प्रकार मेरा यह अिरादा भी नहीं कि जेलके खुराक-संबंधी नियमोंमें मैं कोअी फेरबदल करानेकी कोशिश करूं। मुझे जो विशेष सुविधायें मिलती हैं अुन्हें छोड़ देनेकी ही मेरी अिच्छा है। आपने शराफतसे यह सुझाया था कि मेरी खुराक कदाचित् आपसे पहलेके सुपरिन्टेन्डेन्टने वैद्यकीय कारणोंसे निश्चित की होगी। परन्तु वास्तवमें मुझे पता है कि यह बात सही नहीं है; क्योंकि मेरा भोजन तो जबसे मैं जेलमें आया हूं तबसे लगभग अैसा ही रहा है। और खास मुद्देकी बात तो यह है कि मेरे साथियोंको और मुझे, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, खर्चका विचार किये बिना अपने भोजनकी अिच्छानुसार व्यवस्था कर लेनेकी अब तक अनुमति थी।

अिसलिअे अगले बुधवारसे मैं नारंगी और द्राक्ष लेना बन्द कर दूंगा। अुसके बाद भी मेरी खुराक निश्चित हिसाबसे अधिक ही रहेगी। मुझे पता नहीं कि दो सेर बकरीके दूधकी मुझे जरूरत है या नहीं; परन्तु यदि आप मुझे अपनी खुराक निश्चित हिसाब तक कम करनेमें सहायता नहीं करेंगे, तो मुझे अपना दो सेर दूध और दो खट्टे नीबू लेना, अपनी अिच्छाके विरुद्ध, जारी रखना पड़ेगा।

आपको यह विश्वास दिलाना शायद ही जरूरी होगा कि मैं अपनी खुराक कम करना चाहता हूं तो कोअी नाराज होकर हरगिज नहीं। भाअी अब्दुल-गनीके बारेमें आपका निश्चय मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। मैं तो यह परि-वर्तन केवल अपने चित्तकी शांतिके लिअे ही करना चाहता हूं। और अिसमें आपकी सहानुभूति और सहमति चाहता हूं।

आपका आज्ञाकारी
मो० क० गांधी
नं० ८२७

[मैं पाठकोंको चेतावनी देता हूं कि कोअी अिस पत्रका जितना है अुससे ज्यादा अर्थ न करे। अिस पत्रमें अुल्लिखित किस्सा समझानेके लिअे ही यह पत्र प्रकाशित किया है, क्योंकि अिस विषयमें अनेक तरहकी बातें और तर्क-वितर्क हुअे हैं और अैसा कहा गया है कि फलोंका त्याग करनेसे मेरा स्वास्थ्य जल्दी गिर गया। अिसलिअे मुझे स्पष्ट कर देना चाहिये कि फल छोड़नेमें मेरा आशय भाअी अब्दुलगनीकी मांग सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा न माने जानेका प्रतिवाद करना नहीं था। दूसरी बात यह है कि भाअी अब्दुलगनीको विशेष वर्गके नियमानुसार फल और जो कुछ चाहिये वह बाहरसे मंगवानेका हक था। परन्तु अुन्होंने, भाअी याज्ञिकने और मैंने यह निश्चय किया था कि बाहरसे कुछ भी मंगवाना ठीक नहीं। अिस-लिअे मैंने जो त्याग किया और अुसका जो परिणाम हुआ, अुसके लिअे अधि-कारियोंको कोअी दोष नहीं दिया जा सकता। सुपरिन्टेन्डेन्टने और जेलोंके अिन्स्पेक्टर जनरलने मुझे समझानेकी कोशिश की थी कि मैं अपने निश्चय पर अमल न करूं। अुन्होंने मुझे यह चेतावनी भी दी थी कि अिसका गंभीर परि-णाम होगा। परन्तु मुझे अपने चित्तकी शान्तिके लिअे यह जोखिम अुठानी पड़ी और अितनी गंभीर बीमारी भोगनेके बाद भी मैंने जो कदम अुठाया था अुसके लिअे मुझे जरा भी खेद नहीं होता।

मैं चाहता हूं कि भाअी अब्दुलगनीने अपनी खुराकमें जो तबदीली करनेकी मांग की, अुसके लिअे भी पाठक अुन्हें दोष न दें। अुन्होंने यह मांग मुझसे अच्छी तरह सलाह करके ही की थी और मैंने अुन्हें यह मांग करने दी, क्योंकि मुझे अुस समय पता नहीं था कि सुपरिन्टेन्डेन्टको नियमानुसार यह परिवर्तन करने देनेका अधिकार नहीं है। यह माननेमें मैंने भूल की अिसका कारण तो, जैसा मैंने पत्रमें बताया है, यह था कि भाअी याज्ञिक और दूसरे कैदियोंको पहलेके सुपरिन्टेन्डेन्टने समय समय पर खुराक बदलने दी थी। जब भाअी अब्दुलगनीको अैसा करनेकी अनुमति नहीं मिली और अुसके बाद मैंने फलोंका त्याग करनेका निश्चय किया, तब अुन्होंने अैसा न करनेके लिअे मुझे समझानेमें कोअी कसर बाकी नहीं रखी थी। परन्तु जब तक मुझे यह स्पष्ट विश्वास न हो जाता कि फलोंके बिना मैं जी ही नहीं सकता, तब तक यह प्रयोग करनेकी बात मैं छोड़ नहीं सकता था।

—मो० क० गांधी]

पुस्तकालय
सं०..................
नई दिल्ली